भारत और कजाखस्तान ने दोहरा कराधान निवारण संधि (डीटीएसी) में संशोधन के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर

भारत और कजाखस्तान ने दोनों देशों के बीच मौजूदा दोहरा कराधान निवारण संधि (डीटीएसी) में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। आय पर लगने वाले करों के संदर्भ में दोहरे कराधान को टालने और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रोटोकॉल की विशेष बातें निम्नलिखित हैं :

- प्रोटोकॉल में कर संबंधी मसलों की जानकारी के कारगर आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य मानकों का उल्लेख है। इसके अलावा, कर संबंधी उद्देश्यों से कजाखस्तान से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को कजाखस्तान के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है। इसी तरह कर संबंधी उद्देश्यों से भारत से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को भारत के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है।
- प्रोटोकॉल में 'लाभ की सीमा' से जुड़ा अनुच्छेद है, ताकि डीटीएसी का दुरुपयोग रोका जा सके और इसके साथ ही कर अदायगी से बचने अथवा इसकी चोरी के विरुद्ध बनाए गए घरेलू कानून और संबंधित उपायों को लागू किए जाने की अनुमति दी जा सके।
- ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में आर्थिक दोहरे कराधान से राहत देने के उद्देश्य से भी इस प्रोटोकॉल में कुछ अन्य विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। यह करदाताओं के अनुकूल कदम है।
- प्रोटोकॉल में एक तय सीमा के साथ सर्विस संबंधी पीई (स्थायी प्रतिष्ठान) के लिए भी प्रावधान हैं। इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पीई के खाते में जाने वाले लाभ का निर्धारण संबंधित उद्यम के कुल लाभ के संविभाजन के आधार पर किया जाएगा।

भारत ने सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए) में संशोधन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

भारत ने सिंगापुर के साथ दोहरे कराधान से बचाव की संधि (डीटीएए) में संशोधन के लिए इस दक्षिण पूर्व एशियायी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसके तहत वहां के रास्ते आने वाले निवेश पर अगले अप्रैल से पूंजी लाभ पर कर लागू होगा। इसका उद्देश्य निवेश के नाम पर काले धन की हेराफेरी पर अंकुश लगाना है।

समझौते की विशेष बातें निम्नलिखित हैं

- सिंगापुर के साथ किये गये संशोधित संधि के तहत एक अप्रैल 2017 से दो साल के लिये पूंजी लाभ कर मौजूदा घरेलू दर का 50 प्रतिशत के हिसाब से लगाया जाएगा। पूर्ण दर एक अप्रैल 2019 से लागू होगी।
- संधि में संशोधन के जरिये अस्तित्व में रहे कालाधन बनाने के नियम को खत्म कर दिया है। पूंजी लाभ देनदारी को आधा-आधा साझा किया जाएगा तथा उसके बाद पूरी पूंजी भारत आएगी।

दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए):

दोहरा कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) मूल रूप से दो देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय समझौता है। डीटीएए के प्रावधान किसी देश विशेष के कर नियमों के सामान्य प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।

वित्तीय डेटा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (डीईसी) के अंतर्गत स्थापित की गयी एक समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्र (FDMC) की स्थापना का प्रस्ताव किया है। समिति केंद्रीय वित्त मंत्रालय में अपर सचिव अजय त्यागी, की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसने समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी और एक मसौदा विधेयक, वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्र विधेयक, 2016 के शीर्षक से भी तैयार किया।

वित्तीय डेटा प्रबंधन केंद्र के कार्य:

- सभी वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से डेटा मानकीकृत कर एक एकल डाटाबेस में करना और आंकड़ों के आधार पर अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषणात्मक अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
- नियामकों से डेटा के मानकीकरण के लिए कदम उठाने, एक मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में डेटा प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय सेवा प्रदाताओं को सक्षम बनाना और एक वित्तीय प्रणाली डेटाबेस को बनाए रखना।
- वित्तीय नियामक डेटा इकट्ठा करना और इस तक पहुँच प्रदान करने के साथ ही वित्तीय प्रणाली के डेटाबेस को स्थापित करना, संचालित करना और बनाए रखना।
- वित्तीय स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) के लिए विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान करना।

धर्म , जाति के आधार पर नहीं मांग सकते वोट: सुप्रीम कोर्ट

- सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले में कहा कि धर्म के आधार पर वोट देने की कोई भी अपील चुनावी कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण के बराबर है। अब चुनाव के दौरान धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगा जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने 2 जनवरी 2017 को दिए ऐतिहासिक फैसले में कहा कि प्रत्याशी या उसके समर्थकों के धर्म, जाति, समुदाय, भाषा के नाम पर वोट माँगना गैर कानूनी है। चुनाव एक धर्मनिरपेक्ष पद्धति है। धर्म के आधार पर वोट माँगना संविधान की भावना के खिलाफ है। जनप्रतिनिधियों को अपने कामकाज भी धर्मनिरपेक्ष आधार पर ही करने चाहिए।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रत्याशी और उसके विरोधी एजेंट की धर्म, जाति और भाषा का प्रयोग वोट माँगने के लिए कदापि नहीं किया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। यह जनप्रतिनिधित्व कानून 123 (3) के अंतर्गत संबद्ध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न केवल प्रत्याशी बल्कि उसके विरोधी उम्मीदवार के धर्म, भाषा, समुदाय और जाति का प्रयोग भी चुनाव में वोट माँगने के लिए नहीं किया जा सकेगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान और मनुष्य के बीच का रिश्ता व्यक्तिगत मामला है। कोई भी सरकार किसी एक धर्म के साथ विशेष व्यवहार नहीं कर सकती तथा एक धर्म विशेष के साथ खुद को नहीं जोड़ सकती।

पृष्ठभूमि

- सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें यह प्रश्न उठाया गया था कि धर्म और जाति के नाम वोट माँगना जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है या नहीं। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) के तहत 'उसके' धर्म की बात है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को व्याख्या करनी थी कि 'उसके' धर्म का दायरा क्या है? प्रत्याशी का या उसके एजेंट का भी।
- विभिन्न राजनीतिक दल धार्मिक ध्रुवीकरण कर वोट लेने के अनुचित प्रयासों में संलग्न रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जनवरी 2017 के इस निर्णय से तुष्टिकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण इत्यादि से राजनीति को मुक्त करने में मदद मिलेगी। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में डीएमके जैसे राजनीतिक दल भाषायी आधार पर वोट माँगते हैं तथा अतीत में भाषायी ध्रुवीकरण का सहारा चुनाव में लेते रहे है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने भाषा के आधार पर वोट माँगने को भी असंवैधानिक घोषित किया है।
- इसी तरह भारतीय राजनीति के प्रमुख तत्व जाति के आधार पर वोट मांगने की विशिष्ट परंपरा रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक निर्णय से स्वच्छ करने का प्रयत्न किया। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने 21वीं शताब्दी के भारत में चुनाव सुधारों को एक नई गति प्रदान की है जिसमें

धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा इत्यादि का वोट माँगने में अवश्य ही कोई आधार नहीं होना चाहिए।

'स्वच्छ भारत सर्वेक्षण-2017':

केंद्र सरकार ने 04 जनवरी 2017 से एक सर्वेक्षण शुरू किया है जिससे स्वच्छता के मानक पर देश के 500 शहरों की रैंकिंग तय की जा सके। स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की कवायद के तहत सरकार यह सर्वेक्षण शुरू करने जा रही है ।

मुख्य बिंदु

- 'स्वच्छ सर्वेक्षण-2017' भारताय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) की ओर से कराया जाएगा। नगर निकायों की ओर से मुहैया कराए गए आंकड़ों के आधार पर शहरों को आंका जाएगा।
- 4इसकी टीम सर्वेक्षण में शामिल शहरों में दो दिवस तक विभिन्न स्थानों का आकस्मिक निरीक्षण करेगी। वहां के मेयर और आयुक्त से भी मिलेगी। आम जनता से भी फीडबैक लेगी।
- स्वच्छ सर्वेक्षण वेबसाइट पर प्रतिक्रिया फॉर्म पर भी लोग अपनी राय दे सकते हैं।
- 2017 में हो रहे स्वच्छता सर्वेक्षण के पैमानों को इस बार सरकार ने काफी बदल दिया है। इस बार 40 प्रतिशत अंक कूड़े की कलैक्शन, स्वीपिंग तथा ट्रांसपोर्टेशन को दिए जाएंगे जबकि 30 प्रतिशत अंक शौचालयों पर फोकस किए गए हैं जिनमें निजी घरों, सामुदायिक शौचालयों व मोबाइल टायलैट वैन शामिल हैं।
- ज्यादा जोर खुले में शौच-मुक्त शहर पर दिया गया है। 20 प्रतिशत अंक कूड़े की प्रोसैसिंग हेतु रखे गए हैं जबकि बाकी बचते 10 प्रतिशत अंक एजुकेशन, अवेयरनैस व अन्य विषयों के होंगे।
- स्वच्छ सर्वेक्षण 2016 में देश भर के 73 शहरों में मैसूर पहले स्थान पर था और चंडीगढ़ दूसरे। इस सर्वे में 1 लाख लोगों ने भाग लिया था और अपनी महत्वपूर्ण राय प्रदान की थी।

प्रधानमंत्री के द्वारा नए साल में गरीबों के हित में योजनाओं की घोषणा

नव वर्ष की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसम्बर 2016 को देशवासियों को संबोधित किया है। इस खास मौके पर उन्होंने गरीब, वरिष्ठ नागरिक, महिलाओं, निम्न व मध्यम वर्ग के साथ ही छोटे कारोबारियों के लिए कई विशेष योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ कालाधन न रखने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा न देने की भी अपील की है।

प्रधानमंत्री की मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं:

- शहरी क्षेत्रों में नौ लाख रुपये तक के आवास ऋण पर चार प्रतिशत तथा 12 लाख रुपये तक के कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दो लाख रुपये तक के आवास ऋण पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
- प्रधानमंत्री आवासीय योजना का लाभ भी लोगों को दिया जाएगा। इसके तहत गांवों में 33 प्रतिशत ज्यादा घरों का निर्माण कराया जाएगा। जिससे बड़े स्तर पर लोगों को आवास का लाभ मिल सकेगा।
- किसानों के लिए सस्ते कर्ज का भी ऐलान किया है। नाबार्ड और कोऑपरेटिव बैंक से किसानों को सस्ता कर्ज मिलेगा। वहीं अगले तीन महीने में तीन करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड को रूपे कार्ड में बदला दिया जाएगा।
- कोऑपरेटिव बैंक से कर्ज लेने वाले किसानों को ब्याज में बड़ी राहत मिली है। जिन किसानों ने कर्ज लिया था उस कर्ज से साठ दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खाते में ट्रांसफर करेगी।
- महिलाओं के हित में भी बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि अब देश के सभी 650 से ज्यादा जिलों में सरकार गर्भवती महिलाओं को विशेष लाभ देगी। अस्पताल में पंजीकरण, डिलीवरी, टीकाकरण और पौष्टिक आहार के लिए 6000 की आर्थिक मदद सीधे उनके खाते में जाएगी। अबतक 53 जिलों में गर्भवती महिलाओं को प्रायोगिक परियोजना के तहत 4000 रुपये की सहायता मिल रही है।
- इसके साथ ही बुजुर्गों यानी की वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक जबरदस्त ऐलान किया है। उनका कहना है जिन वरिष्ठ नागरिकों के खाते में साढ़े सात लाख रुपये तक हैं। उन पर सरकार करीब 8 प्रतिशत तक का ब्याज का लाभ देगी।
- व्यापारियों के हित में भी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक देश में लघु उद्योगों को बढ़ाने के लिए भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है। जिससे अब सरकार छोटे व्यापारियों को लोन गारंटी का लाभ दिया जाएगा।
- पीएम का कहना है कि देश की अर्थव्यस्था में कृषि का महत्व है। इसमें लघु और मध्यम उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए अब छोटे उद्योगों की कैश क्रेडिट लिमिट को बढ़ाकर 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने का ऐलान किया है।
- पीएम का कहना है कि सरकार अभी तक एक करोड़ तक का लोन कवर देती है, लेकिन अब दो करोड़ तक का लोन कवर करेगी। इस कदम से देश में छोटे दूकानदारों छोटे उद्योगों को कम ब्याज दर पर ज्यादा कर्ज मिल सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र ने 2017 को विकास के लिए स्थायी पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया:

संयुक्त राष्ट्र की 70 वीं महासभा ने 2017 को विकास के लिए स्थायी पर्यटन के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह मान्यता अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के विकास और विशेष रूप से स्थायी पर्यटन के महत्व को दर्शाता है।

- यह लोगों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए तथा विभिन्न सभ्यताओं की समृद्ध विरासत के प्रति जागरूकता लाने के लिए और विभिन्न संस्कृतियों के निहित मूल्यों की बेहतर सराहना करने के लिए तथा सबसे महत्वपूर्ण विश्व में शांति को मजबूत बनाने में योगदान करने के लिए किया गया है।
- स्थायी पर्यटन के विकास के योगदान पर जागरूकता बढ़ाने को विषय बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्देश्य नीतियों, उपभोक्ता व्यवहार और व्यापार व्यवहार में बदलाव लाने के लिए और अधिक स्थायी पर्यटन क्षेत्र को बनाने के लिए करना है। यह विषय पूरी तरह से वर्ष 2030 के यूनिवर्सल एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एसडीजी) के अनुसार है।

अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्नलिखित क्षेत्रों में पर्यटन की भूमिका को बढ़ावा देगा:

- समावेशी और सतत आर्थिक विकास
- सामाजिक समग्रता, रोजगार और गरीबी में कमी
- सांस्कृतिक मूल्य, विविधता और विरासत
- संसाधन दक्षता, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन
- आपसी समझ, शांति और सुरक्षा

अंतरराष्ट्रीय वर्ष के निष्पादन की जिम्मेदारी पर्यटन के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी **विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO)** को दी गयी है। वर्ष **2016 को दलहन के अंतरराष्ट्रीय वर्ष** के रूप में नामित किया गया था।

नीति आयोग के पास आया हायपरलूप ट्रांसपोर्टेशन का प्रपोजल

सरकार ने देश में हायपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने का प्रस्ताव नीति आयोग के पास भेज दिया है। कुछ छोटे इलाकों में इस टेक्नोलॉजी के लिए ट्रायल रन करने के उपरांत इस प्रपोजल पर आयोग फैसला करेगा।'

हायपरलूप परिवहन प्रणाली क्या है?

यह एक परिवहन प्रणाली है जहाँ पॉड जैसे व्हीकल को वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से आगे ढकेला जाता है |इस प्रणाली की गति हवाई जहाज के सामान होती है |

हायपरलूप कनेक्ट टेस्ला के फाउंडर एलॉन मस्क के दिमाग की उपज है। HTT का कहना है कि हायपरलूप बनाने में प्रति किलोमीटर 4 करोड़ डॉलर (लगभग 300 करोड़ रुपये) की लागत

आएगी जबकि हाई स्पीड ट्रेन लाइन बनाने की लागत इससे दोगुना होगी। हायपरलूप सिस्टम को यात्री और माल ढुलाई के लिए डिजाइन किया जा रहा है।

यह कैसे संचालित होता है ?

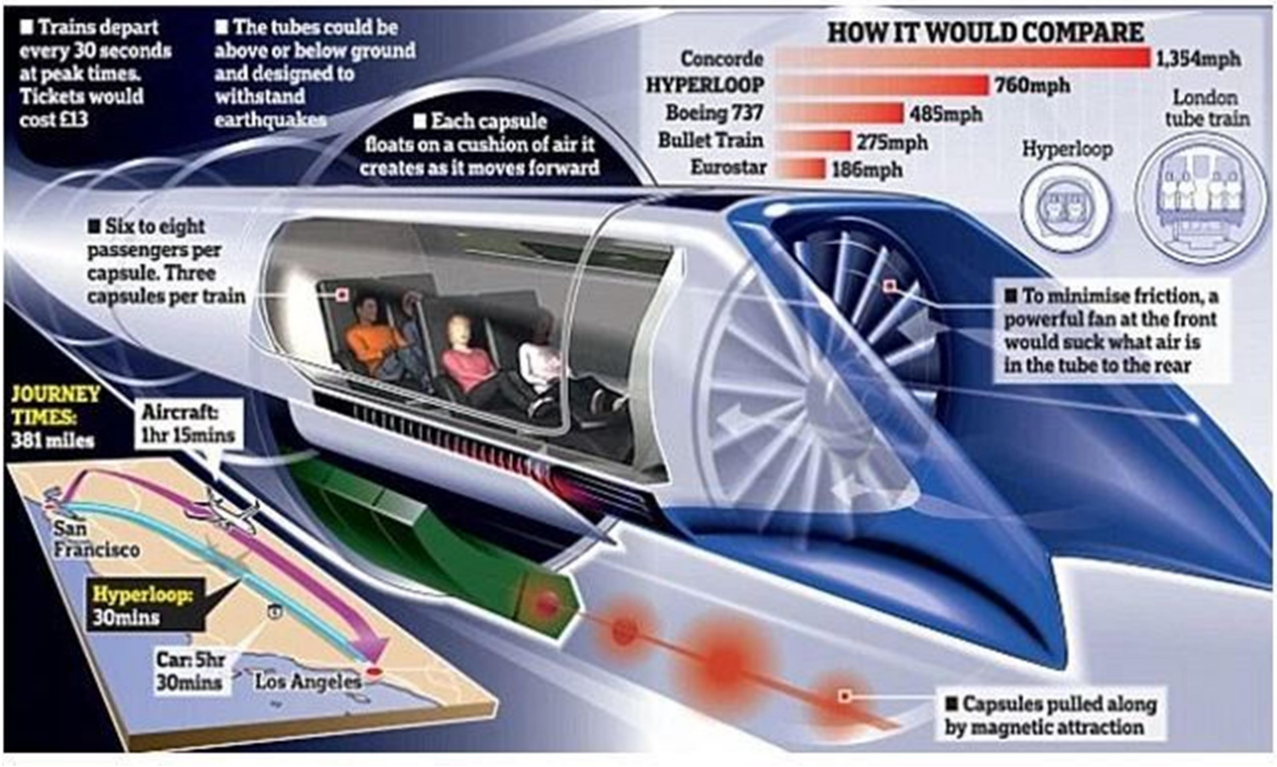

आईएलओ ने प्रवासी श्रमिक रिपोर्ट पर वैश्विक आकलन की विज्ञप्ति जारी की:

जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने प्रवासी श्रमिक की रिपोर्ट पर सांख्यिकीय अनुमान जारी किया है। यह सांख्यिकीय अध्ययन दुनिया भर में प्रवासियों की कुल संख्या के बीच में श्रम प्रवासी मजदूरों के अनुपात के बारे में अनुमान प्रदान करता है।

- यह उन क्षेत्रों और उद्योगों को दर्शाता है जहां अंतरराष्ट्रीय प्रवासी मजदूर स्थापित हो रहे हैं और अद्यतन संख्या के साथ घरेलू काम में प्रवासियों पर विशेष ध्यान देता है।

रिपोर्ट के प्रमुख तथ्य:

- दुनिया के लगभग 232 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों में 150.3 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं। इनमें से 11.5 मिलियन प्रवासी घरेलू श्रमिक हैं।

- प्रवासी श्रमिक 206.6 मिलियन कामकाजी उम्र वाली प्रवासी आबादी (15 साल और इससे अधिक) में 72.7 प्रतिशत हिस्सा रखते हैं। इसके विपरीत गैर-प्रवासी 63.9 प्रतिशत का हिस्सा रखते हैं। 83.7 मिलियन पुरुष 66.6 मिलियन महिला प्रवासी श्रमिक हैं।
- प्रवासी कुल वैश्विक आबादी (15 साल और इससे अधिक) में 3.9 प्रतिशत का हिस्सा रखते हैं। हालांकि, प्रवासी श्रमिक सभी कार्यकर्ताओं में एक उच्च अनुपात (4.4 प्रतिशत) रखते हैं। यह प्रवासियों की श्रम शक्ति में भागीदारी (72.7 प्रतिशत) और गैर- प्रवासियों श्रम शक्ति में भागीदारी (63.9 प्रतिशत) के तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाता है।
- लगभग आधे प्रवासी श्रमिक (48.5 फीसदी), दो व्यापक उपक्षेत्रों में केंद्रित हो रहे हैं, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप।
- इस उपक्षेत्र में सभी महिला प्रवासी मजदूरों का 52.9 प्रतिशत और सभी पुरुष प्रवासी मजदूरों का 45.1 प्रतिशत है।
- अरब देशों में, इसके विपरीत, लिंग भेद काफी उलट है।
- अरब देशों में सभी कार्यकर्ताओं के हिस्से के रूप में प्रवासी मजदूरों का अनुपात उच्चतम (35.6 फीसदी) के स्तर पर है। यही अनुपात उत्तरी अमेरिका में 20.2 प्रतिशत है।
- अरब देशों में 50.8 प्रतिशत पुरुष प्रवासी घरेलू श्रमिक हैं।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन:

- आईएलओ एक ऐसा अंतराष्ट्रीय संगठन है जो अंतराष्ट्रीय श्रमिक मानक तैयार करने और सिहांवलोकन के लिए उत्तरदायी है। यह एकमात्र ऐसी 'त्रिपक्षीय' संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो सभी के उपयुक्त कार्य को बढ़ावा देकर एक साथ मिलकर नीतियों और कार्यक्रमों को मूर्त रूप देने हेतु सरकारों के प्रतिनिधियों, कर्मचारियों और कामगारों को एक साथ मिलाती है।
- यह विलक्षण व्यवस्था आईएलओ को रोजगार और कार्य के बारे में 'वास्तविक जगत' संबंधी जानकारी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 1969 में इसे विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानि किया गया। इस संगठन की स्थापना 1919 ई. में हुई।

वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक नया अंग खोजा:

आयरलैंड के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर में एक नए अंग की खोज की है, जोकि इंसान के पाचन तंत्र में स्थित है। अब तक इसे आंत और पेट को जोड़ने वाले अंश के तौर पर देखा जाता था। लेकिन आयरलैंड के शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि ये एक अलग अंग है। इस अंग का नाम मेसेंट्री (mesentery)है ।

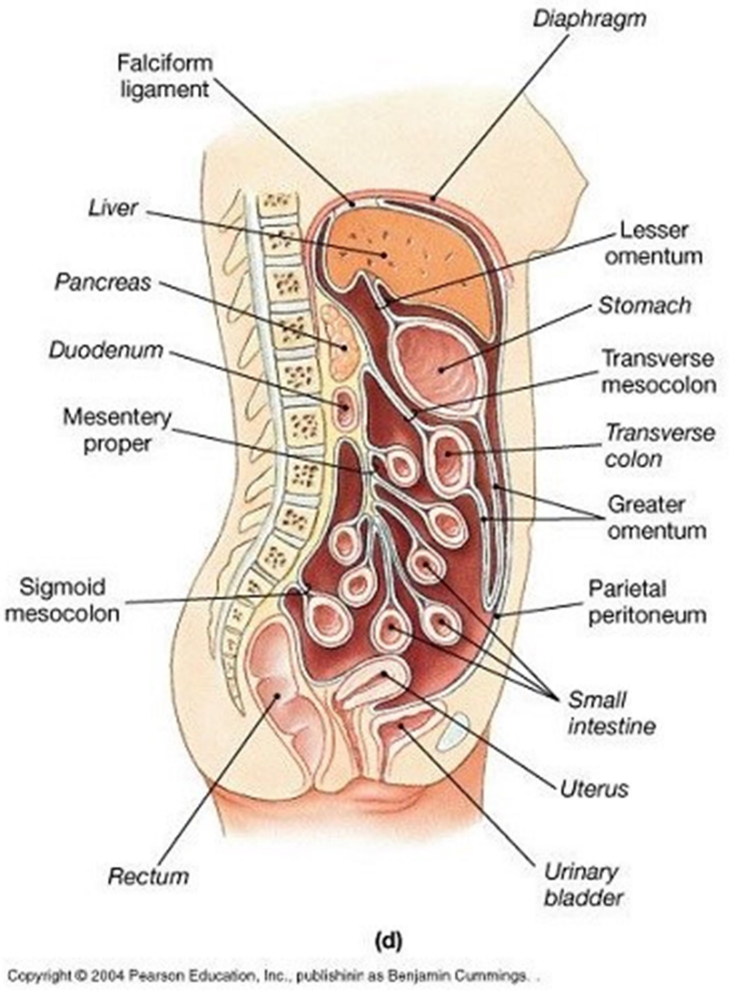

मुख्य बिंदु

- इस खोज के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इस बात की जांच कर सकते हैं कि पेट की बीमारियों में मेसेंट्री क्या भूमिका निभाती है, जिससे इलाज के नए तरीके मिलने की संभावना बढ़ेगी। मेसेंट्री के बारे में और जानकारी और इससे जुड़ी वैज्ञानिक खोज से पेट से जुड़ी बीमारियों में सर्जरी की कम जरूरत, कम परेशानियां और कम खर्च में मरीज के ज्यादा ठीत होने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
- आयरलैण्ड की लाइमरिक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक प्रोफेसर जे. केविन कॉफरी को इस अंग की खोज का श्रेय जाता है। कॉफरी के मुताबिक मेसेन्टरी को अब तक एक फ्रेगमेंटेड (विभाजित) भाग माना जाता था। कॉफरी ने अपने अध्ययन में पाया कि यह एक निरंतर और संपूर्ण अंग है।
- शरीर में दिल, दिमाग, लीवर, फेफड़े और किडनी जैसे 5 प्रमुख अंगों के अलावा कुछ 74 अन्य अंग सहित कुल 78 अंग होते है। लेकिन मेसेंट्री की खोज के बाद अब शरीर के कुल अंगों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है।

उच्च न्यायालय का केंद्र को सुरक्षा सीलिंग पर 6 महीने में निर्णय लेने का निर्देश

बंबई उच्च न्यायलय ने केंद्र सरकार को स्वास्थ्य सुरक्षा एवं स्वच्छता उत्पादों में अनिवार्य सील बनाने के लिए 6 महीने का समय दिया है |
एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया है | यह जनहित याचिका सौंदर्य प्रसाधन कि चोरी , बच्चों के देखभाल , स्वास्थ्य और स्वच्छता उत्पादों के बारे में हैं |

चिंता का विषय क्या हैं ?

जनहित याचिका में कहा गया हैं कि निर्माता से उपभोक्ता के लिए पारगमन में मोहर के अभाव के कारन प्रदूषण और उत्पादों में मिलावट की संभावना रहती हैं | यहाँ इस पर भी प्रकाश डाला गया हैं कि वर्तमान में मुहर के अनिवार्यता पर कोई प्रावधान नही हैं |

पृष्ठभूमि

इससे पहले राज्य ने कहा कि लीगल मेट्रोलॉजि अधिनियम 2009 के तहत कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है और इसीलिए उत्पादों का सील नही किया जा सकता | अक्टूबर 2014 में केंद्र सरकार ने कहा कि इस मामले पर गौड़ करने के लिए बने समिति कि सिफारिशों का इंतज़ार किया जा रहा है | सरकार ने यह भी कहा कि सभी क्रीम और लोशन संशोधित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 2013 के तहत अनिवार्य रूप से सील्ड है |

मातृत्व लाभ कार्यक्रम (एमबीपी) :

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 4 (बी) के प्रावधानों के अनुसार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लाभ हेतु सशर्त नकद हस्तांतरण योजना मातृत्व लाभ कार्यक्रम का गठन किया गया था।

- इस योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को नकद प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। इस योजना में प्रसव से पूर्व और पश्चात आराम, गर्भधारण और स्तनपान की अवधि में स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार एवं जन्म के छह महीनों के दौरान बच्चे को स्तनपान कराना बच्चे के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित रूप से रोजगार करने वाली अथवा इसी प्रकार की किसी योजना की पात्र महिलाओं को छोड़कर सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले दो जीवित शिशुओं के जन्म के लिए तीन किस्तों में 6000 रुपये का नकद प्रोत्साहन देय है।

- नकद हस्तांतरण को डीबीटी मोड में व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाते से जुड़े आधार के माध्यम से किया जायेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसम्बर, 2016 को राष्ट्र को दिये गये अपने संबोधन में सभी जिलों में मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अखिल भारतीय विस्तार की घोषणा की थी और यह 1 जनवरी 2017 से लागू है। इससे करीब 51.70 लाख लाभार्थियों को प्रतिवर्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।

मातृत्व लाभ कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों ?

- भारत सरकार मानव विकास के लिए पोषण के रूप में विशेष तौर पर सर्वाधिक कमजोर समुदायों में प्रत्येक महिला की इष्टतम पोषण स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह गर्भावस्था और स्तनपान दोनों की अवधि के दौरान अधिक महत्वपूर्ण है। एक महिला के पोषण की स्थिति और उसके स्वास्थ्य प्रभावों के साथ-साथ उसके शिशु के स्वास्थ्य और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- एक कुपोषित महिला अधिकांश तौर पर एक कम वजन वाले बच्चे को जन्म देती है। जब इस कुपोषण का प्रारंभ गर्भाशय से होता है तो विशेष रूप से इसका प्रभाव महिला के सम्पूर्ण जीवन चक्र पर पड़ता है। आर्थिक और सामाजिक दवाब के कारण बहुत सी महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के अंतिम दिनों तक परिवार के लिए आजीविका कमानी पड़ती है।

जीपीसीआर संकेतन के लिए दवाओं की खोज को आईआईटी कानपुर के द्वारा आसान बनाया गया:

शोधकर्ताओं ने यह दिखाया है कि नई दवाओं द्वारा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स (GPCRs) का विनियमन आम तौर पर सोचे जाने वाले तरीकों से काफी सरल हो गया है। यह केवल रिसेप्टर के अंतिम भाग को लगाकर ही उपयोग में लाया जा सकता है, जिसे कि रिसेप्टर की पूंछ (अंतिम भाग) कहा जाता है।

इन निष्कर्षों का महत्व:

इसके साथ ही, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स (GPCRs) के लिए बाध्यकारी नई दवाओं की खोज, जोकि हमारे शरीर में लगभग हर शारीरिक प्रक्रिया के लिए केंद्रीय है जैसे कि दृष्टि, स्वाद, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और हृदय विनियमन को आसान बना देता है।

पृष्ठभूमि:

वर्तमान में रक्तचाप, दिल की विफलता, मधुमेह, मोटापा, कैंसर और कई अन्य मानव रोगों के उपचार के लिए बाजार में उपलब्ध दवाओं का लगभग 50% GPCR रिसेप्टर्स की ओर

लक्षित होता है। यह सभी दवाएं उनसे संबंधित रिसेप्टर्स से बाध्य होती है और या तो उन्हें सक्रिय कर देती हैं या उनके सिगनल बंद कर देती हैं।

जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स:

जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स के सबसे बड़े और सबसे विविध समूह हैं। ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स प्रकाश ऊर्जा, पेप्टाइड्स, लिपिड, शर्करा और प्रोटीन के रूप में संदेशों के लिए एक इनबॉक्स की तरह कार्य करती है।

GPCRs कैसे काम करता है?

- कोशिका की सतह पर पाए जाने वाले रिसेप्टर्स संकेतों को प्राप्त करते हैं और कोशिकाओं के अंदर उन्हें संचारित (ट्रांसमिट) कर देते हैं। रिसेप्टर का एक हिस्सा कोशिका झिल्ली में सन्निहित होता है। और रिसेप्टर का दूसरा भाग झिल्ली के बाहर और भीतर उभर जाता है।
- रिसेप्टर्स का भाग जो झिल्ली के बहार उभरा रहता है ,झिल्ली के आकर में परिवर्तन करता है | रिसेप्टर के बहरी भाग में इस परिवर्तन के जवाब में रिसेप्टर के आकर में एक दूरगामी परिवर्तन होता है जो कोशिका के अंदर अवस्थित होता है |
- रिसेप्टर के आकर में यह परिवर्तन जो कोशिका के अंदर तैनात है अन्य प्रोटीन को बांधता है जिसे प्रभावोत्पादक कहा जाता है | यह प्रभावोत्पादक कोशिका में विशेष प्रभाव को उत्पन्न करता है , व अन्य कोशिका को सिग्नल भेजता है जो हमारे शरीर के शारीरिक परिवर्तन को संचालित करता है |

नए विधि के बारे में

सामान्य समझ यह है कि प्रभावोत्पादक प्रोटीन को दो स्थानों पर एक साथ काम करना पड़ता है , एक रिसेप्टर के पिछले भाग में व दूसरा रिसेप्टर के केंद्र में | यह कार्य दवा को कोशिका के अंदर रिसेप्टर को अधिक सक्षम बनाने हेतु किया जाता है |
रिसेप्टर शोधकर्ताओं के विशेष इंजीनियरिंग के माध्यम से मूल रूप से दो बाध्यकारी साइटों में एक जिसका नाम रिसेप्टर का केंद्र है जो इसमें बाधा डालता है |उन्होंने पाया कि दूसरे साइट के बिना भी प्रोटीन रिसेप्टर को कोशिका के अंदर रिसेप्टर के पृष्ठभाग को बांध कर खींचने में समर्थ है |
कोर में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसे शोधकर्ताओं ने अनुवांशिक रूप से नष्ट कर दिया है जिसके कारन रिसेप्टर का कोर अप्रभावी बन गया है |

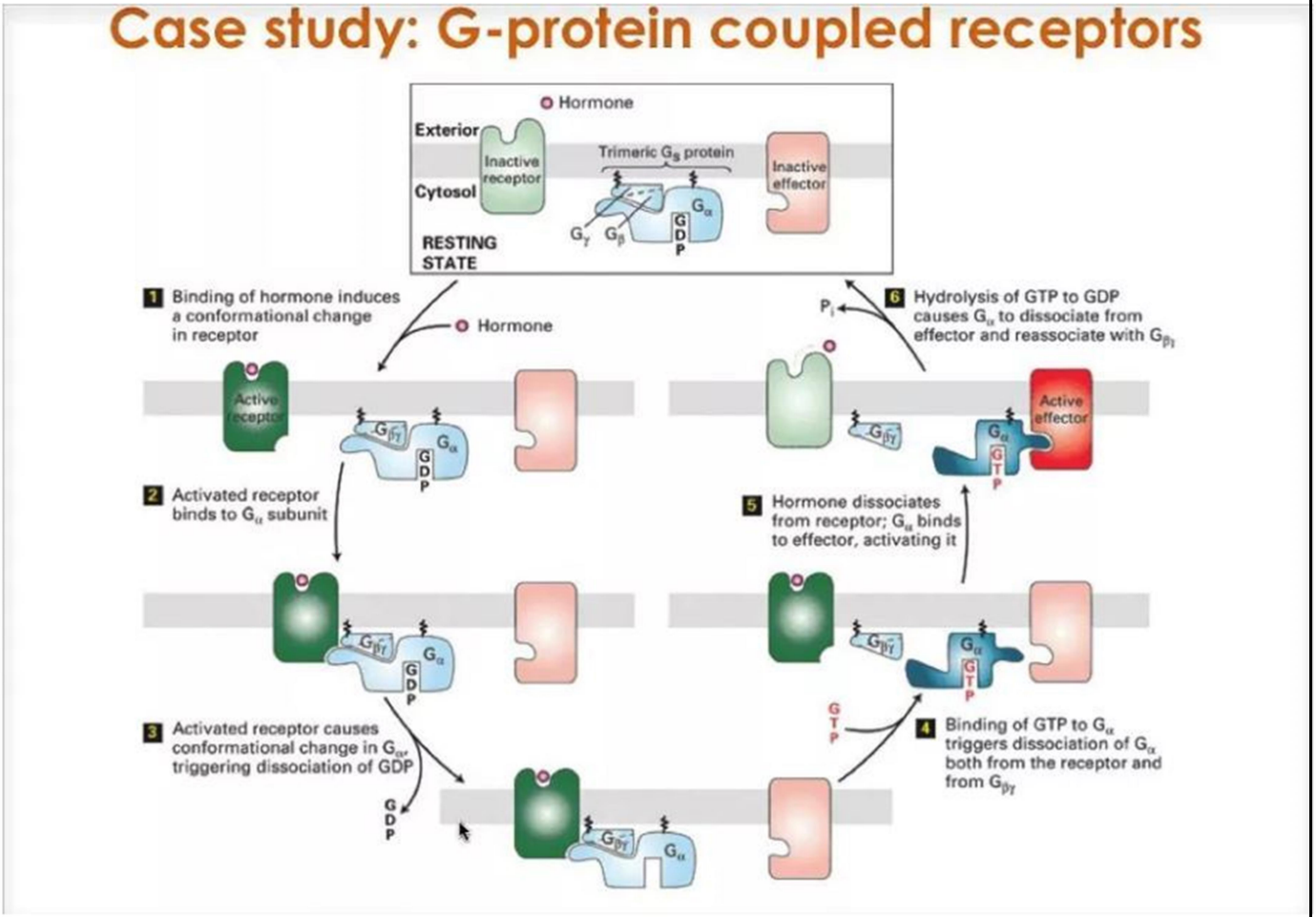

मध्यप्रदेश में 1100 जलवायु-स्मार्ट ग्राम विकसित किये जाएंगे:

किसानों को जलवायु परिवर्तन के खतरों से समय पर निपटने एवं अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने के मकसद से मध्यप्रदेश सरकार 1100 जलवायु-स्मार्ट गांव विकसित करेगी। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा के अनुसार, सरकार अगले छह साल की समयावधि में 1100 गांवों को जलवायु-स्मार्ट गांवों के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु

- इस योजना के तहत राज्य के 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में हरेक क्षेत्र से 100 गांवों को विकसित किया जाएगा तथा इस पर प्रति वर्ष तकरीबन 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह काम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं स्थायी कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के तहत किया जा रहा है।

- इन गांवों में किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ-साथ इन गांवों में ऐसी बीजों का उपयोग किया जाएगा, जो सूखे जैसी हालत पर भी अच्छी पैदावर दे सकें।
- एकीकृत खेती पर फोकस दिया जाएगा, जिसमें परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, रेशम पालन एवं मत्सय पालन शामिल होंगे। इन गांवों में कृषि-वानिकी को भी अपनाया जाएगा। इन क्षेत्रों में दुनिया में उपयोग की जाने वाली सर्वोाम तकनीक एवं विधि को प्रदेश में अपनाया जाएगा।

जलवायु-स्मार्ट विलेज:

- जलवायु परिवर्तन के बाद भी फसलों की तबाही को आधुनिक तकनीकि अपना कर रोका जाना ही क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की मुख्य अवधारणा है। इन गांवों में जलवायु परिवर्तन की चुनौती का किसान नई तकनीक से मुकाबला करेंगे। इनमें प्रोजेक्ट के तहत बीज, खाद्यान्न-फसल, खेती के साथ वानिकी-उद्यानिकी को बढ़ावा देने पर काम होगा, ताकि जलवायु के लिए आदर्श स्थिति बनाई जा सके।
- जल, ऊर्जा के अलावा मिट्टी में पोषक तत्वों का प्रबंधन, मौसम की जानकारी आदि इसके मुख्य बिंदु हैं। चयनित गांवों की आजीविका कृषि आधारित है, इसलिए खेती में इस्तेमाल उर्वरक आदि जलवायु को किस तरह प्रभावित करते हैं, इस बारे में लोगों को जागरुक किया जाएगा।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए):

- भारतीय कृषि में मुख्य रूप से देश के विशुद्ध बुआई क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत वर्षा सिंचित क्षेत्र शामिल है और यह कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान देती है। इस प्रकार वर्षा सिंचित कृषि जोतों के विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश में खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की कुंजी है।
- इस दिशा में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) तैयार किया गया है जिससे कि एकीकृत खेती, जल प्रयोग कोशल, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके।
- एनएमएसए सतत कृषि मिशन से अपना अधिदेश प्राप्त करता है जो कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत रेखांकित 8 मिशनों में से एक है।
- मिशन दस्तावेज में रेखांकित कार्यनीतियां और कार्रवाई कार्यक्रम (पीओए) जिसे 2.9.2010 को जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद (पीएमसीसीसी) दवारा सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था, का उद्देश्य भारतीय कृषि के 10 मुख्य आयाम नामत: उन्नत फसल बीज, पशुधन और मत्स्य पालन, जल प्रयोग दक्षता, नाशीजीव प्रबंधन, उन्नत फार्म

आजीविका विविधीकरण शामिल हैं, पर फोकस करते हुए अनुकूलन उपायों के अंगीकरण की श्रृंखला के माध्यम से सतत कृषि को बढ़ावा देना है।

- 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन उपायों को पुनर्गठन और समरूपता की प्रक्रिया के माध्यम से कृषि एवं सहकारिता विभाग (डीएसी) की चालूप्रस्तावित मिशनों/ कार्यक्रमों/स्कीमों में अंतःस्थापित और तथा उन्हें सरल बनाया जा रहा है।

बिटकॉइन अभी तक के अपने उच्च स्तर पर

बिटकॉइन अभी तक के अपने उच्च स्तर पर है |यह इस दौड़ में एक सुरक्षित परिसंपत्ति बनने के लिए तैयार है जब पूरी दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है |बिटकॉइन को 2009 में बेहद उत्तर चढ़ाव के दौड़ में बनाया गया था |

- हल ही में बिटकॉइन ने बिटकॉइन सूचकांक इंडेक्स पर $ 1100 की एक बड़ी वृद्धि हासिल की है , जिसने इसे 2016 का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मुद्रा बना दिया |

बिटकॉइन मूल्य सूचकांक

यह XBP के द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले अग्रणी वैश्विक एक्सचेंजों ,के बिटकॉइन के कीमत की औसत का प्रतिनिधित्व करता है |बिटकॉइन का , उद्योग प्रतिभागियों और लेख पेशेवरो के लिए एक मानक खुदरा मूल्य सन्दर्भ के रूप में सेवा करने का इरादा है |

बिटकॉइन क्या है ?

यह सुपर कंप्यूटर द्वारा कूट किए गए (encrypted) डिजिटल सिक्के है , जिनका प्रयोग ऑनलाइन कारोबार या वस्तुओं व सेवाओं के सेवाओं के विनिमयन के लिए करते है |बिटकॉइन किसी भी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक के द्वारा समर्थित नही है |

LNG पर आयात कर में छूट की मांग

भारत के ऊर्जा एवम पर्यावरण मंत्रालय ने सरकार से कहा है कि वे तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) पर आयात कर में छूट दे व स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए पेट कोक और फर्नेस तेल के उपयोग पर एक लेवी लागू करे |

इस कदम कि आवश्यकता क्यों है ?

- भारत ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है , और यह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने व अर्थी विकास को विस्तार देने के लिए कोयला ,गैस व तेल पर

काफी निर्भर है |अपने आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत ऊर्जा कि खपत करने पर बाध्य है |

- इसीलिए , देश के कार्बन फुटप्रिंट में कटौती करने के लिए मंत्रालय ऊर्जा मिश्रण में गैस (LNG) का उपयोग 6 .5 % से बढाकर 15 % करना चाहती है |इसीलिए वे LNG पर सुनय आयात कि मांग कर रहे है |

मीडिया में प्रायोजित विज्ञापन उम्मीदवार के खर्च का हिस्सा – चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने कहा है कि फेसबुक आउट ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रायोजित विज्ञापन के लिए किए गए खर्च को उम्मीदवार के कुल खर्च में शामिल किया जाएगा |

मुख्य तथ्य

- उम्मीदवारों का सन्देश भले ही वह किसी अन्य राज्यों से प्राप्त हुए हो ,उम्मीदवार के व्यय में जोड़ा जाएगा |
- चुनाव आयोग ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों से कहा है कि चुनाव पर्चे ,पोस्टर और इस तरह कि अन्य सामग्री पर प्रिंटर व प्रकाशक के नाम व पते मुद्रित करे | इसमें किसी तरह के उल्लंघन करने पर करवाई की जाएगी | करवाई में प्रिंटिंग प्रेस के लाइसेंसे के निरस्तीकरण भी शामिल है |
- चुनाव में रिश्वत लेने व देने के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए व मतदाताओं को धमकी देने वालो के खिलाफ करवाई करने के लिए एक उड़न दस्ता (flying squad) को गठित किया गया है |

उत्तर प्रदेश में आदर्श अचार संहिता (model code of conduct MCC) लागू

- चुनाव के तारीखों की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में आदर्श अचार संहिता अस्तित्व में आ गया है |
- MCC के अस्तित्व में आते ही चुनाव आयोग ने , राज्य सरकार को किसी भी नौकरशाह के स्थानांतरण ,किसी भी नए योजन की घोषणा या पूर्ण की गई योजनाओं के लोकार्पण न करने का निर्देश दिया है |

आदर्श अचार संहिता क्या है ?

यह निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनितिक पार्टियों व उम्मीदवारों को दिया गया निर्देश है |यह मुख्य रूप से भाषण , चुनाव घोषणा पत्र ,मतदान बूथ ,जुलुस व सामान्य आचरण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश देती है | इसका उद्देश्य स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है | MCC चुनाव कार्यक्रम के घोषणा के तुरंत बाद अस्तित्व में आता है व चुनावी प्रक्रिया के अंत तक लागू रहता है |

हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार

नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के आंकड़ों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि 2016 में हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ है ,और अब यह 900 लड़कियां / 1000 लड़के हो गया है , जो कि 2011 कि जनगणना में 834 लड़कियां/1000 लड़के थे | राज्य सरकार लिंग अनुपात में सुधार के लिए ठोस प्रयास कर रही है | और जन्म लिंग अनुपात में सुधार इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है |

मुख्य तथ्य

- लिंग अनुपात के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2016 में राज्य में पैदा हुए 525278 बच्चों में 276414 लड़के व 248864 लड़कियां है |
- उन्होंने कहा कि किसी भी जिले में लिंगानुपात 850 से काम नही है |व 12 जिलों में लिंगानुपात 900 या उससे अधिक है |
- उन्होंने कहा कि लिंग चयन ,चयनात्मक गर्भपात व कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है

अमेरिका में H -1B वीजा के नियम सख्त

H -1B वीजा, जिसपर भारतीय IT क्षेत्र विशेष रूप से निर्भर है के उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए एक विधयेक अमेरिकी कांग्रेस में प्रस्तुत किया गया है |

H -1B वीजा क्या है ?

H -1B वीजा संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा दिया गया एक गैर अप्रवासी वीजा है जो अन्य देशों से आए कुशल श्रमिकों को अमेरिका में रोजगार करने के लिए एक एक निश्चित अवधी के लिए दिया जाता है |

बिल कि मुख्य विशेषताएं

- नए बिल के अनुसार H -1B वीजा के लिए न्यूनतम राशि को $ 60000 से बढाकर $ 100000 कर दिया गया है |
- नए बिल में मास्टर डिग्री पर छूट को ख़त्म कर दिया गया है |
- नया बिल कंपनियों को भी H -1B वीजा धरी कर्मचारियों को भर्ती से रोकती है | यदि किसी कंपनी में पहले से ही 50 कर्मचारी या कुल कर्मचारी का 50 % H -1B वीजा धारक है तो कंपनी ऐसे नए कर्मचारी कि भर्ती नही कर सकते |
- यह बिल अमेरिकी श्रमिकों कि भर्ती के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित करती है |
- यह बिल स्पष्ट रूप से H -1B वीजा धारकों द्वारा अमेरिकी श्रमिकों के प्रतिस्थापन पर प्रतिबन्ध लगता है |

काले चावल ने लोकप्रियता पायी:

- काले चावल या बैंगनी रंग के चावल की एक विदेशी किस्म ने हाल ही में असम में लोकप्रियता हासिल की है।
- इसे हाल ही में बराक घाटी में पहली बार स्थानीय किसानों द्वारा बोया गया था।
- काले चावल के उच्च पोषण मूल्यों, अनूठी बनावट और अखरोट के जैसे स्वाद की वजह से विश्व के सुपर भोजन के रूप में भी जाना जाता है।

- यह अपने शक्तिशाली रोग से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट के लिए जाना जाता है और इसमें अत्यधिक मात्रा में फाइबर भी होता है।
- इसमें मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और यहां तक कि वजन बढ़ाने के विकास को रोकने में मदद करने की क्षमता है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ई-चालान और एम-परिवहन मोबाइल एप लांच करेगा:

बढ़ते सड़क हादसों पर काबू पाने के लिए सरकार शीघ्र ही कुछ मोबाइल एप लांच करने वाली है। इनमें ई-चालान और एम-परिवहन प्रमुख हैं। ई-चालान का नेटवर्क तो 13 राज्यों में तैयार हो चुका है। इनमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है जहां इसे पूरी तरह लागू किया जा चुका है। 9 से 15 जनवरी के बीच देशभर में मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इन एप को विधिवत लांच करेंगे।

ई-चालानः सड़क सुरक्षा को चाकचौबंद करने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रानिक प्लेटफार्म का उपयोग करने का निर्णय लिया है। इसके तहत कई मोबाइल एप तैयार किए जा रहे हैं। इनमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का इलेक्ट्रानिक चालान करने वाला ई-चालान एप प्रमुख है।
एम-परिवहनः इस एप के जरिये कोई भी रजिस्टर्ड व्यक्ति किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन का संक्षिप्त ब्योरा जबकि आरटीओ, पुलिस या परिवहन विभाग के कर्मी पूरा ब्योरा प्राप्त कर सकते हैं।

चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने में सहायता करेगा जापान:

- जापान ने स्मार्ट सिटी के रूप में चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी के विकास कार्यों से जुड़ने का निर्णय लिया है। इस आशय की जानकारी भारत में जापान के राजदूत केंजी हीरामत्सु ने शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू के साथ अपनी बैठक के दौरान दी।
- हीरामत्सु ने यह भी कहा कि जापान भारत सरकार के शहरी विकास से जुड़े कदमों में काफी दिलचस्पी रखता है और उसने इसमें एक भागीदार बनने का फैसला किया है। ब्रिटेन के उच्चायुक्त श्री डोमिनिक एसक्विथ ने भी वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्होंने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे की हालिया भारत यात्रा के दौरान शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहमति-पत्र (एमओयू) को मूर्त रूप देने के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।

- अब तक कई प्रमुख देश 15 स्मार्ट शहरों के विकास से जुड़ने के लिए आगे आ चुके हैं। इनमें ये शामिल हैं: अमेरिकी व्यापार विकास एजेंसी (यूएसटीडीए)- विशाखापत्तनम, अजमेर एवं इलाहाबाद, ब्रिटेन- पुणे, अमरावती (आंध्र प्रदेश) एवं इंदौर, फ्रांस- चंडीगढ़, पुडुचेरी एवं नागपुर और जर्मनी – भुवनेश्वर, कोयंबटूर एवं कोच्चि।

द्वीप पर्यटन महोत्सव 2017

- द्वीप पर्यटन महोत्सव 2017 06 जनवरी 2017 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्टब्लेयर में शुरू हुआ। उपराज्यपाल जगदीश मुखी ने आईटीएफ मैदान पर इस महोत्सव का उद्घाटन किया।
- 15 जनवरी तक चलने वाले उत्सव में पूर्वी क्षेत्र और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रों के अलावा गीत और नाटक प्रभाग के कलाकार भी द्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
- अंडमान निकोबार प्रशासन और भारत सरकार के भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के बीच पिछले वर्ष हुए समझौते के तहत इस बार कजाकिस्तान से दस सदस्यीय दल 7 जनवरी को पोर्ट ब्लेयर पहुंचकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। पर्यटन उत्सव के दौरान मुख्य भूमि के कलाकारों के साथ-साथ स्थानीय कलाकार भी भाग लेंगे।

भारत और केन्या के बीच कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्तक्षार को मंजूरी:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और केन्या के बीच कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्तक्षार को मंजूरी दे दी।

मुख्य बिंदु

- इसमें बताया गया है कि इस संबंध में एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वे समझौता ज्ञापन के निष्पादन के लिए कार्यक्रमों को विकसित करेंगे तथा उसकी निगरानी करेंगे।
- इस समझौता ज्ञापन में कृषि अनुसंधान, पशुपालन और डेयरी, मत्स्य पालन, बागवानी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, मृदा एवं संरक्षण, जल प्रबंधन, सिंचाई व खेती प्रणाली के विकास और संबद्ध क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाएगा।
- समझौता ज्ञापन पर जिस दिन हस्ताक्षर किया जाएगा, उसी दिन से यह लागू हो जाएगा और पांच सालों के लिए वैध रहेगा। वैधता अवधि की समाप्ति के बाद यह अगले पांच सालों के लिए स्वचालित रूप से वैध हो जाएगा, जब तक कि दोनों में से कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को वैधता से छह महीने पहले लिखित रूप से इसे रद्द करने की जानकारी नहीं देता है।

यूरोपीय संघ ने भारत से कुछ सब्जियों के आयात पर लगा प्रतिबंध हटाया:

- यूरोपीय संघ ने भारत से कुछ सब्जियों के आयात पर लगा तीन साल का प्रतिबंध हटा लिया है।
- कृषि मंत्रालय के हवाले से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केन्द्र सरकार को यूरोपीय संघ से मिली सूचना के अनुसार करेला, चिचिंडा और बैंगन सहित कुछ सब्जियों के आयात पर लगा प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है।

मानव स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके जैविक पेसमेकर विकसित किया:

कनाडा के वैज्ञानिकों ने मानव स्टेम कोशिकाओं का उपयोग कर पहली बार कार्यात्मक पेसमेकर कोशिकाओं को विकसित किया है। कोशिकाएं दिल की धड़कन को विद्युत् के संवेग से नियंत्रित कर सकती हैं। यह विधि वैकल्पिक जैविक पेसमेकर उपचार के लिए मार्ग प्रशस्त करती है।

स्टेम कोशिका:

- स्टेम कोशिका या मूल कोशिका ऐसी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें शरीर के किसी भी अंग को कोशिका के रूप में विकसित करने की क्षमता मिलती है। इसके साथ ही ये अन्य किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है।
  वै
- ज्ञानिकों के अनुसार इन कोशिकाओं को शरीर की किसी भी कोशिका की मरम्मत के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार यदि हृदय की कोशिकाएं खराब हो गईं, तो इनकी मरम्मत स्टेम कोशिका द्वारा की जा सकती है।

माइक्रोबीड्स या माइक्रो प्लास्टिक

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने (NGT) ने सौंदर्य प्रसाधनों और शारीरिक देखभाल के उत्पादों में इस्तेमाल किए जाने वाले माइक्रो प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबन्ध की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब माँगा है | याचिका में कहा गया है कि माइक्रो प्लास्टिक का इस्तेमाल जलीय जीवन और पर्यावरण के लिए खतरनाक है |

१. सौंदर्य प्रसाधनों में माइक्रो प्लास्टिक का जमकर इस्तेमाल हो रहा है |
२. साबुन , टूथपेस्ट ,फेसवाश ,हैंडवाश , बॉडीवाश और स्क्रब जैसे उत्पादों में इनका उपयोग हो रहा है |
३. कई कंपनियां अपने उत्पादों के बारे में दावा करती है कि वे जौ,अंजीर व अखरोट का उपयोग कर रही है , मगर इनसे ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक का इस्तेमाल करती है |

- माइक्रोप्लास्टिक दरअसल प्लास्टिक या फाइबर के वे टुकड़े है ,जो आकर में बहुत छोटे होते है |
- संयुक्त राष्ट्र के हालिया रिपोर्टों के मुताबिक ,ये **जलीय जीवन व पर्यावरण के लिए खतरनाक** है |
- माइक्रोप्लास्टिक 5 mm से भी कम आकर के प्लास्टिक या फाइबर के टुकड़े होते हैं| निजी देखभाल के उत्पादों में पाए जाने वाले माइक्रोप्लास्टिक हमेशा 1 mm से भी छोटे होते हैं |
- प्लास्टिक के बेहद छोटे टुकड़े होने की वजह से ये नाली से होते हुए जल से मिल जाते हैं और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं| दुनिया भर में इन पर प्रतिबन्ध की मांग की जा रही हैं |

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सभी ngo के ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया —

- सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च 2017 तक केंद्र सरकार से सभी ngo के ऑडिट रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ngo फंड के दुरूपयोग में दोषी पाया जाए उनके खिलाफ आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही कि जाए | देश भर में लगभग 32 लाख 97 हज़ार ngo है जिसमे से केवल 3 लाख 70 हज़ार ने ही अपने खर्च का लेखा जोखा सरकार को दिया है |
- कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार और उनके विभागों के बीच ngo और ऑडिटिंग को लेकर तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी जनरल फाइनेंसिंग नियम 2005 को लागु करने में भ्रम है |
- कोर्ट ने ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कपार्ट तथा कुछ अन्य जिम्मेदार एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे 31 मार्च 2017 तक नियमों के अनुसार सभी ngo का ऑडिट पूरा करे के सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल किया जाए |
- कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो ngo को नियमित करने उनकी मान्यता व उनके फंड जारी करने से लेकर हिसाब किताब लेने तक के लिए दिशा निर्देश तय करे | सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो ngo बैलेंस शीट देकर अपना लेखा जोखा नही दे रही है उनके खिलाफ वसूली के लिए **सिविल और दीवानी** करवाई हो |

- पीठ ने इस बारे में केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल करने का दिशा निर्देश दिया है साथ ही यह भी कहा है कि हलफनामा दाखिल करने वाले अधिकारी आईएएस अधिकारी होना चाहिए जो कीसंयुक्त सचिव स्तर से निचे का नही होगा |

इसरो एवं सीएनईएस ने सेटेलाइट प्रक्षेपण तकनीक हेतु समझौता किया–

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संसथान (इसरो) एवं फ्रेंच स्पेस एजेंसी (सीएनईएस) ने उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी के लिए भागीदारी हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए |
- इस समझौते से फ्रांस अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भारत की सहायता ले सकेगा |
- सीएनईएस के द्वारा नासा के बाद इसरो का सहयोगी बनाया गया है . दोनों देशों के अंतरिक्ष कार्यक्रम एवं उद्देश्य लगभग सामान है |

भारत में प्रदूषण से प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मृत्यु : ग्रीनपीस

- भारत में प्रदूषण की स्थिति पर गैर सरकारी संस्था ग्रीनपीस द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 10 जनवरी 2017 को दिए गए आंकड़ों में बताया गया है कि प्रतिवर्ष 12 लाख लोगों की मृत्यु प्रदूषण की वजह से होती है |
- ग्रीनपीस की इस रिपोर्ट में यह भी बतया गया है कि प्रदूषण स्तर के मामले में दिल्ली देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहर है | हालाँकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि राजधानी में ही नही बल्कि देश के अन्य शहरों में भी प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा है |
- वायु प्रदूषण का फैलता जहर नामक इस रिपोर्ट में 24 राज्यों के 168 शहरों के बारे में बताया गया है |

मुख्य बिंदु

- ग्रीनपीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार who तथा दक्षिण भारत के कुछ शहरों के अतिरिक्त किसी भी शहर में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (cpcb) द्वारा बनाए गए मनको का पालन नही किया गया |
- प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला , पेट्रोल ,डीजल का अनियंत्रित उपयोग है |
- रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक उत्तर भारत के शहर प्रदूषण से प्रभावित है |
- इन शहरों का दायराराजस्थान से लेकर गंगा के मैदानी इलाको तक फैला हुआ है |

- इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 20 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों का वायु प्रदूषण का स्तर PM 10 , 268 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से 168 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक है |

अदरक की एक नई प्रजाति खोजी गई

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अंदमान एवं निकोबार द्वीप में अदरक की एक नई प्रजाति की खोज की |
- इस नई प्रजाति को **जिंजिबर स्यूडोस्कवेयरसम** नाम दिया गया है | यह जिंजिबर प्रजाति से सम्बन्ध रखती है |

मुख्य विशेषताएं

- इसे इसके औषधीय गुणों के कारण जाना जाता है जिसे जनजातीय समुदाय के लोग अक्सर प्रयोग करते है |
- इस प्रजाति का स्टेम लाल रंग का होता है |
- इसका फूल कमल के आकर का होता है तथा इस पर लगने वाले फल सिंदूरी होते है इसकी जड़े नलिका आकर की होती है |
- इसकी रूपात्मक तथा इसकी बनावट इसे एक अलग प्रजाति बनाती है |
- अदरक अन्य प्रजातियों की भांति ही यह भी खाद्य है तथा इसे वनस्पति की भांति उपयोग किया जा सकता है |
- इसके **एथनो औषधीय** गुण उदर सम्बंधित विकार दूर करते है |

नार्वे एफएम रेडियो बंद करने वाला विश्व का पहला देश बना

- नार्वे एफएम रेडियो बंद करने वाला विश्व का पहला देश बना | नार्वे 11 जनवरी 2017 से अपना एफएम रेडियो नेटवर्क बंद कर रहा है | अपने डिजिटल रेडियो को सपोर्ट करने के लिए उसने ऐसा किया |
- नार्वे एफएम रेडियो की बजाए डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग (dab) तकनीक को अपनाने जा रहे है | नार्वे के अनुसार डिजिटल रेडियो की साउंड क़्वालिटी एफएम रेडियो से ज्यादा अच्छी है और इसकी लगत भी 8 गुना कम है |
- स्विट्ज़रलैंड ने एफएम रेडियो को खत्म करने के लिए वर्ष 2020 की समय सीमा तय की है | भारत में एफएम रेडियो की शुरुआत चेन्नई में वर्ष 1977 में हुई थी |

डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग (dab) तकनीक के बारे में

- डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग (dab) एक ऐसी तकनीक है जिसमे एनालॉग ऑडियो सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदला जाता है | इसे ऑडियो की अब तक की बहुत ही अच्छी तकनीक माना जाता है|
- इस तकनीक को अपनाने में 2.35 करोड़ डॉलर की सालाना बचत होगी |नार्वे में 20 % निजी कारे ऐसी है जिनमे पहले से ही डैब रेडियो सिस्टम मौजूद है |

इक्काडोर को जी-77 की अध्यक्षता मिली:

जी-77 की अध्यक्षता थाईलैंड से इक्काडोर को मिल गई है। जी-77 संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन सहित 134 विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देता है। इक्काडोर के राष्ट्रपति रफायेल कोरेया ने 13 जनवरी 2017 को हस्तांतरण समारोह में कहा कि समूह **"सामाजिक और आर्थिक समानता"** को बढ़ावा देना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि यह केवल तभी हो सकता है जब **"गरीबी, असमानता और बहिष्कार"** को समाप्त किया जाए और लोग **"संप्रभुता, गरिमा और शांति"** के साथ साथ रहें।

जी77:

- जी77 समूह विकासशील देशों का एक समूह है। विकासशील देशों के हितों को आगे रखने वाला संयुक्त राष्ट्र में यह सबसे बड़ा समूह है। इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं जिनमें **जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना औरवाशिंगटन डी.सी.** प्रमुख हैं।
- जी-77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी। बाद में बहुत से अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गये, और वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 134 हो गई है। अभी सूडान इस संगठन का नेतृत्व कर रहा है। भारत भी इसका सदस्य है।
- जी-77 समूह की स्थापना जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के सम्मेलन के पहले सत्र के बाद हुई थी। इस स्थापना की घोषणा सभी मूल संस्थापक 77 देशों के संयुक्त घोषणा पत्र यानि ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ द सेवेंटी-सेवन कंट्रीज के तहत 15 जून, 1968 को संयुक्त घोषणा के बाद हुई थी।
- जी-77 की पहली मंत्रीस्तरीय बैठक अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में 10-25अक्तूबर, 1967 को हुई थी। जी-77के अध्यक्ष पद के लिए एशिया,अफ्रीका और कैरीबियन देशों से पारीवार रूप में व्यक्ति का चुनाव होता है। दक्षिणी सम्मेलन यानि साउथ समिट जी-77 समूह की सर्वोच्च निर्णायक इकाई है। इसकी बैठक प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार होती है। विश्व के दक्षिणी गोलार्ध के देशों के हितों की देखरेख करने वाले इस समूह का व्यय सभी सदस्य देश मिलकर उठाता है।

दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017:

- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 (सी) के तहत अधिदेशित **'केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण' (सीएआरए)** द्वारा तैयार किया गया **दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017** को अधिसूचित कर दिया गया है और ये विनियमन 16 जनवरी, 2017 से प्रभावी होंगे। दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 दत्तक ग्रहण दिशा निर्देश की जगह लेंगे।
- दत्तक ग्रहण विनियमन की रूप रेखा दत्तक ग्रहण एजेंसियों और भावी दत्तक माता पिता (पीएपी) सहित सीएआरए और अन्य हितधारकों के सामने आ रहे मुद्दों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है। यह भविष्य में गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के द्वारा देश में गोद लेने के कार्यक्रम को और मजबूत बनाएगा। पारदर्शिता, बच्चों के प्रारंभिक विसंस्थागतकरण, माता-पिता के लिए सुविज्ञ विकल्प, नैतिक प्रथाओं और गोद लेने की प्रक्रिया में सख्ती से परिभाषित समयसीमा दत्तक ग्रहण विनियमन के प्रमुख पहलू हैं।

दत्तक ग्रहण के विनियमन 2017 की मुख्य विशेषताएं:

- विनियमनों में देश के भीतर और विदेशों में रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है।
- गृह अध्ययन रिपोर्ट की वैधता दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है।
- निर्दिष्ट बच्चे को आरक्षित करने के बाद मिलान और स्वीकृति के लिए घरेलू पीएपी को उपलब्ध समयसीमा को वर्तमान पंद्रह दिनों से बढ़ाकर बीस दिन कर दिया गया है।
- जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के पास व्यावसायिक रूप से योग्य या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल होगा।
- न्यायालय में दायर किए जाने वाले मॉडल दत्तक ग्रहण आवेदनों समेत विनियमनों से संलग्न 32 अनुसूचियां हैं और यह न्यायालय के आदेश प्राप्त करने में वर्तमान में लगने वाली देरी में काफी हद तक कमी लाएंगी।

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा):

केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) महिला और **बाल विकास मंत्रालय** के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने और अनिवार्य निगरानी तथा देश और अंतरदेशीय में गोद देने को विनियमित करने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। प्रयोक्ता गोद लेने की प्रक्रिया, माता पिता, एजेंसियों, संसाधन और नेटवर्क आदि पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इंफ्रा परियोजनाओं के लिए क्रिसिल का नया रेटिंग सिस्टम:

- घरेलू साख निर्धारक एजेंसी क्रिसिल ने इंफ्रा परियोजनाओं के लिए नयी साख निर्धारण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है जिसमें परियोजनाओं को बेहतर साख मिल सकेगी। एजेंसी ने बताया कि उसके अनुमान के मुताबिक अगले पाँच साल में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 43 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है।
- सरकारी बैंकों पर एनपीए के बोझ को देखते हुये इसमें कम से 11 लाख करोड़ रुपये कॉर्पोरेट बांडों के जरिये जुटाने होगें। उसने कहा कि इस समय देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड जैसे नये उत्पादों की जरूरत है जिनका फोकस खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर हो। इससे क्षेत्र के लिए धन की कमी पूरी हो सकेगी।
- क्रिसिल ने बताया कि इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुये वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबद्ध पक्षों से मशविरे के बाद उसने इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए नयी क्रेडिट रेटिंग प्रणाली बनायी है। इससे दीर्घावधि निवेशक तथा ऋणदाताओं की इन परियोजनाओं में भागीदारी बढ़ेगी।
- यह पूर्वानुमानित नुकसान मॉडल पर आधारित है जिसमें साख देते समय देनदारी में संभावित चूक तथा चूक के बाद वसूली की उम्मीदों दोनों का आकलन किया जायेगा। मौजूदा मॉडल में साख की गणना के समय सिर्फ चूक की संभावना पर विचार किया जाता है। इस प्रकार नयी प्रणाली से परियोजनाओं को पहले के मुकाबले बेहतर साख मिलने की उम्मीद है।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसी:

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (सीआरए) एक कंपनी है जो निश्चित प्रकार के ऋण भार निर्गमित करने वाली संस्थाओं की और स्वयं ऋण उपकरणों की साख योग्यता का निर्धारण करती है। कुछ मामलों में, अंतर्निहित ऋण की सुविधाओं को भी श्रेणी दी जाती है।
- अधिकतर मामलों में प्रतिभूतियों को निर्गमित करने वालों में, कम्पनियां, विशिष्ट लक्ष्य रखने वाली संस्थाएं, राज्य व स्थानीय सरकारें, लाभ-निरपेक्ष संस्थाएं या राष्ट्रीय सरकारें होती हैं जो ऋण जैसी प्रतिभूतियों (जैसे, ऋणपत्र) आदि का निर्गमन करती हैं, जिनका सौदा द्वितीयक बाज़ारों में किया जा सकता है।
  किसी ऋण का निर्गमन करने वाली संस्था हेतु साख योग्यता के निर्धारण के दौरान उस संस्था की ऋण पात्रता (अर्थात् ऋण के भुगतान की क्षमता) पर ध्यान दिया जाता है और इससे निर्गमित, विशेष प्रतिभूति, पर लगायी गयी ब्याज दर भी प्रभावित होती है।

स्वास्थ्य मंत्रालय खसरा-रूबेला वैक्सीन को लांच करेगा:

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय फरवरी 2017 में यूनिवर्सल इम्म्यूनाइजेशन प्रोग्राम (यूआईपी) में खसरा-रूबेला (एमआर) की वैक्सीन (टीका) लॉन्च करेगा। इसके अलावा, न्यूमोकोकल कंजुगेट (न्यूमोकोकल निमोनिया) वैक्सीन भी मार्च 2017 से तीन अन्य राज्यों में यूआईपी टोकरी का एक हिस्सा बन जायेगी।

प्रमुख तथ्य:

- एमआर टीका पांच राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पेश किया जाएगा जोकि गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और तमिलनाडु हैं।
- यूआईपी टोकरी में पहले से ही दस बीमारियों के लिए टीके हैं जिनमें से खसरा एक है। एक बार एमआर टीका शुरू होने के बाद वर्तमान मोनोवैलेन्ट खसरा बंद हो जाएगा।
- राष्ट्रीय वैक्सीन सलाहकार समिति (NVAC) द्वारा एमआर टीके की यूआईपी में शुरुआत के लिए सिफारिश दिए जाने के 3 साल बाद यह वैक्सीन लांच होगी।
- न्यूमोकोकल कंजुगेट (न्यूमोकोकल निमोनिया) टीका हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में पेश किया जाएगा।

रुबेला (एमआर):

- रुबेला, इसे "जर्मन खसरा" के नाम से भी जाना जाता है और रुबेला वायरस के कारण होता है। यह संक्रमित व्यक्ति के नाक और ग्रसनी के स्राव की बूंदों से या सीधे रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने पर फैलता है।
- आमतौर पर इसके लक्षण हल्के होते हैं। बच्चों में बुखार, सिरदर्द, फैलने वाले चकत्ते और कान के पीछे या गर्दन की लसीका ग्रंथियों में वृद्धि पाए जाते हैं। कभी कभी कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं। जटिलताओं में गठिया रोग, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया (रक्त में प्लेटलेट्स की कमी) और मस्तीष्क की सूजन शामिल है।
- रुबेला विकसित हो रहे भ्रूण में असंगतियां पैदा करता है। जन्मजात रुबेला सिंड्रोम (CRS) उन महिलाओं के बच्चों में होने की संभावना ज्यादा होती है जो गर्भावस्था के पहले 3 महीनों सें इससे संक्रमित हुई हों। CRS के लक्षणों में बहरापन, अधांपन, दिल की विकृतियां और मानसिक विकास में कमी शामिल है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी):

- भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) गुणवत्तापूर्ण वैक्सीन का उपयोग करने, लाभार्थियों की संख्या, टीकाकरण सत्रों के आयोजन और भौगोलिक प्रसार एवं क्षेत्रों की विविधता को कवर करने के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा अभियान है।
- राष्ट्रीय टीकाकाकरण नीति को वर्ष 1978 में अपनाया गया था, जिसका शुभारंभ ईपीआई द्वारा प्रारंभिक अवस्था के अस्सी प्रतिशत टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा दिया जाना था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय टीकाकाकरण नीति के दौरान सभी बच्चों को उनके जन्म के प्रथम वर्ष में प्राथमिक टीकाकाकरण समय सारणी के अंतर्गत डीपीटी, ओपीवी और बीसीजी का टीकाकरण किया जाता है।

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) का शुभारंभ चरणबद्ध तरीके से वर्ष 1985 में किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 1985 में खसरे के टीके और वर्ष 1990 में विटामिन-ए के पूरकता कार्यक्रम को जोड़ा गया।

भारत, पुर्तगाल के बीच रक्षा सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर:

भारत और पुर्तगाल के बीच रक्षा सहयोग समेत सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में रक्षा सहयोग तथा अक्षय ऊर्जा समझौते प्रमुख है।

मुख्य बिंदु

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में एमओयू : इसका उद्देश्य दोनों देशों के मध्य सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स पर विभिन्न परियोजनाओं में सहयोगी भूमिका निभाना है।

कृषि एवं सम्बंधित क्षेत्रों में एमओयू : इसका उद्देश्य वैज्ञानिक तथा तकनिकी सूचनाओं का अदन प्रदान करना है। इसके तहत दोनों देशों के मध्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा।

नवीकरणीय रहा पर एमओयू : इसका उद्देश्य दोनों देशों द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई तकनीक को बढ़ावा देना है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एक दूसरे देश की सहभागिता सुनिश्चित करना है तथा रोजगारपरक कार्यक्रम चलना है।

समुद्री अनुसन्धान और संसाधनों पर समझौता ज्ञापन : समुद्री विज्ञान, समुद्री पारिस्थितिकी , जलिए कृषि और जैव भूरासायन विज्ञान और समुद्री अम्लीकरण के तकनीकी और वैज्ञानिक विकास नामक विषयों पर आपसी सहयोग के साथ साथ जानकारी बढ़ाना।

रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

भारतीय सीमा से सटे तिब्बत में चीन ने दुनिया का सबसे ऊंचा दूरबीन लगाया:

- चीन ने भारत से सटे वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट तिब्बत प्रांत में दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई वाला गुरुत्वाकर्षण तरंग दूरबीन लगाया है। इसे लगाने में 18.8 मिलियन डॉलर की लागत आई है। इस दूरबीन के जरिये ब्रह्मांड से निस्तेज गुंजायमान प्रतिध्वनि का पता लगाएगा, जिससे बिग बैंग सिद्धांत के बारे में और ज्यादा पता लगाया जा सकता है।
- चाइनिज एकेडमी ऑफ साइंस के राष्ट्रीय खगोलीय वेधशालाओं के मुख्य शोधकर्ता याओ योंगक्विआंग ने कहा कि कोड नेम नगारी नंबर वन नाम से पहले दूरबीन का निर्माण कार्य नगारी प्रांत में शिक्वैनही शहर के 30 किलोमीटर दक्षिण शुरू हो चुका है।

- नागरी तिब्बत का अंतिम प्रांत है और यह चीन सीमा पर भारत से सटा है। सामरिक दृष्टि से यह स्थान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस स्थान पर चीन के दूरबीन लगाने से भारत को चिंता होना स्वाभाविक है।
- इस दूरबीन को समुद्र तल से 5250 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया है और उत्तरी गोलार्द्ध में मौलिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर सटीक आंकड़े का पता लगाएगा और एकत्रित करेगा। इसके 2021 तक चालू हो जाने की संभावना जताई जा रही है। याओ ने कहा कि इस दूरबीन के दूसरा चरण कोड नेम नगारी नंबर 2 को समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाएगा।
- उम्मीद है कि दूरबीन के जरिए अरबों प्रकाश वर्ष दूर रेडियो संकेतों को पकड़ा जा सकेगा। इसके निर्माण से अंतरिक्ष के अन्वेषण में चीन की क्षमता का विस्तार होगा।

दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट कार्यक्रम को राष्ट्र को समर्पित किया

केन्द्रीय बिजली,कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री पीयूष गोयल राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइट कार्यक्रम (एसएलएनपी) को 9 जनवरी, 2017 को देश को समर्पित किया । यह काग्रक्रम अभी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापन कार्यक्रम है। इसका क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा किया जा रहा है। ईईएसएल भारत सरकार का बिजली मंत्रालय के तहत काम करने वाला एक संयुक्त उपक्रम है।

- इस समय एसएलएनपी कार्यक्रम **पंजाब, हिमाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा,झारखंड,छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल,गोवा महाराष्ट्र ,गुजरात और राज्स्थान में चल रहा है।** अब तक पूरे देश में 15.36 लाख स्ट्रीट लाइटस एलईडी बल्बों द्वारा प्रतिस्थापित किए जा चुके हैं। परिणाम स्वरूप 20.35 करोड़ मेगावाट बिजली की बचत हुई है।
- इस कारण 50.71 मेगावाट क्षमता को टाले जाने से प्रति वर्ष 1.68 लाख टन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आई है। भारत में 12 अरब अमेरिकी डॉलर के ऊर्जा दक्षता बाजार के होने का अनुमान है। इससे वर्तमान उपभोग में अभिनव व्यापार और क्रियान्वयन के माध्यम से 20 प्रतिशत ऊर्जा की बचत होने की संभावना है।
- एसएलएनपी के तहत दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में अकेले दो लाख से अधिक स्ट्रीट लाइट प्रतिस्थापित किए गए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2.65 करोड़ मेगावाट बिजली की बचत होती है। इससे 6.6 मेगावाट क्षमता को टालने में मदद मिली है जिस कारण प्रति दिन 22,000 टन ग्रीन हाउस गैस को कम करने में मदद मिली है।

- इसके साथ ही दिल्ली में इस कार्क्रम के अगले चरण-II में पार्कों को ध्यान में ध्यान में रखते हुए 75,000 और स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए ईईएसएल ने बीएसईएस और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- ईईएसएल के पास दूर- दराज के स्ट्रीट लाइटस के संचालन और निगरानी के लिए ईईएसएल सख्त शिकायत निवारण प्रणाली और केन्द्रीकृत नियंत्रण एंव निगरानी प्रणाली(सीसीएमएस) भी है।
- इस मौके पर गोयल दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में मोबाइल एप ईईएसएल एल कंम्पलेंट एप का भी शुभारंभ करेंगे। इसके जरिये लोग दोषपूर्ण स्ट्रीट लाइट की शिकायत कर सकेंगे। इन शिकायतों को 48 घंटों के भीतर हल किया जाएगा।

मनरेगा के तहत काम के लिए अप्रैल 2017 से आधार अनिवार्य होगा:

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत काम हासिल करने के लिए अब आधार कार्ड का होना जरूरी है। मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार के एक सदस्य 100 दिन का रोजगार अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत जो लोग पंजीकरण कराते हैं, उन्हें आधार की प्रति देनी होगी या उन्हें 31 मार्च 2017 तक पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- जबतक संबंधित व्यक्ति के पास आधार नहीं आ जाता तबतक राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, तस्वीर के साथ किसान पासबुक, मनरेगा के तहत जारी रोजगार कार्ड तथा राजपत्रित या तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाणपत्र पहचान के रूप में स्वीकार होगा। जिन लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है, वे पंजीकरण का परचा या आवेदन की प्रति संबंधित अधिकारियों को दे सकते हैं।
- केंद्र जम्मू कश्मीर और कुछ अन्य राज्यों के लिए आधार का पंजीकरण को अनिवार्य किए जाने के लिए जरूरी आदेश जारी कर रहा है। लोगों को आधार संख्या हासिल करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, इसके लिये पर्याप्त कदम उठाये जा रहे हैं।
- सरकार ने इसके लिए आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं की लक्षित डिलीवरी) कानून 2016 की धारा सात का उपयोग किया है। इस धारा के तहत यह अनिवार्य है कि जहां सरकार भारत के संचित निधि से सब्सिडी, लाभ या सेवा देती है, वहां संबंधित व्यक्ति से सत्यापन या आधार संख्या होने के बारे में साक्ष्य मांगे जा सकते हैं।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा):

- यह भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे 25 अगस्त 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन

वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है। 2010-11 वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए केंद्र सरकार का परिव्यय 40,100 करोड़ रुपए था।

- इस अधिनियम को ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले लोगों के लिए अर्ध-कौशलपूर्ण या बिना कौशलपूरण कार्य, चाहे वे गरीबी रेखा से नीचे हों या ना हों। नियत कार्य बल का करीब एक तिहाई महिलाओं से निर्मित है। शुरू में इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) कहा जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामकरण किया गया।
- यह अधिनियम, राज्य सरकारों को "मनरेगा योजनाओं" को लागू करने के निर्देश देता है। मनरेगा के तहत, केन्द्र सरकार मजदूरी की लागत, माल की लागत का 3/4 और प्रशासनिक लागत का कुछ प्रतिशत वहन करती है। राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता, माल की लागत का 1/4 और राज्य परिषद की प्रशासनिक लागत को वहन करती है। चूंकि राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता देती हैं, उन्हें श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए भारी प्रोत्साहन दिया जाता है।
- हालांकि, बेरोजगारी भत्ते की राशि को निश्चित करना राज्य सरकार पर निर्भर है, जो इस शर्त के अधीन है कि यह पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी के 1/4 भाग से कम ना हो और उसके बाद न्यूनतम मजदूरी का 1/2 से कम ना हो। प्रति परिवार 100 दिनों का रोजगार (या बेरोजगारी भत्ता) सक्षम और इच्छुक श्रमिकों को हर वित्तीय वर्ष में प्रदान किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से तपेदिक (टीबी) के नए प्रोटोकॉल को लागू करने को कहा:

सुप्रीम कोर्ट ने 09 जनवरी 2017 को केंद्र से तपेदिक (टीबी) के नए प्रोटोकॉल को लागू करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर दवा का कंबिनेशन वही है तो फिर इसे सप्ताह में तीन दिन के बजाय रोजाना क्यों नहीं दिया जा सकता।

- याचिका में दावा किया है कि दवा की तीन खुराक हर हफ्ते देने के वर्तमान अभ्यास को पारंपरिक और समय की कसौटी पर उपयुक्त दैनिक खुराक को आहार के साथ प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

न्यू टीबी प्रोटोकॉल क्या कहता है?

राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के द्वारा सुझाये गए महत्वपूर्ण और अद्यतन क्षय रोग उपचार दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं:

- **दृष्टिकोण संबंधी बातें:** नकारात्मक दबाव के साथ क्षय रोग (टीबी) के संक्रमण वाले रोगियों को अलग करके एक निजी कमरे में रखना। रोगी का अलगाव जारी रखें जब तक थूक स्मीयर लगातार 3 निर्धारणों के लिए नकारात्मक न हो जाए।
- **दवाई से उपचार:** टीबी के प्रारंभिक अनुभवसिद्ध उपचार के लिए, रोगियों को 4 दवाइयां दी जानी चाहिए, आइसोनियाज़िड, रिफामीन, पैराजीनामाइड (केवल तक 2 महीने), एथेमब्युटोल या स्ट्रेप्टोमाइसिन।
- यदि तपेदिक फिर से होता है तो, उपचार का निर्धारण करने के पहले इस बात का परीक्षण करके निर्धारण कर लेना चाहिये कि यह किस एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील है। यदि एक से अधिक दवा प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर – टीबी) का पता चला है तो 18 से 24 महीनों के लिए कम से कम चार प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं के साथ उपचार की सिफारिश की जाती है।

रोग का कारक:

क्षय रोग विभिन्न प्रकार के माइकोबैक्टीरियम सामान्यतः माइकोबैक्टीरियम क्षय रोग (तपेदिक) के कारण होता है। आमतौर पर, यह रोग फेफड़ों पर आक्रमण करता है तथा फेफड़ों में फैल जाता है, लेकिन यह शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता हैं। यह रोग संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींकने या हवा में प्रसारित श्वसन के तरल पदार्थों के माध्यम से भी संचारित हो सकता है। यह स्थिति गंभीर हो सकती है, जिसे सही उपचार के साथ उपचारित किया जा सकता है।

भारत में टीबी की स्थिति:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने वर्ष 2014 में टीबी के 63 लाख मामले सामने आने की बात कही थी। इनमें से एक-तिहाई मामले भारत में थे. यानी इस मामले में यह पहले नंबर पर था। उसके बाद सरकार के तमाम दावों के बावजूद हालात सुधरने की बजाय बदतर ही हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इस मद में धन की कमी की वजह से इस जानलेवा बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई भी कमजोर पड़ रही है।
- मोटे अनुमान के मुताबिक, भारत में हर साल कोई सवा दो लाख लोग इस बीमारी के चलते मौत के मुंह में समा रहे हैं। टीबी पर नियंत्रण के लिए चलाई गई विभिन्न परियोजनाओं की वजह से वर्ष 1990 से 2013 के दौरान इस पर अंकुश लगाने में कुछ हद तक कामयाबी जरूर मिली थी। लेकिन दो साल पहले केंद्र में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मद में धन की कटौती का इन योजनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा और अब यह बेअसर साबित हो रही है।

यूनिसेफ ने #EarlyMomentsMatter (अर्लीमोमेंट्समैटर) अभियान की शुरुआत की:

यूनिसेफ ने लेगो फाउंडेशन द्वारा समर्थित अभियान #EarlyMomentsMatter की 10 जनवरी 2017 को शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य एक बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों के महत्व और उसके विकासशील मस्तिष्क पर होने वाले प्रारम्भिक अनुभवों के प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाना है

- इस महत्वपूर्ण समय के दौरान, मस्तिष्क की कोशिकायें लगभग 1,000 नए कनेक्शन बना सकती हैं, ये कनेक्शन, बच्चों को मस्तिष्क को चलाने और नयी गतिविधियां सीखने के लिए योगदान करते हैं। यह उनके भविष्य के स्वास्थ्य और खुशी की नींव रखता है।
- पोषण एवं देखभाल की कमी जिसमे पर्याप्त पोषण, उत्तेजना, प्यार और तनाव और हिंसा से सुरक्षा भी शामिल है के कारण इन महत्वपूर्ण कनेक्शन के विकास में बाधा हो सकती है।
- यह अभियान #EatPlayLove के साथ शुरू हुआ जोकि एक डिजिटल और प्रिंट पहल है। इस पहल का उदेश्य माता-पिता और देखभाल करने वालों के ऊपर केंद्रित है तथा जोकि तंत्रिका विज्ञान के माध्यम से यह बतलाता है कि बच्चों का दिमाग किस प्रकार विकसित होता है।
- एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित श्रृंखला 'द लैंसेट' के अनुमान के अनुसार, कम और मध्यम आय वाले देशों में पांच वर्ष से कम आयु वाले 43 प्रतिशत या लगभग 249 मिलियन बच्चे चरम गरीबी और कम वृद्धि से बुरी तरह प्रभावित हैं।
- लेकिन अधिक से अधिक निवेश और बचपन के विकास में कार्रवाई की आवश्यकता कम आय वाले देशों तक सीमित नहीं है। मध्यम और उच्च आय वाले देशों में रहने वाले वंचित बच्चे भी जोखिम पर हैं। यह अभियान बचपन विकास पर यूनिसेफ के व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है, एवं यह एच एंड एम फाउंडेशन, कॉनरोड एन हिल्टन फाउंडेशन, एलेक्स और एएनआई, और IKEA फाउंडेशन द्वारा समर्थित है।

तंबाकू नियंत्रण अरबों डॉलर और लाखों लोगों का जीवन बचा सकता है: डब्ल्यूएचओ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 जनवरी 2017 को कहा कि दुनिया भर में धूम्रपान करने वाले करीब 80 फीसदी लोग निम्न और भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। उसने धूम्रपान पर नियंत्रण के लिए नीतियों पर जोर दिया जिनमें कर लगाना और मूल्य वृद्धि भी शामिल है।
- इससे स्वास्थ्य सेवाओं और विकास कार्य के लिए राजस्व आ सकता है। यह तरीका ह्रदय रोग और कैंसर जैसी बीमारियों को कम करने में अत्यधिक मददगार साबित होगा।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के नए ऐतिहासिक वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू के इस्तेमाल से करीब 60 लाख लोग सालाना मरते हैं। ज्यादातर लोग

विकासशील देशों में रहते हैं। 700 पन्नों की यह रिपोर्ट ' द इकोनॉमिक्स ऑफ टोबैको एंड टोबैको कंट्रोल' में प्रकाशित हुई है।

- द इकोनॉमिक्स ऑफ टोबैको एंड टोबैको कंट्रोल के अनुसार, तंबाकू उद्योग और इसके घातक उत्पाद स्वास्थ्य व्यय और उत्पादकता में कमी करने के साथ ही दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाते हैं।
- रिपोर्ट के साथ जारी किये गए मोनोग्राफ में दो व्यापक क्षेत्रों पर जांच की गई है तंबाकू नियंत्रण का अर्थशास्त्र, तंबाकू का इस्तेमाल और इसकी बढ़ोतरी, विनिर्माण और व्यापार, कर और कीमतें, नियंत्रण नीतियाँ और तंबाकू के इस्तेमाल और उसके परिणामों को कम करने के लिए किये गए अन्य उपाय तथा वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के प्रयासों के आर्थिक निहितार्थ।
- मांग में कमी की नीतियां और कार्यक्रम तंबाकू उत्पादों में कमी के लिए अत्यधिक प्रभावी रहे हैं। इस तरह के हस्तक्षेप में तंबाकू टैक्स और उत्पाद शुल्क को बढ़ाना सम्मिलित है। तम्बाकू प्रयोग को कम करने के लिए तंबाकू उद्योग विपणन गतिविधियों पर रोक लगाना भी एक महत्वपूर्ण कदम है; प्रमुख सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी के लेबल और धूम्रपान मुक्त नीतियों और नशा मुक्त केंद्र भी अत्यधिक सहायक हैं।
- मोनोग्राफ 2016 में हुए अध्ययन का हवाला देते हुए कहता है कि अगर सभी देश उत्पाद शुल्क को 0.80 डॉलर (54.54 रुपये) बढ़ा दें तो सिगरेट से वार्षिक आबकारी राजस्व में विश्व स्तर पर 47% या 140 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो जायेगी।
- इसके अतिरिक्त, यह सिगरेट की खुदरा कीमतों को औसतन 42 प्रतिशत तक बढ़ा देगा तथा यह स्थिति धूम्रपान की दर में 9 फीसदी की गिरावट करेगी और 66 लाख वयस्कों को धूम्रपान करने से रोकेगी।
- 2013-2014 में, वैश्विक तंबाकू उत्पाद ने सरकार के राजस्व में लगभग 269 बिलियन डॉलर शुल्क करों के माध्यम से जमा कराये जबकि मात्र 1 अरब डॉलर को तंबाकू नियंत्रण में निवेश किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि तंबाकू नियंत्रण अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचाता।

मुंबई में पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी लॉन्च:

पानी के भीतर या सतह पर टॉरपीडो के साथ-साथ पोत-रोधी मिसाइलों से वार करने और रडार से बच निकलने की उत्कृष्ट क्षमता से लैस स्कॉर्पीन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी खान्देरी का 12 जनवरी 2017 को मझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में जलावतरण किया गया।

स्कॉर्पीन-क्लास पनडुब्बी खान्देरी से जुड़े प्रमुख तथ्य:

- स्कॉर्पीन श्रेणी की यह पनडुब्बी अत्याधुनिक फीचरों से लैस है। इनमें रडार से बच निकलने की इसकी उत्कृष्ट क्षमता और सधा हुए वार कर दुश्मन पर जोरदार हमला करने की योग्यता शामिल है।
- यह हमला टॉरपीडो से भी किया जा सकता है और ट्यूब-लॉन्च्ड पोत विरोधी मिसाइलों से भी। रडार से बच निकलने की क्षमता इसे अन्य कई पनडुब्बियों की तुलना में अभेद्य बनाएगी।
- यह पनडुब्बी हर तरह के मौसम और युद्धक्षेत्र में संचालन कर सकती है। नौसैन्य कार्यबल के अन्य घटकों के साथ इसके अंतर्संचालन को संभव बनाने के लिए हर तरह के साधन और संचार उपलब्ध कराए गए हैं। यह किसी भी अन्य आधुनिक पनडुब्बी द्वारा अंजाम दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अभियानों को अंजाम दे सकती है। इन अभियानों में सतह-रोधी युद्धक क्षमता, पनडुब्बी-रोधी युद्धक क्षमता, खुफिया जानकारी जुटाना, क्षेत्र की निगरानी करना शामिल है।
- खान्देरी उन छह पनडुब्बियों में से दूसरी पनडुब्बी है, जिसका निर्माण एमडीएल में फ्रांस की मेसर्स डीसीएनएस के साथ मिलकर किया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना के 'प्रोजेक्ट 75' का हिस्सा है। पहली पनडुब्बी कल्वारी समुद्री परीक्षण पूरे कर रही है और उसे जल्द ही नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा।
- भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा को इस साल 8 दिसंबर को 50 साल पूरे हो जाएंगे। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा के स्थापना की याद में हर साल पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है। 8 दिसंबर, 1967 को पहली पनडुब्बी – प्राचीन आईएनएस कल्वारी – को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था।
- पहली भारत-निर्मित पनडुब्बी आईएनएस शाल्की के साथ भारत 7 फरवरी, 1992 को पनडुब्बी बनाने वाले देशों के विशेष समूह में शामिल हुआ था। एमडीएल ने इस पनडुब्बी को बनाया और फिर एक अन्य पनडुब्बी आईएनएस शंकुल के 28 मई, 1994 को हुए जलावतरण के काम में लग गया। ये पनडुब्बियां आज भी सक्रिय हैं।
- खान्देरी का नाम मराठा बलों के द्वीपीय किले के नाम पर आधारित है। इस किले ने 17वीं सदी के अंत में समुद्र में उनके वर्चस्व को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई थी. खान्देरी टाइगर शार्क का भी नाम है।
- यह पनडुब्बी दिसंबर तक समुद्र में और पत्तन में, यानी पानी के अंदर और सतह पर परीक्षणों से गुजरेगी। इसमें यह जांचा जाएगा कि इसका प्रत्येक तंत्र पूर्ण क्षमता के साथ काम कर रहा है या नहीं। इसके बाद इसे आईएनएस खान्देरी के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा।

आईएलओ ने विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण 2017 रिपोर्ट जारी की:

संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 और 2018 के बीच भारत में बेरोजगारी में मामूली इजाफा हो सकता है और रोजगार सृजन में बाधा आने के संकेत हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने **'2017 में वैश्वितक रोजगार व सामाजिक दृष्टिकोण'** पर अपनी रिपोर्ट जारी की।

- रिपोर्ट के अनुसार रोजगार जरूरतों के कारण आर्थिक विकास पिछड़ता प्रतीत हो रहा है और इसमें पूरे 2017 के दौरान बेरोजगारी बढ़ने व सामाजिक असामनता की स्थिति के और बिगड़ने की आशंका जताई गई है।
- वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में भारत में रोजगार सृजन की गतिविधियों के गति पकड़ने की संभावना नहीं है क्योंकि इस दौरान धीरे धीरे बेरोजगारी बढ़ेगी और प्रतिशत के संदर्भ में इसमें गतिहीनता दिखाई देगी। रिपोर्ट के अनुसार, आशंका है कि पिछले साल के 1.77 करोड़ बेरोजगारों की तुलना में 2017 में भारत में बेरोजगारों की संख्या 1.78 करोड़ और उसके अगले साल 1.8 करोड़ हो सकती है।
- प्रतिशत के संदर्भ में 2017-18 में बेरोजगारी दर 3.4 प्रतिशत बनी रहेगी। वर्ष 2016 में रोजगार सृजन के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन थोड़ा अच्छा था। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया कि 2016 में भारत की 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर ने पिछले साल दक्षिण एशिया के लिए 6.8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने में मदद की है। रिपोर्ट के अनुसार, विनिर्माण विकास ने भारत के हालिया आर्थिक प्रदर्शन को आधार मुहैया कराया है , जो क्षेत्र के जिंस निर्यातकों के लिए अतिरिक्त मांग बढ़ाने में मदद कर सकता है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विाक बेरोजगारी दर और स्तर अल्पकालिक तौर पर उच्च बने रह सकते हैं क्योंकि वैश्विरक श्रम बल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषकर वैश्विकक बेरोजगारी दर में 2016 के 5.7 प्रतिशत की तुलना में 2017 में 5.8 प्रतिशत की मामूली बढ़त की संभावना है।
- आईएलओ के महानिदेशक गाइ राइडर ने कहा, इस वक्त हम लोग वैश्विाक अर्थव्यवस्था के कारण उत्पन्न क्षति व सामाजिक संकट में सुधार लाने और हर साल श्रम बाजार में आने वाले लाखों नवआगंतुकों के लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियों के निर्माण की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। आईएलओ के वरिष्ठ अर्थशास्त्री और रिपोर्ट के मुख्य लेखक स्टीवेन टॉबिन ने कहा, उभरते देशों में हर दो श्रमिकों में से एक जबकि विकासशील देशों में हर पांच में से चार श्रमिकों को रोजगार की बेहतर स्थितियों की आवश्यकता है।
- इस आंकड़े में दक्षिण एशिया व उप-सहारा अफ्रीका में और अधिक गिरावट आने का खतरा है। इसके अलावा, विकसित देशों में बेरोजगारी में भी गिरावट आने की संभावना है और यह दर 2016 के 6.3 प्रतिशत से घटकर 6.2 प्रतिशत तक हो जाने की संभावना है।

भारत-सीईआरटी ने अमेरिका-सीईआरटी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए

भारत और अमेरिका ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करवाए हैं। यह एमओयू साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है।

- उपर्युक्त एमओयू का **उद्देश्य हर देश के प्रासंगिक कानूनों, नियमों एवं विनियमों के साथ-साथ इस एमओयू के अनुसार भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है।** इस कार्य को समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर मूर्त रूप दिया जाएगा।
- इससे पहले अमेरिका एवं भारत ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा के लिए संबंधित देशों की सरकार के जवाबदेह संगठनों के बीच समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए 19 जुलाई, 2011 को एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे। संबंधित सूचनाओं को साझा करने और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए 19 जुलाई, 2011 से ही सीईआरटी-इन और अमेरिका-सीईआरटी के बीच नियमित रूप से आपसी संवाद जारी हैं।
- साइबर सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को जारी रखते हुए ही दोनों देशों ने इस एमओयू का नवीकरण किया है।

विश्व हिंदी दिवस:

- विदेश मंत्रालय और 160 से अधिक भारतीय दूतावासों ने 10 जनवरी 2017 को दुनियाभर में विश्व हिंदी दिवस मनाया। यह दिवस वर्ष 2006 से हर साल विश्व भर के भारतीय दूतावास द्वारा मनाया जाता है।
- इस दिवस का उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए वातावरण निर्मित करना, हिन्दी के प्रति अनुराग पैदा करना, हिन्दी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना है।
- प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन जनवरी 10, 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। अत: 10 जनवरी का दिन ही विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस के अलावा हर वर्ष सितम्बर 14 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है क्योकि इसी दिन 1949 में हिंदी को संविधान सभा ने राजभाषा का दर्जा दिया था।

राष्ट्रीय युवा महोत्सव :

- केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय प्रतिवर्ष युवाओं के प्रेरणास्त्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन इस बार

हरियाणा के रोहतक में 12 से 16 जनवरी के बीच कर रहा है। इस महोत्सव का मुख्य विषय '**डिजिटल इंडिया के लिए युवा**' है।

- इस वर्ष की थीम का लक्ष्य मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री के युवा नेतृत्व विकास की दृष्टि के लिए घोषित राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करना है।
- घोषित राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, एनएसडीए, एनएसडीसी, डीजीईटी और मध्यम और लघु उद्योग मंत्रालय आदि की विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में स्थानीय युवाओं और हजारों प्रतिभागियों के लाभ के लिए कौशल विकास प्रदर्शनी, व्याख्यान और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

भारत, रवांडा सामरिक साझेदारी बनाने के लिए सहमत:

भारत ने 10 जनवरी 2017 को रवांडा में एक सड़क परियोजना के लिए 8.1 करोड़ डॉलर के ऋण और दवाओं तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए तीस लाख डॉलर के अनुदान की घोषणा की। दोनों देशों ने सीमापार आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को अलग-थलग करने की जरूरत पर जोर देते हुए आतंकवाद से मिलकर निपटने का फैसला किया।

- आतंकवाद को सबसे बड़ा वैश्विक खतरा बताते हुए और सीमापार आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को अलग-थलग करने की जरूरत बताते हुए दोनों पक्षों ने आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण को रोकने, आतंकवादियों के सुरक्षित पनाहगाहों को समाप्त करने और धन शोधन रोकने समेत आतंकवाद निरोधक गतिविधियों पर मिलकर काम करने का फैसला भी किया।

डिफकॉम-2017 :

नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में 12 जनवरी 2017 को डिफकॉम-2017 के लिए पूर्वालोकन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिग्नल कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट और सिग्नल आफिसर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद ने 'डिजिटल सेना के लिए बुनियादी ढांचे और कुशल मानव संसाधन' विषय पर एक विवरण पुस्तिका का विमोचन भी किया।

- उपस्थित गणमान्य को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल आशीष रंजन प्रसाद ने आने वाले समय में नेटवर्क केंद्रित डिजिटल सेना को सूचना जानकारी के माध्यम से अत्याधुनिक युद्धक शक्ति में परिवर्तित करने में सक्षम समन्वित परिकल्पना और डिफकॉम-2017 से मिलने वाले ठोस परिणामों की जानकारी दी।

- एक वार्षिक सेमिनार के रूप में डिफकॉम-2017 को संयुक्त रूप से भारतीय सेना के सिग्नल कोर और भारतीय उद्योग संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम का आयोजन 23 और 24 मार्च, 2017 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया जाएगा। डिफकॉम सशस्त्र बलों, भारतीय उद्योग, शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के अधिकारियों के बीच सेना के लिए परिचालन संचार प्रणालियों से संबंधित मुद्दों पर वार्तालाप का सर्वाधिक लाभप्रद मंच है।

केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को हरित पैनल से मंजूरी मिली:

मोदी सरकार की महत्त्वाकांक्षी 9,393 करोड़ रुपये की केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को हरित पैनल और आदिवासी मामलों के मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और बुंदेलखड में पेयजल की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने घोषणा की कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के वित्त पोषण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए उनका मंत्रालय नीति आयोग के साथ काम कर रहा है।

- इसके बाद ही इसका औपचारिक निर्माण कार्य शुरू होगा। हालांकि अभी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से इस परियोजना को अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है जो आमतौर पर हरित पैनल की सिफारिशों को ध्यान में रखती है।
- पर्यावरण मूल्यांकन समिति ने 30 दिसंबर 2016 की बैठक में पूरी तरह से विचार करने के बाद परियोजना के पहले चरण पर सहमति व्यक्त की।
- केन-बेतवा नदी जोडो परियोजना इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है कि अगर यह प्रयोग सफल रहा तब देश की विभिन्न नदियों को आपस में जोडने की 30 योजनाओं का सपना साकार होने का मार्ग प्रशस्त होगा।

भारतीय काली मिर्च में कैंसर प्रतिरोधी गुण पाया गया:

- भारतीय लंबी काली मिर्च में कैंसर से मुकाबले का गुण पाया गया है। जल्द ही इसका इस्तेमाल नई दवा में किया जाएगा जिससे कैंसर का उपचार किया जा सकता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के अनुसार, लंबी काली मिर्च की पैदावार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में की जाती है।
- इस काली मिर्च में **पाइपरलांगमाइन (पीएल) नामक रासायनिक तत्व** पाया जाता है। इसमें हमारे शरीर में एक खास एंजाइम की उत्पत्ति को रोकने की क्षमता पाई गई है। यह एंजाइम ट्यूमरों में बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके रोकथाम से इस खतरनाक बीमारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। यह प्रोस्टेट, स्तन, फेफेड़े और ब्लड कैंसर के इलाज में कारगर हो सकता है।

भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव 'आदित्य' :

- केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कोच्चि (केरल) की **वेम्बनाड झील में भारत की पहली सौर ऊर्चा से संचालित नाव 'आदित्य'** को हरी झंडी दिखाई।
- इस नाव की छत पर 78 सौर पैनल लगे हुए हैं और इसमें 75 लोगों के बैठने की जगह है। यह बिना शोर और मामूली कंपन (वाइब्रेशन) के साथ अधिकतम 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है।

भारतीय डाक को भुगतान बैंक के कारोबार का लाइसेंस

भारतीय डाक को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक का व्यवसाय शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। ये सेवाएं कार्यक्रम के अनुसार शुरू की जाएंगी। **भारती और पेटीएम** के बाद भारतीय डाक भुगतान बैंक वह तीसरा कारोबारी संगठन है जिसे भुगतान बैंक सेवा कारोबार शुरू करने का लाइसेंस दिया गया है।

- रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों को एक व्यक्ति या कारोबारी इकाई से ज्यादा से ज्यादा एक लाख रूपए तक की जमा राशियां स्वीकार करने की छूट दी है।
- बैंक सेवाओं के विस्तार के इस मॉडल में मोबाइल फोन सेवा कंपनियों और सुपर-मार्केट श्रृंखला कंपनियों को व्यक्तियों और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की कारोबार की लेन-देन की जरूरतों को सुगम बनाने के लिए इस तरह के बैंक चालू करने की अनुमति देने का प्रावधान है।
- ये बैंक छोटी राशि की जमाएं लेने और पैसा हस्तांतरित करने जैसी सेवाएं देंगे। ये इंटरनेट बैंकिंग और कुछ अन्य विनिर्दिष्ट सेवाएं भी दे सकेंगै। 2015 में केंद्रीय बैंक ने 11 कंपनियों या कंपनियों के गठबंधनों को भुगतान बैंक का लाइसेंस देने की सैद्धांतिक सहमति दी थी जिसमें से कुछ ने अपनी योजना छोड़ दी है।
- भारतीय डाक का भुगतान बैंक गांवों, कस्बों और दूरदराज के इलाकों में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित तथा कम बैंकिंग वाले इलाकों में भुगतान बैंक के जरिए लोगों में अपनी पैठ बनाएगा। भारतीय डाक के ये बैंक **'भारतीय डाक भुगतान बैंक'** के नाम से जाने जाएंगे।
- भारतीय डाक की पूरे देश में 1 लाख, 54 हज़ार, 939 शाखाएं हैं और इनमें करीब 1.40 लाख शाखाएं ग्रामीण इलाकों में हैं।

  2015 में केंद्रीय बैंक ने 11 भुगतान बैंक शुरू करने की योजना मंजूर की थी। इनमें एयरटेल एम कॉमर्स लिमिटेड और पेटीएम को पहले ही लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं।

भुगतान बैंक क्या हैं?:–

- भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार का बैंक है जिसे सीमित दायरे में बैंकिंग कार्य करने की अनुमति दी जाती है। **ये बैंक जमाओं पर आधारित हैं जो ग्राहकों का पैसा जमा तो कर सकते हैं परंतु ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते।**
- प्रारंभ में ये बैंक प्रत्येक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए की जमाराशि स्वीकार कर सकते हैं तथा इन जमाराशियों को नकदी या सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश कर सकते हैं।
- भुगतान बैंक एटीएम/डैबिट कार्ड तो जारी कर सकता है परंतु क्रैडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता। ये अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रौद्योगिक प्रणालियों के माध्यम से भुगतान और धन भेजने की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं व म्यूचुअल फंड इकाइयों और बीमा उत्पाद जैसे जोखिम रहित सरल वित्तीय उत्पादों का वितरण कर सकते हैं।
- इन्हें बैंकिंग नियमावली 1987 की धारा 22 के अंतर्गत लाइसैंस जारी किए गए हैं। ये बैंक अपनी बैंकिंग सेवा, गांवों, कसबों और छोटे कामगारों तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिस से छोटे कारोबारी भी इन के माध्यम से आसानी से अपना पैसा जमा व अन्य लेनदेन कर सकें।
  इन बैंकों द्वारा इंटरनैट बैंकिंग की सुविधा भी प्रदान की जा सकेगी। भुगतान बैंक प्रीपेमैंट कार्ड के अलावा गिफ्ट कार्ड और मैट्रो कार्ड के साथ प्रौद्योगिकी आधारित लगभग सभी सेवाएं दे सकते हैं।

भुगतान बैंक के उद्देश्य–

ग्राहकों के धन को सुरक्षित रखना और जब भी जरूरत पड़े उन का भुगतान करना तथा ग्रामीण जनता में वित्तीय प्रवेश को बढ़ावा देना जिस के तहत लघु बचत खाते खोलना, प्रवासी श्रमिक वर्ग, निम्न आय अर्जित करने वाले परिवारों, लघु कारोबारों, असंगठित क्षेत्र की अन्य संस्थानों व अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान एवं विप्रेषण सेवाएं प्रदान करना ही इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य है।

भुगतान बैंक की मुख्य विशेषताएं :

- भुगतान बैंक का पूंजी आधार 100 करोड़ रुपए का होगा। भुगतान बैंक को सिर्फ भुगतान करने का अधिकार होगा। इन्हें ऋण सेवाएं देने और प्रवासी भारतीयों का खाता खोलने की अनुमति नहीं होगी। भुगतान बैंकों में शुरू में प्रति ग्राहक अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि जमा रखने की अनुमति होगी।
- भुगतान बैंक एटीएम डैबिट कार्ड तथा अन्य पूर्व जमा वाले भुगतान कार्ड आदि जारी कर सकेंगे लेकिन ये बैंक क्रैडिट कार्ड जारी नहीं कर सकेंगे। ये बैंक बिना जोखिम वाले साधारण वित्तीय उत्पाद जैसे बीमा उत्पादों के वितरण आदि का काम भी कर सकते हैं।
- इन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पैसे का भुगतान किया जा सकेगा, ये अपने प्रतिनिधियों, एटीएम व शाखाओं से नकदी का भुगतान करने का काम करेंगे।

जीएसएलवी एमके-3 रॉकेट के लिए क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण :

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने ज्यादा क्षमता वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। रॉकेट **'जीएसएलवी एमके 3'** की लांचिंग की दिशा में यह बड़ी उपलब्धि है। इस रॉकेट को इसी तिमाही में लांच किया जाना है। 'जीएसएलवी एमके 3' को अगली पीढ़ी का लांचर माना जा रहा है।

- इसकी क्षमता चार टन तक के वजन के साथ सेटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाने की है। रॉकेट लांचिंग के दौरान क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल बाद के चरणों में लांचर को अधिकतम वेग से धकेलने के लिए किया जाता है ताकि भारी वजन वाले सेटेलाइट को अंतरिक्ष की मनमाफिक कक्षा में पहुंचाया जा सके।
- **क्रायोजेनिक अपर स्टेज सी-25 इंजन का यह परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरि स्थित इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया गया।**
- सी-25 इसरो द्वारा बनाया गया सर्वाधिक क्षमता वाला अपर स्टेज इंजन है। इसमें ईधन के रूप में **तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन** का इस्तेमाल होता है।

क्रायोजेनिक इंजन:

- भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान में प्रयुक्त होने वाली द्रव ईंधन चालित इंजन में ईंधन बहुत कम तापमान पर भरा जाता है, इसलिए ऐसे इंजन निम्नतापी रॉकेट इंजन या तुषारजनिक रॉकेट इंजन (क्रायोजेनिक रॉकेट इंजिन) कहलाते हैं। इस तरह के रॉकेट इंजन में अत्यधिक ठंडी और द्रवीकृत गैसों को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में हाइड्रोजन और ईंधन क्रमश: ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य करते हैं।
- ठोस ईंधन की अपेक्षा यह कई गुना शक्तिशाली सिद्ध होते हैं और रॉकेट को बूस्ट देते हैं। विशेषकर लंबी दूरी और भारी रॉकेटों के लिए यह तकनीक आवश्यक होती है।
- क्रायोजेनिक इंजन के थ्रस्ट में तापमान बहुत ऊंचा (2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक) होता है। अत: ऐसे में सर्वाधिक प्राथमिक कार्य अत्यंत विपरीत तापमानों पर इंजन व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता अर्जित करना होता है। क्रायोजेनिक इंजनों में -253 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2000 डिग्री सेल्सियस तक का उतार-चढ़ाव होता है, इसलिए थ्रस्ट चैंबरों, टर्बाइनों और ईंधन के सिलेंडरों के लिए कुछ विशेष प्रकार की मिश्र-धातु की आवश्यकता होती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बहुत कम तापमान को आसानी से झेल सकने वाली मिश्रधातु विकसित कर ली है।

जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (जीएसएलवी):

- भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान (जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रक्षेपण में सहायक यान है। ये यान उपग्रह को पृथ्वी की भूस्थिर कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। जीएसएलवी ऐसा बहुचरण रॉकेट होता है जो दो टन से अधिक भार के उपग्रह को पृथ्वी से 36000 कि॰मी॰ की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित कर देता है जो विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा की सीध में होता है।
- गत कुछ वर्षो से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (पीएसएलवी) के बाद भारत ने उपग्रह भेजने में काफी सफलता प्राप्त की थी। जीएसएलवी अपने डिजाइन और सुविधाओं में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानि पीएसएलवी से बेहतर होता है।
- जीएसएलवी में इंजन के तीन स्तर होते हैं—पहले स्तर का इंजन ठोस ईंधन पर चलता है, दूसरे स्तर पर द्रव और ठोस ईंधन होता है और तीसरा सबसे ताकतवर इंजन क्रायोजेनिक होता है, जो उसे ज्यादा ऊंचाई तक ले जाता है। भारत के अब तक के जीएसएलवी कार्यक्रमों में कुछ आंशिक सफल रहे और कुछ असफल रहे, लेकिन पूरी तरह से स्वदेशी जीएसएलवी एक भी बार सफल नहीं हो पाया। अधिकांश जीएसएलवी कार्यक्रमों में रूसी क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल किए गए।

विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस :

विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों की सहायता तथा इस रोग से पीड़ित लोगों की देखभाल करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के बारे में जागरूकता पैदा करना हैं। इस दिवस के अवसर पर संसार भर के लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों को सहयोग प्रदान करते हैं तथा कुष्ठ रोग से पीड़ित होने वाले लोगों की सहायता के लिए धन भी इकट्ठा करते हैं।

- वर्ष 2017 के लिए विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस की थीम, **"जीरो डिसेबिलिटी अमंग चिल्ड्रन अफ्फेक्टेड बाई लेप्रोसी"** है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015 में विश्व स्तर पर 212000 लोगों को कुष्ठ रोग हुआ था जिसमे से 60% भारतीय थे, अन्य उच्च बोझ वाले देश ब्राजील और इंडोनेशिया थे। नए मामलों में 8.9% बच्चे थे और 6.7% विकृति के साथ दिखाई दे रहे थे।

कुष्ठ रोग:

- कुष्ठ रोग **माइकोबैक्टीरियम लेप्री** के कारण होने वाला एक क्रोनिक संक्रामक रोग है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा पर गंभीर कुरूप घाव हो जाते हैं तथा हाथों और पैरों की तंत्रिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस रोग को हैन्सेन का रोग (इस रोग के बैक्टीरिया की खोज़ करने वाले चिकित्सक डॉ. आर्मोर हैन्सेन के नाम रखा गया है) के रूप में भी जाना जाता है।
- कुष्ठ रोग को मल्टी ड्रग थेरेपी (एमडीटी) द्वारा सुसाध्य और उपचारित किया जा सकता हैं।

कुष्ठ रोग की रोकथाम के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां:

- भारत में कुष्ठ रोग के इलाज के लिए दुनिया का पहला टीका विकसित किया गया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कुष्ठ रोगी भारत में ही हैं। इस लिहाज से टीके को एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निदेशक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के अनुसार भारत में विकसित टीका पूरी दुनिया में कुष्ठ रोग के लिए पहला टीका है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के **जीपी तलवार** ने इस टीके को विकसित किया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और अमेरिका की एफडीए की मंजूरी इस टीके को मिल चुकी है।
- कुष्ठ के जीवाणुओं के शिकार लोगों के संपर्क में रहने वाले भी इस गंभीर बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं। यह टीका उनके लिए भी कारगर साबित होगा।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने 111 करोड़ आधार नंबर जारी :

देश के करीब हर व्यस्क नागरिक के पास आधार कार्ड हो चुका है। 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 99 प्रतिशत भारतीयों के पास अपना आधार कार्ड है। अब तक 111 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने आधार कार्ड के लिए नामांकन करा लिया है। आधार कार्ड नामांकन में आई तेजी से भारत को लेस-कैश सोसाइटी बनाने के सरकार के उस मुहिम को बल मिलेगा, क्योंकि इससे सरकार लोगों से '**आधारपे**' के इस्तेमाल को प्रोत्साहित कर सकेगी। आधारपे आधार कार्ड पर आधारित पेमेंट सिस्टम है।

आधार के लाभ:

- अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप घर बैठे प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। यानी की आधार कार्ड धारकों के लिए प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पेपरलैस, कैशलेस और ह्यूमन लेस हो गया है। इसके लिए बस आपको अपना बैंक खाता, आधार और बायोमीट्रिक डिटेल्स देना होगा।
- अगर आप आधार कार्ड होल्डर हैं तो आप ई-हॉस्पिटल सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस के लिए आपको सरकारी अस्पतालों और बड़े प्राइवेट अस्पतालों में आधार कार्ड के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।
- दुनिया के सबसे अमीर मंदिर तिरुपति के बालाजी मंदिर में अंगप्रदक्षिणम रस्म को करने के लिए बुकिंग के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इस लिए ताकि एक इंसान केवल एक बार ही इस पूजा को कर सके।

- कॉलेजों में एडमिशन के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप सरकार या यूजीसी से किसी तरह की स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आपको अपना आधार कार्ड देना होगा।
- डिजिटल इंडिया के तहत डिजिलॉकर खुलवाने के लिए आप को अपना आधार कार्ड देना होगा। आधार कार्ड के इस्तेमाल से आप अपना ईलॉकर बनाकर उसमें अप ने ई-डॉक्यूमेंट जमा करा सकेंगे।
- आयकर विभाग ने लोगों को आधार कार्ड के जरिए आयकर रिटर्न को ई-वेरिफाई करने की सुविधा दी है। यानी अब इनकम टैक्स रिटर्न भर ने के लिए आपको ई-फाइलिंग खाते को आधार कार्ड के साथ जोड़ना होगा।
- देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए चलने वाली सारी योजनाएं जैसे मिड-डे मील, प्राइमरी हेल्थकेयर और आरंभिक शिक्षा के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

आधार कार्ड:

यह भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (भा.वि.प.प्रा.) जारी करता है। यह संख्या, भारत में कहीं भी, व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। भारतीय डाक द्वारा प्राप्त और यू.आई.डी.ए.आई. की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया ई-आधार दोनों ही समान रूप से मान्य हैं।
कोई भी व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवा सकता है बशर्ते वह भारत का निवासी हो और यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करता हो, चाहे उसकी उम्र और लिंग (जेण्डर) कुछ भी हो। प्रत्येक व्यक्ति केवल एक बार नामांकन करवा सकता है। नामांकन निशुल्क है। आधार कार्ड एक पहचान पत्र मात्र है तथा यह नागरिकता का प्रमाणपत्र नहीं है।

इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे

- प्रलय के शिकार लोगों के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस (इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे) 27 जनवरी 2017 को मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के रेज़ोल्युशम द्वारा 01 नवम्बर 2005 को स्थापित किया गया था। इसके लिए दस्तावेज़ रूस, इजरायल, यूक्रेन, अमेरिका और कम से कम 90 अन्य देशों द्वारा शुरू किये गए थे।
- वर्ष 2017 में होलोकॉस्ट मेमोरियल समारोह को शामिल करते हुए, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस और एजुकेशन एक्टिविटीज के लिए इस वर्ष का विषय, **"होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस: एडुकेटिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर"** है। होलोकॉस्ट (प्रलय) इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था और उसके सबक चरमपंथ के खतरे और नरसंहार की रोकथाम के बारे में सिखाने के लिए काफी है।

जेनेटिकली मॉडिफाइड मच्छरों की मदद से डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका को समाप्त करने के परीक्षण शुरू:

डेंगू, जीका और चिकनगुनिया जैसी मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों से बचने का उपाय कई सालों से खोजा जा रहा है। इन बीमारियों की रोकथाम के लिए अब वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छरों के आउटडोर बंदी परीक्षणों को महाराष्ट्र के जालना जिले के दवलबाड़ी, बदनापुर में शुरू किया है।

- अपनी दक्षता प्रदर्शित करने के लिए, यह तकनीक जंगली मादा मच्छरों की आबादी को कम करेगी जोकि डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका जैसी बीमारियां फैलाती है। यह परीक्षण ऑक्सीटेक द्वारा आयोजित किये गए है और इसमें रिलीज ऑफ़ इंसेक्ट्स कैरीइंग डोमिनेंट लीथल जीन्स (RIDL) तकनीक का उपयोग किया गया है।
- ऑक्सीटेक की तकनीक जीएम पुरुष एडीज एजिप्टी मच्छरों का उपयोग करती है जोकि एक प्रमुख घातक जीन रखते हैं। ये मच्छर मादा एडीज मच्छरों के साथ यौन क्रिया में संलिप्त होने के तुरंत बाद मर जाएंगे।
- सहवास के दौरान प्रयोगशाला में विकसित मच्छर मादा एडीज में अपना आनुवंशिक दोष हस्तांतरित कर देंगे जो जल्दी मौत का कारण बनते हैं। इस आनुवंशिक दोष से ग्रसित मादा एडीज जिन बच्चों (मच्छरों) को जन्म देगी, वे जन्म लेते ही मर जाएंगे। इससे डेंगू, जीका, चिकनगुनिया जैसी मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाएगा।
- आनुवंशिक रूप से संशोधित इन मच्छरों का परीक्षण पनामा, केमैन द्वीप और ब्राजील के बाहिया में पांच बार 2011 से 2014 के बीच किया गया। जिन इलाकों में यह परीक्षण किया गया वहां मादा एडीज मच्छरों की संख्या काफी अधिक थी। परीक्षण में पाया गया कि आनुवंशिक रूप संशोधित इन मच्छरों को छोड़ने के बाद वहां मादा एडीज मच्छरों की संख्या में 90 फीसदी तक की गिरावट आ गई थी।
- इस मच्छर को ब्रिटेन की कंपनी 'ऑक्सीटेक' ने बनाया है। इस फर्म के प्रेसीडेंट हेडन पैरी का दावा है कि कंपनी हर सप्ताह छह करोड़ से अधिक मच्छरों का निर्माण कर सकती है। प्रथम चरण में ब्राजील के पीरासिकाबा शहर में एक करोड़ आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े गए थे। इस शहर की कुल जमसंख्या 3.6 लाख है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनियाभर में करीब 40 करोड़ लोग डेंगू से प्रभावित होते हैं। इस बीमारी की चपेट में विश्व के करीब 130 देश हैं। वर्ष 1970 से पहले डेंगू के गंभीर मामले केवल नौ देशों में पाए गए थे। इसका फैलाव अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के साथ कुछ यूरोपीय देशों में भी हुआ है।

भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए 14 अहम करार:

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने रणनीतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए 25 जनवरी 2017 को समग्र रणनीतिक साझेदारी के अलावा रक्षा, सुरक्षा, व्यापार एवं ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

दोनों देशों के बीच जिन मुख्य समझौतें इस प्रकार है:

- व्यापक सामरिक भागीदारी समझौता
- रक्षा उद्योग के क्षेत्र में सहयोग
- समुद्री परिवहन पर संस्थागत सहयोग
- भूमि और समुद्री परिवहन प्रशिक्षण
- भूमि और संयुक्त अरब अमीरात के समुद्री राजमार्ग
- मानव तस्करी रोकने
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार के लिए समझौता
- कृषि व जलवायु परिवर्तन संबंधित क्षेत्रों के बीच समझौता
- दोनों देशों के बीच राजनयिक विशेष और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए प्रवेश वीजा आवश्यकताओं के आपसी छूट संबंधी समझौता
- प्रसार भारती व अमीरात समाचार एजेंसी के बीच समझौता
- वाणिज्य मंत्रालय और भारत गणराज्य के उद्योग और व्यापार में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता
- तेल भंडारण और प्रबंधन पर करार और दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और अल इतिहाद ऊर्जा सेवा कंपनी एलएलसी के बीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
- इसके अलावा एक केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पॉवरग्रिड) और अबू धाबी जल एवं विद्युत प्राधिकरण के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

क्योटो प्रोटोकॉल सम्बंधित बिल के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी:

केन्द्र सरकार ने क्योटो करार के दूसरे प्रतिबद्धता काल को मंजूर करने पर सहमति जता दी है। क्योटो करार के तहत देशों को ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय करार के दूसरे प्रतिबद्धता काल को मंजूरी देने पर सहमति जताई जिसे 2012 में देशों ने अंगीकार किया था और अब तक 65 देश दूसरे प्रतिबद्धता काल को मंजूरी दे चुके हैं।

- भारत द्वारा क्योटो करार को मंजूरी देने से दूसरे विकासशील देश भी इस पर सहमति जताने को प्रोत्साहित होंगे। इस प्रतिबद्धता काल के दौरान स्वच्छ विकास प्रणाली परियोजनाओं को

लागू करना सतत: विकास प्राथमिकताओं के मुताबिक होगा जिससे भारत में कुछ निवेश भी आकर्षित होंगे।

- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसी) में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करने का आग्रह किया गया है ताकि जलवायु प्रणाली में कम से कम हस्तक्षेप हो।

क्योटो प्रोटोकॉल

- क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर एक अंतराष्ट्रीय संधि है। इस संधि पर दिसम्बर, 1997 में क्योटो सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किये गये। यह एक क़ानूनी एवं बाध्यकारी संधि हैं। इसके तहत संधि में शामिल सभी 38 विकसित देशों द्वारा सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 2012 तक 5.2 प्रतिशत कटौती करने का संकल्प व्यक्त किया गया है।
- इसका लक्ष्य ग्रीन हाउस गैसों, यथा-**कार्बन डाईऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर क्लोराइड, हाइड्रो क्लोरो कार्बन और क्लोरो-फ्लोरा कार्बन** के उत्सर्जन में वर्ष 2008 से 2012 तक प्रभावी कमी करना है। प्रोटोकॉल में स्पष्ट से रूप से उल्लेख किया गया है कि समझौते को लागू करने हेतु सम्मेलन में शामिल सभी 55 देशों, जिनमें 38 विकसित देश भी शामिल है, द्वारा पुष्टि होनी चाहिए एवं इन देशों का उत्सर्जन स्तर कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन का 55 प्रतिशत हो।

एफआरबीएम समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी:

पूर्व राजस्व एवं व्यय सचिव और पूर्व सांसद एन. के. सिंह की अध्यक्षता वाली राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) समिति ने 23 जनवरी 2017 को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी। समिति के अन्य सदस्य भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर डॉ. उर्जित आर. पटेल, पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी (एनआईपीएफपी) के निदेशक डॉ. रथिन राय भी इस अवसर पर उपस्थित थे। सरकार इस रिपोर्ट की जांच करने के बाद उचित कार्रवाई करेगी।
सरकार ने मई, 2016 में पूर्व राजस्व और व्यय सचिव और सांसद एन. के. सिंह की अध्यक्षता में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया था।

- इस समिति के व्यापक विचारणीय विषयों (टीओआर) में समकालीन परिवर्तनों के आलोक में मौजूदा एफआरबीएम अधिनियम, पिछले निष्कर्षों, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों, श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों की व्यापक समीक्षा करना और भविष्य के वित्तीय ढांचे और देश की योजनाओं की सिफारिश करना शामिल हैं।

- बाद में, चौदहवें वित्तीय आयोग और व्यय प्रबंधन आयोग की कुछ सिफारिशों के बारे में समिति का मत प्राप्त करने के लिए इसके विचारणीय विषयों बढ़ाया गया। ये विषय मुख्य रूप से वित्तीय मामलों के साथ-साथ बजट में नए पूंजीगत व्यय के साथ जुड़े कुछ वित्तीय मुद्दों पर संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने से संबंधित हैं।
- समिति ने अनेक हित धारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया। इसे प्रख्यात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेषज्ञों से भी जानकारी प्राप्त हुई। समिति ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों के साथ भी बातचीत का आयोजन किया।

राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम):

- एफआरबीएम अधिनियम को केंद्र एवं राज्य सरकारों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए लाया गया। इस विधेयक को संसद में वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया, वर्ष 2003 में इसे लोकसभा में पारित किया गया और वर्ष 2004 में इसे लागू कर दिया गया।
- इस विधेयक में राजस्व घाटे (revenue deficit) व राजकोषीय घाटे (fiscal deficit) को चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार कम करना था कि वर्ष 2008–09 में राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) 3% तथा राजस्व घाटा(revenue deficit) 0% के स्तर पर लाया जाए। किन्तु अनेक कारणों से यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया बल्कि वर्ष 2008-09 में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 6.2 प्रतिशत तक जा पहुंचा था।
- इस अधिनियम में मौद्रिक नीति के प्रभावी संचालन तथा विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन के जरिए जो केन्द्र सरकार के उधारों, ऋण तथा घाटे पर सीमाओं के माध्यम से राजकोषीय निरंतरता बनाए रखने, केन्द्र सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में बेहतर पारदर्शिता अपनाने तथा मध्यावधि रुपरेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करने और उससे संबद्ध मामलों अथवा आनुषंगिक मामलों के अनुरुप है, पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त कर तथा राजकोषीय अड़चनों को दूर करते हुए राजकोषीय प्रबंधन में अंतर-सामूहिक इक्विटी तथा दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थायित्व के सुनिश्चयन हेतु केन्द्र सरकार पर दायित्व डाला गया है।

राष्ट्रीय बालिका दिवस:

- राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया है।
- वर्ष 2016 भारत के लिए गर्व का वर्ष रहा है। इस वर्ष ओलिंपिक और पैरा ओलिंपिक में लड़कियों का शानदार प्रदर्शन रहा और भारतीय सेना में बेटियां पहली बार लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल की गईं। इस अवसर पर **महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया**

नई दिल्ली में वर्ष 2016 में देश की बेटियों की सराहनीय उपलब्धियों को देखते हुए राष्ट्रीय बलिका दिवस का आयोजन कर रहा है।

- इस अवसर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गयी। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत 10 जिलों को सराहनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। बालिकाओं के सशक्तिकरण पर दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं के लिए आयोजित क्षेत्रीय स्तर की क्वीज प्रतियोगिता के विजेताओं को कल पुरस्कार दिए जाएंगे।
- समारोह में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गीत और नाटक प्रभाग की टुकड़ियों द्वारा क्षेत्रीय प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैंगिक भेदभाव को नकारने और समान अवसर सुनिश्चित करने की जरुरत को रेखांकित करते हुए बालिका दिवस पर बधाई दी।

चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म 'लोंगयांगसिया डैम सोलर पार्क' बनाया:

चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फार्म **'लोंगयांगसिया डैम सोलर पार्क'** बनाया है। इस सौर ऊर्जा परियोजना में सौर पैनलों के द्वारा 27 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र घेरा गया है तथा इस पर 6 अरब युआन की कुल लागत आयी है। यह प्लांट 850 मेगावॉट ऊर्जा प्रदान करेगा जोकि 200,000 घरों तक आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त होगी। इस प्लांट के दाहिनी तरफ एक बड़ा सा बोर्ड भी लगा होगा जिस पर **"प्रमोट ग्रीन डेवलपमेंट! डेवेलप क्लीन एनर्जी"** का नारा लिखा हुआ है।

- इस सोलर पार्क से उत्पादित सोलर (सौर) ऊर्जा अब तक सूर्य से उत्पादित सर्वाधिक ऊर्जा होगी। चीन में कई सारे लोग कोयले पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए जरूरत के रूप में इस परियोजना के बारे में अत्यधिक उत्साहित हैं।
- चीन दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले देशों में से एक है।

सौर ऊर्जा:

- सौर ऊर्जा वह उर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। यहीं धरती पर सभी प्रकार के जीवन (पेड़-पौधे और जीव-जन्तु) का सहारा है।
- वैसे तो सौर उर्जा के विविध प्रकार से प्रयोग किया जाता है, किन्तु सूर्य की उर्जा को विद्युत उर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर उर्जा के रूप में जाना जाता है। सूर्य की उर्जा को दो प्रकार से विदुत उर्जा में बदला जा सकता है। पहला प्रकाश-विद्युत सेल की सहायता से और दूसरा किसी तरल पदार्थ को सूर्य की उष्मा से गर्म करने के बाद इससे विद्युत जनित्र चलाकर।

विशेषताएँ:

सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा में कई खास विशेषताएं हैं। जो इस स्रोत को आकर्षक बनाती हैं। इनमें इसका अत्यधिक विस्तारित होना, अप्रदूषणकारी होना व अक्षुण होना प्रमुख हैं। सम्पूर्ण भारतीय भूभाग पर 5000 लाख करोड़ किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मी० के बराबर सौर ऊर्जा आती है जो कि विश्व की संपूर्ण विद्युत खपत से कई गुने अधिक है। साफ धूप वाले (बिना धुंध व बादल के) दिनों में प्रतिदिन का औसत सौर-ऊर्जा का सम्पात 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रति वर्ग मीटर तक होता है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 गैर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम शुरू किया:

स्वास्थ्य मंत्रालय ने **हृदय रोग, आघात, कैंसर, मधुमेह और क्रोनिक श्वसन रोग** (क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग और अस्थमा) जैसे गैर संचारी रोगों से बचाव और उनके नियंत्रण के लिए एक विशेष योजना शुरु की है।

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में होने वाली कुल मौतों में से साठ फीसदी इन बीमारियों के कारण ही होती हैं। इनमें से 55 फीसदी मौत कम उम्र में हो जाती है जिसके कारण परिवारों और देश के उपर इन रोगों के इलाज का बड़ा खर्च आता है।
- विश्व आर्थिक मंच के अनुसार, भारत को गैर संचारी रोगों के कारण वर्ष 2012 और 2030 के बीच 4.58 ट्रिलियन डॉलर (311.94 खरब रुपये) का नुक्सान होगा। चूंकि इन बीमारियों में जटिलताओं के लक्षण उनके बढ़ने तक प्रदर्शित नहीं होते हैं, अतः उनका जल्दी पता लगाया जाना इलाज के लिए आवश्यक है।
- गैर संचारी रोगों के जल्दी पता लगा लेने से न केवल उपचार की शुरुआत आसान हो जाती है बल्कि उच्च वित्तीय लागत और पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। कुछ तरह के कैंसर के लिए, जिनका पता प्रारंभिक अवस्था में चल जाता है उनका इलाज आसानी से उपलब्ध हो पाता है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से के रूप में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 5 गैर संचारी रोगों अर्थात् उच्च रक्तचाप, मधुमेह, ओरल कैविटी, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की रोकथाम के लिए जनसंख्या के आधार पर रोकथाम, जांच और नियंत्रण कार्यक्रम की शुरूआत कर रही है।
- विश्व कैंसर दिवस, 4 फरवरी 2017 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू करने की उम्मीद है। अग्रपंक्ति के कार्यकर्ताओं (आशा और एएनएम) के प्रशिक्षण कुछ उप-केन्द्रों में शुरू किये जाएंगे और जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग भी शुरू कर देंगे।
- उपचार के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल, इन बीमारियों की स्थिति पर रेफेरल और इनका अनुवर्तन प्रदान किया जाएगा। पहले चरण में, जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग घटक 32 राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेशों के 100 जिलों में 1000 उप केंद्रों पर इस वर्ष के 31 मार्च तक शुरू की जाएगी।

- आशाओं को प्रमुख जोखिम वाले कारकों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, और यह एनसीडी की शुरुआत को रोकने में मदद करेगी। बाद के चरणों में,क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव श्वसन रोगों को भी शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम के लिए अन्य जिलों को भी कवर करने के लिए आगे बढ़ा जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम के प्रयासों, रेफरल और उपचार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को समर्थन भी प्रदान किया जाएगा।

11वीं शिक्षा पर वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER) 2016 जारी:

तमाम दावों के बावजूद सरकारें अपने स्कूलों को सक्षम नहीं बना सकी हैं। उनमें पढ़ाई का स्तर नहीं सुधर रहा। आलम यह है कि आज भी प्राथमिक स्तर पर पचास प्रतिशत बच्चे अपने से तीन क्लास नीचे की किताबें भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। इसका खुलासा गैर सरकारी संगठन **'प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन' की 'ऐनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) 2016'** में हुआ है।

रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख तथ्य:

- निजी स्कूलों में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के दाखिले की स्थिति मे कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यह 2016 में 30.5 प्रतिशत दर्ज किया गया जो साल 2014 में 30.8 प्रतिशत था।
- रिपोर्ट के अनुसार, निजी स्कूलों में दाखिले में 7 से 10 वर्ष आयु वर्ग और 11-14 आयु वर्ग में लैंगिक अंतर में गिरावट दर्ज की गई है। निजी स्कूलों में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग में लड़के और लड़कियों के दाखिले का अंतर 2014 में 7.6 प्रतिशत था जो 2016 में घटकर 6.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- केरल और गुजरात में सरकारी स्कूलों में छात्रों के दाखिले में काफी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, केरल के सरकारी स्कूलों में 2014 में छात्रों का दाखिला 40.6 प्रतिशत दर्ज किया गया जो 2016 में बढ़कर 49.9 प्रतिशत हो गया।
- इसी प्रकार से गुजरात के सरकारी स्कूलों में दाखिला 2014 के 79.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016 में 86 प्रतिशत दर्ज किया गया। स्कूलों में दाखिले का अनुपात 2009 में 96 प्रतिशत था, वह 2014 में 96.7 प्रतिशत और 2016 में 96.9 प्रतिशत दर्ज किया गया।
- राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के पुस्तक पढ़ने की क्षमता बेहतर हुई है विशेष तौर पर निजी स्कूल में प्रारंभिक स्तर पर। यह 40.2 प्रतिशत से बढ़कर 42.5 प्रतिशत दर्ज की गई है। अंकगणित में सरकारी स्कूल में प्रारंभिक स्तर के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हुआ है।
- हालांकि हिमाचल, महाराष्ट्र, हरियाणा और केरल के सरकारी स्कूलों में स्थित कुछ बेहतर हुई है। जहां पांचवीं क्लास के बच्चों में साधारण अंग्रेजी पढ़ने की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन

8वीं क्लास के बच्चों की स्थिति यहां भी पतली है। साल 2009 में 60.2 फीसदी के मुकाबले साल 2016 में आंकड़ा घटकर 45.2 फीसदी तक आ गया है।

- रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूलों की स्थिति निजी स्कूलों के मुकाबले सुधरी है। ग्रामीण भारत में सरकारी स्कूलों में दाखिला निजी स्कूलों के मुकाबले बढ़ा है और निजी स्कूलों की स्थिति जस की तस है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के मसौदे का लोकार्पण:

चौधरी बीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का मसौदा जारी किया। यह मसौदा दस्तावेज राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2005 में कुछ नई धाराएं जोड़कर और पहले से मौजूद धाराओं को बेहतर बनाकर कुछ बदलाव करेगा।

उद्देश्य:

- वर्ष 2030-31 तक 300 लाख टन कच्चे इस्पात की क्षमता के साथ एक विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग का निर्माण करना।
- वर्ष 2030-31 तक 160 किग्रा प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बढ़ाना।
- वर्ष 2030-31 तक उच्च ग्रेड ऑटोमोटिव स्टील, इलेक्ट्रिक स्टील, विशेष स्टील्स और सामरिक अनुप्रयोगों के लिए मिश्रित धातु की मांग को पूरा करना।
- वर्ष 2030-31 वॉशड कोकिंग कोयले की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाकर इसके आयात पर निर्भरता को 50% तक कम करना।
- 2025-26 से स्टील का शुद्ध निर्यातक बनना।
- सुरक्षित और स्थायी तरीके से वर्ष 2030-31 तक स्टील के उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान पर पहुंचना।
- घरेलू इस्पात उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों को विकसित और लागू करना।

इस्पात क्षेत्र का परिदृश्य:

- वर्ष 2014 में विश्व में क्रूड स्टील का उत्पादन बढ़कर 1665 मिलियन टन हो गया तथा इसमें 2013 से 1% की वृद्धि हुई है।
- वर्ष 2014 में चीन विश्व का क्रूड स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। इसके बाद जापान एवं फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान रहा। भारत इस सूची में चौथे स्थान पर था।
- डब्ल्यूएसए ने प्रक्षेपित किया है कि भारतीय इस्पात की मांग में वर्ष 2015 में 6.2% और वर्ष 2016 में 7.3% की वृद्धि हुई है जबकि इस्पात के वैश्विक उत्पादन में 0.5% और 1.4% की वृद्धि होगी। इन दोनों वर्षों में चीन के इस्पात उपयोग में 0.5 की गिरावट अनुमानित है।

घरेलू परिदृश्य:

भारतीय इस्पात उद्योग ऊँची आर्थिक वृद्धि और बढ़ती मांग के चलते 2007-08 से विकास की एक नयी अवस्था में प्रवेश कर चुका है।
उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी के चलते भारत विश्व में क्रूड इस्पात का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बन गया है। भारत स्पंज आइरन का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना गया है।

जल्लीकट्टू के बारे में अध्यादेश को केंद्र की मंजूरी:

केन्द्र ने 20 जनवरी 2017 को जल्लीकट्टू के बारे में अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इससे तमिलनाडु सरकार को राज्य में विरोध प्रदर्शन खत्म कराने के प्रयासों के तहत अध्यादेश जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। विरोध प्रदर्शनों के कारण पिछले पांच दिनों से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है।

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आश्वासन मिलने के बाद गृह, कानून और पर्यावरण मंत्रालयों ने राज्य के अध्यादेश के मसौदे की जांच की और संशोधनों को मंजूरी दी। यह अध्यादेश राज्य सरकार को भेज दिया गया है।
- इस अध्यादेश को मंजूरी देने और राज्यपाल विद्यासागर राव से अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तमिल लोगों की सांस्कृतिक आकांक्षाएं पूरी करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। मोदी ने कहा कि देश को तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है।
- उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र सरकार तमिलनाडु की प्रगति के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और राज्य को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाना सुनिश्चित करने के लिए काम करती रहेगी।

जल्लीकट्टू क्या है?

- जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाक़ों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है और जिसमे बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव तथा संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। ये 2000 साल पुराना खेल है जो उनकी संस्कृति से जुड़ा है।
- जल्लीकट्टू के जरिये तमिलनाडु के किसान अपनी और अपने सांढ़ की ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इससे उन्हें यह पता चल जाता है कि उनका सांढ़ कितना मजबूत है और ब्रिडिंग के लिए उनका उपयोग किया जाता है।

विवाद:

पशु कार्यकर्ताओं और पशु कल्याण संगठनों जैसे कि फेडरेशन ऑफ इंडिया एनिमल प्रोटेक्शन एजेंसी (FIAPO) और पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA)

आदि द्वारा दस साल की लड़ाई लड़ने के बाद 7 मई 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के साथ हिंसक बर्ताव को देखते हुए इस खेल को बैन कर दिया था।

भारत का समावेशी विकास सूचकांक में 60वां स्थान:

विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक रिपोर्ट के अनुसार समावेशी विकास सूचकांक में भारत को 60वें स्थान पर रखा गया है। इस सूचकांक में भारत को पड़ोसी देश चीन व पाकिस्तान से भी नीचे रखा गया है। यह सूचकांक 12 संकेतकों पर आधारित है। विश्व आर्थिक मंच की 'समावेशी वृद्धि एवं विकास रिपोर्ट 2017' 16 जनवरी 2017 को जारी की गई।

- विश्व आर्थिक मंच की समावेशी विकास रिपोर्ट 2017 में बताया गया है कि ज्यादातर देश आर्थिक तरक्की के महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ नहीं उठा रहे हैं और साथ ही विकास मॉडल और मूल्यांकन उपायों की विषमता पर कम ध्यान दे रहे है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीति नियंता कई वर्षों से जिस वृद्धि मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, वो पुराने हो चुके हैं और उनमें बदलाव की जरूरत है।

क्या है समावेशी विकास?

समावेशी विकास में जीडीपी में वृद्धि के साथ ही जनसंख्या के सभी वर्गो के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना शामिल है। परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है , क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास न तो टिकाऊ होता है और न ही समावेशी। यानी ऐसा विकास यहां सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में भी कमी आए।

कैबिनेट ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष में निवेश से राज्यों को बाहर रखने को मंजूरी दी:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्य सरकारों राज्यों/ केंद्र शाषित राज्यों (विधानमंडल के साथ) को 01 अप्रैल 2016 से राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) में निवेश से बाहर करने की मजूरी दी है।

- सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत कोष एनएसएसएफ से एफसीआई को इसकी खाद्य सब्सिडी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए के ऋण को भी 18 जनवरी 2017 को मंजूरी दी।
- अरुणाचल प्रदेश, अपने क्षेत्र के भीतर के एनएसएसएफ संग्रह में से 100% ऋण प्राप्त कर सकेगा वहीँ दिल्ली, केरल और मध्य प्रदेश को संग्रह का 50% प्रदान किया जाएगा।
- वित्त मंत्री के अनुमोदन से एनएसएसएफ भविष्य में उन वस्तुओं पर निवेश कर सकेगा जिनका व्यय अंतत: भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है और जिसके मूलधन और ब्याज की अदायगी संघ के बजट से वहन की जायेगी।
- मंत्रिमंडल ने अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल व मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों को एक अप्रैल 2016 से एनएसएसएफ में निवेश से छूट दी है। इससे राज्यों को बाजार से सस्ता धन जुटाने में मदद मिलेगी।
- एफसीआई, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच एनएसएसएफ की ओर से कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे जोकि ब्याज दर की अदायगी के लिए तौर तरीकों पर और मूलधन और भारतीय खाद्य निगम के कर्ज के पुनर्गठन को 2-5 साल के भीतर संभव करने के प्रयास पर केंद्रित होंगे।
- सरकार को एनएसएसएफ ऋण की अधिक उपलब्धता सरकारों की बाजार उधारी कम कर सकते हैं। राज्यों को हालांकि, बाजार उधारी में वृद्धि देखने को मिलेगी।

पृष्ठभूमि:

चौदहवें वित्त आयोग (FFC) ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारों को NSSF के निवेश के संचालन से बाहर रखा जा सकता है। NSSF ऋण राज्य सरकार के लिए एक अतिरिक्त कीमत आते हैं क्योंकि बाजार मूल्य अपेक्षाकृत कम हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 फरवरी 2015 को आयोजित बैठक में यह स्वीकार किया और कहा कि इस सिफारिश की विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद जांच की जायेगी।

मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम में संशोधन को मंजूरी:

केंद्रीय कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए मॉडिफाइड स्पेशल इन्सेंटिव पैकेज स्कीम (एम-एसआईपीएस) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार 10 हजार करोड़ रुपए का इन्सेंटिव देगी। यह स्कीम 18 मार्च 2017 तक के लिए होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 18 जनवरी 2017 को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ।

- इस फैसले से देश के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के साथ-साथ बड़े पैमाने पर जॉब्स पैदा करने और इम्पोर्ट पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स में 'नेट जीरो इम्पोर्ट' का लक्ष्य रखा है।
- कैबिनेट के फैसले के बाद कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए इन्सेंटिव स्कीम को मार्च 2018 तक के लिए कर दिया गया है। इनमें से 75 अप्लीकेशन को मंजूरी मिल चुकी है और इनमें 17,997 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है।
- इस स्कीम के तहत सभी राज्य और जिले कवर किए गए हैं। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट आकर्षित करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।

स्कीम में हुए प्रमुख संशोधन:

- एम-एसआईपीएस स्कीम के तहत अप्लीकेशन 31 मार्च 2018 या 10 हजार करोड़ रुपए के इन्सेंटिव कमिटमेंट तक (जो भी पहले हो) स्वीकार किए जाएंगे। 10 हजार करोड़ रुपए के इन्सेंटिव कमिटमेंट के मामले में आगे के फाइनेंशियल कमिटमेंट के लिए रिव्यू किगा जाएगा।
- नए अप्रूवल के लिए स्कीम के तहत इन्सेंटिव प्रोजेक्ट मंजूर होने की तारीख तक उपलब्ध होगा। न कि अप्लीकेशन प्राप्त होने की तारीख तक। प्रोजेक्ट की मंजूरी की तारीख से 5 साल तक किए गए इन्वेस्टमेंट के लिए इन्सेंटिव उपलब्ध होगा। स्कीम के तहत इन्सेंटिव लेने वाली यूनिट को कम से कम तीन साल के लिए कॉमर्शियल प्रोडक्टशन जारी रखने की अंडरटेकिंग देनी होगी।
- कम्प्लीट अप्लीकेशन जमा करने के 120 दिन के भीतर आम तौर पर पात्र अप्लीकेंट्स को अप्रूवल मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के अप्रूवल की सिफारिश करने वाली अप्रैजल कमिटी के अध्यक्ष सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी होंगे।
- 6850 करोड़ रुपए से अधिक के मेगा प्रोजेक्ट के मामले को कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में नीति आयोग के सीईओ, सेक्रेटरी- एक्सपेंडिचर और सेक्रेटरी- मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाली एक अलग कमिटी देखेगी।

पृष्टभूमि:

- कैबिनेट ने जुलाई 2012 में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए एम-एसआईपीएस को मंजूरी दीथी। इस स्कीम में कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत सेज में इन्वेस्टमेंट के लिए 20 फीसदी और नॉन सेज में 25 फीसदी सब्सिडी का प्रावधान था।
- इस स्कीम को अधिक आकर्षक और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए इसमें अगस्त 2015 में संशोधन किया गया। इस स्कीम के तहत 1.26 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट

प्रपोजल आया है। इसमें 17,997 करोड़ रुपए के प्रपोजल अप्रूव हो चुका है। सरकार का कहना है कि एम-एसआईपीएस का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा।

भारत-सर्बिया के बीच सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समझौते का अनुमोदन:

- सरकार ने भारत और सर्बिया के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किए गए समझौते का 18 जनवरी 2017 को अनुमोदन कर दिया ।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस समझौते से भारत और सर्बिया के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां तथा संगठन और क्षमता निर्माण संस्थान सक्रिय सहयोग और आदान- प्रदान कर सकेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान (IVI), दक्षिण कोरिया में भारत की सदस्यता को मंजूरी:

- कैबिनेट ने भारत को दक्षिण कोरिया के सियोल में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान की गवर्निंग काउंसिल में पूर्ण सदस्यता से संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान के लिए भारत को 5,00,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक अनुदान संस्थान को देना होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान (IVI), सियोल, दक्षिण कोरिया यूएनडीपी की पहल पर 1997 में स्थापित किया गया।

भारत और रूस के बीच युवा मामलों पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:

- भारत और रूस के बीच युवा मामलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान का कार्यक्रम विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
- आदान प्रदान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए चयन एक उद्देश्यपरक और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा और समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कार्यक्रमों के परिणाम सार्वजनिक जांच के लिए भी खुले रहेंगे।

मंत्रिमंडल ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान-झारखंड के गठन के लिये 200 करोड़ रपये की मंजूरी दी:

- सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) का झारखंड में एक दूरस्थ परिसर स्थापित करने के लिये 200.78 करोड़ रपये के व्यय को मंजूरी दे दी। आईएआरआई देश का प्रमुख राष्ट्रीय कृषि शोध एवं शिक्षण संस्थान है। इसका परिसर राष्ट्रीय राजधानी में स्थित है।
- इस परिसर के लिये 1,000 एकड़ जमीन झारखंड सरकार ने हजारीबाग जिले के बरही ब्लाक में गौरिया कर्मा गांव में उपलब्ध करायी है।

पेरू के साथ व्यापार वार्ता को मंजूरी:

- मंत्रिमंडल ने वस्तु, सेवा तथा निवेश में व्यापार के लिए पेरू के साथ व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की मंजूरी दे दी है। भारत और पेरू ने व्यापार समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए 15 जनवरी, 2015 को संयुक्त अध्ययन समूह का गठन किया था।
- दोनों पक्षों ने 20 अक्तूबर को अध्ययन को पूरा कर लिया और वस्तु, सेवा और निवेश में व्यापार के लिये बातचीत आगे बढाने पर सहमति जतायी।

सरकार ने समुद्री सहयोग से जुड़े भारत-संयुक्त अरब अमीरात समझौते को मंजूरी दी:

- सरकार ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री सहयोग से जुड़े एमओयू को मंजूरी दे दी। इससे समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, क्षमता प्रमाणपत्र, अनुमोदन, प्रशिक्षण दस्तावेजी साक्ष्य तथा चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र का द्विपक्षीय रूप से मान्यता का रास्ता साफ होगा।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला किया गया। इस बीच, सरकार ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री परिवहन, सीमा शुल्क सरलीकरण आदि के लिये एक अन्य एमओयू को मंजूरी दे दी।

कैबिनेट ने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के कॉरपोस में तीन गुणा वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी:

- छोटे कारोबारियों को क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 2 करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसके लिए कैबिनेट ने क्रेडिट गांरटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) के कॉरपोस में तीन गुणा वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ट्रस्ट का कॉर्पस 2500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7500 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
- अब क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को बैंक के अलावा एनबीएफसी द्वारा भी लोन दिया जा सकेगा।

'मिशन 41के'

- रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भारतीय रेलवे की ऊर्जा संबंधी पहलों पर बाह्य हितधारकों के साथ गोलमेज परिचर्चा के दौरान 'मिशन 41के' के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रभु ने कहा कि रेल मंत्रालय ने अगले दशक में रेलवे की **ऊर्जा लागत में 41,000 करोड़ रुपये की बचत** करने के लिए **'मिशन 41के'** तैयार किया है।
- रेल मंत्री ने कहा कि पिछले दशक में किये गये समस्त विद्युतीकरण कार्यों को दोगुना किया जायेगा और यह भारतीय रेलवे के ऊर्जा मिश्रण को बदल कर रख देगा। **भारतीय रेलवे ने 1000 मेगावाट सौर बिजली और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा है।**
- कुल माल ढुलाई के 45 फीसदी को ढोने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब इससे ढुलाई करना किफायती साबित होगा। इसके परिणामस्वरूप रेलवे अब सड़क क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी है। मौजूदा समय में 70 फीसदी ढुलाई बिजली कर्षण (विद्युत ट्रैक्शन) पर होती है। अगले 6-7 वर्षों में 90 फीसदी ढुलाई विद्युत ट्रैक्शन पर करने का लक्ष्य तय किया गया है। खुली पहुंच के जरिये बिजली की खरीद सुनिश्चित करने से विद्युत खरीद की लागत काफी कम हो गई है, जिसका संचालन व्यय में 25 फीसदी हिस्सा होता है।
- इसके अतिरिक्त रेल मंत्रालय ने **आवागमन की औसत गति में हर वर्ष 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करने के लिए 'मिशन रफ्तार'** शुरू किया है। भारतीय रेलवे का एक अन्य महत्वपूर्ण मिशन मधेपुरा और मरहौरा में उच्च अश्वशक्ति (एचपी) वाले लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करना है।
- रेलवे में अब तक लगभग 50 फीसदी मार्गों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, जो ऊर्जा संबंधी बिल को कम रखने और कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। रेल मंत्रालय अपने मिशन विद्यतीकरण के जरिये अगले कुछ वर्षों में विद्युतीकरण को 90 फीसदी के स्तर पर ले जाना चाहता है, ताकि आयातित ईंधन पर निर्भरता घट सके। ऊर्जा मिश्रण में बदलाव लाना और रेलवे की ऊर्जा लागत को तर्कसंगत करना भी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाई रेजोल्यूशन मौसम भविष्यवाणी मॉडल अपनाया:

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने मौसम के बेहतर पूर्वानुमान के लिए एक बहुत ही हाई रेजोल्यूशन (12 किमी) वाला वैश्विक नियतात्मक मौसम भविष्यवाणी मॉडल अपनाया है। इस मॉडल का परीक्षण सितंबर 2016 से किया जा रहा है।
- इसकी मदद से दैनिक मौसम के पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है। इस मॉडल को 16 जनवरी, 2017 से प्रयोग के लिए चालू कर दिया गया है। इस वर्तमान मॉडल को पूर्ववर्ती मॉडल जिसका हॉरिजॉन्टल (क्षैतिज) रेजोल्यूशन 25 किमी था, की जगह पर लाया गया है।
- यह बहुत भीषण चक्रवाती तूफान वर्दह की तीव्रता की और भारत के उत्तरी हिस्सों में शीत लहर की भविष्यवाणी में अत्यधिक कारगर था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पहले से प्रचलित एन्सेम्बल प्रेडिक्शन सिस्टम (ईपीएस) भी 12 किमी के लिए उन्नत किया जाएगा।
- इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास रखे हाई परफॉरमेंस कंप्यूटिंग (एचपीसी) को वर्तमान के 1.2 पेटाफ्लॉपस से 10 पेटाफ्लॉपस तक उन्नत किया जाएगा। वर्तमान में परिचालित ईपीएस का हॉरिजॉन्टल (क्षैतिज) रेजोल्यूशन 25 किमी है। ईपीएस को पूर्वानुमान में आने वाली अनिश्चितता की समस्या को दूर करने के लिए अपनाया गया है।
- यह कई बदलती प्रारंभिक स्थितियों का उपयोग कर कई पूर्वानुमानों को उत्पादित करता है। ईपीएस संभाव्य पूर्वानुमान पैदा करने में भी मदद करता है और अनिश्चितताओं को भी सही ढंग से मापता है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) विभिन्न उपयोगकर्ताओं को प्रत्येक दिन मौसम, जलवायु और जल विज्ञान सेवा प्रदान करता है। इस सेवाओं के संचालन और अनुसंधान दोनों पहलुओं के लिए मंत्रालय के अंदर विभिन्न इकाइयां कार्यरत हैं, जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), नेशनल सेण्टर फॉर मध्यम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (एनसीएमआरडब्ल्यूएफ), इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ़ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी (आईआईटीएम) और इंडियन नेशनल सेण्टर फॉर ओसियन इनफार्मेशन सिस्टम (आईएनसीओआईएस)।
- सामान्य तौर पर, पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में मौसम और जलवायु के पूर्वानुमान के कौशल में सुधार हुआ है। मुख्य रूप से यह सुधार, आम जनता के मौसम के पूर्वानुमान, मानसून के पूर्वानुमान, भारी वर्षा की चेतावनी और उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी और अलर्ट में हुआ है।

केंद्र सरकार ने ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ रोकने के लिए नैशनल अलायंस बनाने का फैसला किया:

- केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश के 40 प्रतिशत बच्चों पर यौन शोषण का खतरा मंडरा रहा है। मंत्रालय ने 16 जनवरी 2017 को यह आंकड़ें जारी किए और साथ ही ऑनलाइन चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ रोकने के लिए नैशनल अलायंस बनाने का भी फैसला किया।

- मंत्रालय ने इस नैशनल अलायंस के रूप निर्धारण के लिए बैठक भी की। मंत्रालय ने बताया कि बीते 8 महीने में चाइल्डलाइन पर ही 4 हजार से ज्यादा यौन शोषण मामलों की शिकायत मिली है। कई स्टडीज का हवाला देते हुए यह भी बताया गया कि देश के 40 प्रतिशत बच्चे यौन शोषण के खतरे का सामना कर रहे हैं और इनमें लड़कियों की संख्या ज्यादा है जो इंटरनेट पर भी शिकार हो रही हैं।
- बाल यौन शोषण की गंभीरता को देखते हुए ही नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने बीते साल POCSO ई-बॉक्स लॉन्च किया था। इसके जरिए बच्चे आसानी से अपना ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ई-बॉक्स को अब तक 157 शिकायतें मिली हैं।
- NCPCR चीफ स्तुति केचर ने बताया, 'देश के अलग-अलग हिस्सों से शिकायतें मिली हैं और अधिकतर 12 से 16 साल के बच्चों ने शिकायत की।' बता दें कि 2015 के आंकड़ों के मुताबिक POCSO ऐक्ट के तहत दिल्ली चिल्ड्रन कोर्ट्स में जो मामले दर्ज किये गए उनमें से 85 प्रतिशत लंबित हैं।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग:

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की स्थापना संसद के एक अधिनियम (दिसम्बर 2005) बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियाँ, नीतियां कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्श के अनुरूप हों, जैसाकि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (कन्वेशन) में प्रतिपा ादित किया गया है। बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में पारिभाषित किया गया है।
- आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्श की परिकल्पना करता है, जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रवाहित होता है, जिसके साथ राज्य, जिला और खण्ड स्तरों पर पारिभाषित प्रतिक्रियाएं भी शामिल है, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं और मजबूतियों को भी ध्यान में रखा जाता है प्रत्येक बालक तक पहुंच बनाने के उद्देश्य से, इसमें समुदायों तथा कुटुम्बों तक गहरी पैठ बनाने का आशय रखा गया है तथा अपेक्षा की गई है कि क्षेत्र में हासिल किए गए सामूहिक अनुभव पर उच्चतर स्तर पर सभी प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा।
- इस प्रकार, आयोग बालकों तथा उनकी कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के लिए एक अपरिहार्य भूमिका, सुदृढ़ संस्था-निर्माण प्रक्रियाओं, स्थानीय निकायों और समुदाय स्तर पर विकेन्द्रीकरण के लिए सम्मान तथा इस दिशा में वृहद सामाजिक चिंता की परिकल्पना करता है।

इस्तेमाल किये गए कीटनाशकों के अत्यधिक समीप रहने से मधुमेह का खतरा:

तमिलनाडु की मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में पाया है कि ओर्गानोफॉस्फेट कीटनाशकों के लगातार समीप रहने से मधुमेह होने का अत्यधिक खतरा होता है और मनुष्यों और चूहों दोनों में ग्लूकोस की सहनशीलता बिगड़ जाती है।

- शोधकर्ताओं ने पाया है कि ओर्गानोफॉस्फेट प्रेरित मधुमेह की बीमारी गट बैक्टीरिया (पेट और आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया) के द्वारा संचारित होती है। ये निष्कर्ष जर्नल जीनोम बायोलॉजी में प्रकाशित किए गए थे।
- विश्वविद्यालय के आसपास के गांवों में लगभग 3,000 लोगों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि जो व्यक्ति कीटनाशकों के लगातार समीप रहते हैं उनमे बाकियों की अपेक्षा बीमार होने का खतरा तीन गुना अधिक है।
- चार ओर्गानोफॉस्फेट कीटनाशकों के सीरम विश्लेषण में कीटनाशक के स्तर और एचबीए1सी के बीच सीधे संबंध का पता चला है। यह ज्ञात हुआ है कि कीटनाशक अवशेषों में हर इकाई वृद्धि के साथ ही एचबीए1सी के स्तर में एक इकाई की वृद्धि हुई थी। यह जानकारी आण्विक जीवविज्ञान विभाग, मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी के डॉ गणेशन वेलमुरुगन ने दी।

मधुमेह:

- मधुमेह की बीमारी एक खतरनाक रोग है। यह बीमारी में हमारे शरीर में अग्नाशय द्वारा इंसुलिन का स्त्राव कम हो जाने के कारण होती है। रक्त ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है, साथ ही इन मरीजों में रक्त कोलेस्ट्रॉल, वसा के अवयव भी असामान्य हो जाते हैं। धमनियों में बदलाव होते हैं। इन मरीजों में आँखों, गुर्दों, स्नायु, मस्तिष्क, हृदय के क्षतिग्रस्त होने से इनके गंभीर, जटिल, घातक रोग का खतरा बढ़ जाता है।
- मधुमेह होने पर शरीर को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। पेट फिर भी भोजन को ग्लूकोज में बदलता रहता है। ग्लूकोज रक्त धारा में जाता है।

पृष्ठभूमि

डब्ल्यूएचओ की 7 अप्रैल, 2016 की रिपोर्ट के अनुसार, मधुमेह से 2012 में पूरी दुनिया में 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। 2014 में 42.2 करोड़ लोग मधुमेह से पीड़ित थे। यह आंकड़ा पूरी दुनिया की वयस्क आबादी का लगभग 8.5 प्रतिशत था। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, विश्व में 2030 तक विभिन्न रोगों से होने वाली मौतों में मधुमेह सातवां रोग हो सकता है। साथ ही डब्ल्यूएचओ ने दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को इस पर नियंत्रण के लिए आगाह भी किया है।

बीसीसीआई को चलाने हेतु चार सदस्यीय समिति की नियुक्ति :

- पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) **विनोद राय** चार सदस्यीय प्रशासकों के उस दल की अगुवाई करेंगे जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) का संचालन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी 2017 को राय के अलावा मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी क प्रबंध निदेशक विक्रम लिमये और पूर्व महिला क्रिकेटर डायना एडुलजी को भी इसमें स्थान मिला है।
- शीर्ष अदालत ने कहा कि बीसीसीआई के संयुक्त सचिव अमिताभ चौधरी और विक्रम लिमये फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- सुप्रीम कोर्ट ने 24 जनवरी को बीसीसीआई से प्रशासक के लिए नाम सुझाने को कहा था। एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम और एडवोकेट अनिल दीवान द्वारा सुझाए गए 9 नामों को बहुत अधिक मानते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया था।

एस्ट्रोसैट ने वैम्पायर तारे की प्रक्रिया को कैमरे में कैद किया:

- भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट ने छह अरब साल पुराने छोटे वैम्पायर तारे द्वारा एक बड़े तारे का शिकार करने की प्रक्रिया को कैमरे में कैद किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि छोटा तारा जिसे ब्लू स्ट्रैगलर भी कहा जाता है, वह अपने साथी तारे के द्रव्यमान और उसकी उर्जा को सोख लेता है।
- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान में प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने कहा, सबसे लोकप्रिय व्याख्या यह है कि ये बाइनरी प्रणालियां हैं जिनमें एक छोटा तारा बड़े साथी तारे के द्रव्यमान को सोखकर बड़ा ब्लू स्ट्रैगलर बन जाता है और इसलिए इसे वैम्पायर तारा भी कहते हैं। उन्होंने कहा, छोटा तारा पहले से अधिक बड़ा, गर्म और नीला बन जाता है जिससे वह कम आयु का प्रतीत होता है।
- हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना के बारे में पहली बार सुना गया हो लेकिन टेलीस्कोप के जरिए पूरी प्रक्रिया ऐसी जानकारी मुहैया कराएगी जो ब्लू स्टैगलर तारों के बनने के अध्ययन में वैज्ञानिकों की मदद करेगी। यह एस्ट्रोसैट पर टेलीस्कोप की क्षमताओं को रेखांकित करता है। समर्पित अंतरिक्ष वेधशाला उपग्रह एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण सिंतबर 2015 में किया गया था।
- इस अध्ययन को एएआई, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स (आईयूसीएए), टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (टीआईएफआर), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और कनाडियन स्पेस एजेंसी (सीएसए) के वैज्ञानिकों के दल ने एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में हाल में प्रकाशित किया है।

- वैज्ञानिक अब उच्च रेजोल्यूशन वाली स्पैक्ट्रोस्कोपी के जरिए ब्लू स्टैगलर की रासायनिक संरचना को समझ रहे हैं जिससे इन विशेष आकाशीय पिंडों के विकास के बारे में और जानकारी मिल पाएगी।

मिस यूनिवर्स 2017:

फ्रांस की 24 साल की **आइरिस मितेनेयर** ने 65वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का ताज अपने नाम कर लिया है। हैती की राक्वेल पेलिशियर दूसरे स्थान पर रहीं। मूल रूप से पेरिस की आइरिस दंत शल्य चिकित्सा में स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं।

- मिस यूनिवर्स बनने के बाद अब उनका लक्ष्य दांतों और मुख की स्वच्छता संबंधी जागरूकता फैलाने का है। वह नॉर्दन फ्रांस के लिली की रहने वाली हैं। भारत की रोशमिता हरिमूर्ति अंतिम 13 में भी जगह बनाने में नाकामयाब रही।
- पूर्व मिस यूनिवर्स एवं भारतीय अभिनेत्री सुष्मिता सेन प्रतियोगिता में जज की भूमिका में थी। सुष्मिता ने वर्ष 1994 में यह खिताब जीता था। वहीं, भारतीय मूल की सिख गर्ल किरन जस्साल ने मलेशिया को रिप्रेजेंट किया था। प्रतियोगिता की अंतिम 13 प्रतिभागी केन्या, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पेरू, पनामा, फिलिपीन, कनाडा, ब्राजील, थाईलैंड और अमेरिका से थीं।
- मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 65वां संस्करण खास रहा क्योंकि इस बार यह फिलिपिंस के मनीला शहर में आयोजित हुआ।

सॉन्गबर्ड की नई प्रजाति पश्चिमी घाट में पायी गयी:

पश्चिमी घाट के उच्चतम पर्वतमाला के खंडित जंगलों का रहस्य प्रकृतिवादियों को पता चला है। इन "आकाश द्वीपों" की कई महत्वपूर्ण खोज में लगे हुए शोधकर्ताओं ने दो नयी स्थानिक पीढ़ियों और **सॉन्गबर्ड** की एक नई प्रजाति को नामित किया है।

- यह शोध बीएमसी इवोलूशनरी बायोलॉजी के नए अंक में प्रकाशित हुआ है। टीम ने दो नयी पीढ़ियों को नामित किया है, **पश्चिमी घाट की शार्टविंग्स को शोलीकोला और लाफिंग थ्रशस को मोंटेसिनक्ला।** नव वर्णित शोलीकोला अशम्बुएंइसेस अगस्त्यमलाई पर्वत श्रृंखला तक ही सीमित है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस और बेंत उद्योग :

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस और बेंत उद्योग में छिपी संभावनाओं का दोहन करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), कपड़ा मंत्रालय ने 29 जनवरी 2017 को शिलांग में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

- समझौता ज्ञापन के अनुसार कुशल कार्मिकों, प्रौद्योगिकी संप्रेषण, विपणन और संस्थागत सहायता के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस और बेंत उद्योग में छिपी संभावनाओं का दोहन करने के उपाय किए जाएंगे।
- इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, मेघालय के मुख्यमंत्री मुकुल संगमा, केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह, केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री किरेन रिजिजू, कपड़ा राज्यमंत्री अजय टमटा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष नीति आयोग, डा अरविंद पनगढिया भी मौजूद थे।

आईएमडी की 660 जिलों में मौसम केन्द्र स्थापित करने की योजना:

- भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने कृषि गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये देश के 660 जिलों में मौसम केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। बाद में इस योजना को ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा।
- पहले चरण में आईएमडी ने 130 जिलों में मौसम केन्द्र स्थापित करने की योजना बनायी है। इन जिलों का पहले ही चयन कर लिया गया है। आईएमडी ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत कृषि विग्यान केन्द्रों का मौसम भविष्यवाणी की वेधशालाओं के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कृषि मंत्रालय से हाथ मिलाया है। मौसम भविष्यवाणियां सप्ताह में चार दिन मंगलवार से बृहस्पतिवार के बीच जारी की जाएंगी।
- आईएमडी के महानिदेशक के जे रमेश ने कहा, हमारे पास 130 जिलों में मौसम भविष्यवाणी तंत्र है जो पड़ोसी जिलों के लिए भविष्यवाणी करता है। अब इसे आगे बढ़ाया जाएगा और हर जिले के पास मौसम भविष्यवाणी की व्यवस्था होगी।
- उन्होंने कहा, कृषि विज्ञान केन्द्रों में कृषि के विभिन्न क्षेत्रों पर विशेषग्यों के साथ वैग्यानिकों की अच्छी टीम है। उनमें से किसी एक को प्रभारी बनाया जाएगा। साथ ही हम एक वैज्ञानिक अधिकारी और तकनीकी सहायक के लिए वित्तीय व्यवस्था भी करेंगे। रमेश ने बताया कि बाद में इस योजना को ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने 2019 तक 660 जिलों में मौसम केन्द्र स्थापित करने की योजना बनायी है। आईएमडी इस साल से राज्य आधारित मौसम भविष्यवाणी करना भी शुरू करेगा।

केंद्र ने एन.एफ.एम.एम के तहत फिल्म कंडीशन एसेस्मेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया:

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय देश की फिल्मी एवं गैर फिल्मी धरोहर की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वैश्विक मानकों के अनुरूप भावी पीढ़ी के लिए फिल्मों एवं गैर फिल्मी सामग्रियों के परिरक्षण के लिए सभी संभव कदम उठा रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के

लिए ही पुणे में **फिल्म कंडीशन एसेस्मेंट** को लांच किया गया जो राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन, एनएफएचएम के कार्यान्वयन का पहला चरण है।

- यह दुनिया में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें सरकार फिल्म संरक्षण के पहलू की दिशा में भारी धनराशि खर्च कर रही है जिससे कि समृद्ध फिल्मी धरोहर आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध कराए जा सके।
- एनएफएआई में लगभग 1,32,000 फिल्मों के रीलों की स्थिति का आकलन किया जाएगा और इन रीलों के जीवन को विस्तारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रथम चरण के दौरान, प्रत्येक फिल्म की रील को ट्रैक किया जाएगा और आरएफआईडी टैगिंग के द्वारा उनकी निगरानी की जाएगी।
- एनएफएआई बड़ी संख्या में पोस्टरों, तस्वीरों, गीत पुस्तिकाओं, इश्तेहारों, प्रेस क्लिपिंग, स्लाइड ट्रांसपेरेंसी, ग्लास निगेटिव्स आदि जैसी फिल्म सहायक सामग्रियों का परिरक्षक रहा है जिन्हें इस प्रक्रिया के दौरान डिजिटाइज किया जाएगा तथा उनका पुनः स्थापन किया जाएगा।
- एनएफएचएम देश के समृद्ध सिनेमाई धरोहर के संरक्षण, परिरक्षण, डिजिटाइजेशन एवं पुनः स्थापन के लिए भारत सरकार का एक सम्मानित मिशन है। नेशनल फिल्म आरकाइव ऑफ इंडिया (एनएफएआई) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल संगठन है। परियोजना के कार्यान्वयन, जो फिल्म कंडीशन एसेस्मेंट मिशन के पहले चरण के लॉन्च के साथ आरंभ हुआ था, के लिए 597.41 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

29वां केरल विज्ञान कांग्रेस पथनमथेट्टा जिले के तिरूवला में शुरू:

- 29वां केरल विज्ञान कांग्रेस पथनमथेट्टा जिले के तिरूवला में 28 जनवरी 2017 से शुरू हो गया है। तीन दिवसीय इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पिनाराई विजियन ने किया। इस कार्यक्रम का आयोजन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की केरल राज्य परिषद तथा केरल वन अनुसंधान संस्थान ने मिलकर किया है।
- **'पारिस्थितिकी और पर्यावरण'** इस वर्ष विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय हैं।
- कार्यक्रम में तकनीकी सत्र होंगे जिसमें वैज्ञानिकों के व्याख्यान, शोध पत्र प्रस्तुतीकरण, विशेष सत्र, स्मृति पत्र व्याख्यान, परास्नातक छात्र अंत:क्रिया कार्यक्रम और एक बच्चों की विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा। बैठक में स्वास्थ्य और बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा और राज्य में इस क्षेत्र में चुनौतियों और संभावनाओं पर भी चर्चा होगी।

इंडिया फॉर्मा 2017 एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017 सम्मेलन बंगलूरू में होगा:

- रसायन एवं उवर्रक मंत्रालय का फॉर्मास्यूटिकल्स विभाग (डीओपी), उद्योग चैंबर फिक्की के सहयोग से बंगलूरू में 11 से 13 फरवरी 2017 तक **"जिम्मेदार स्वास्थ्य देखभाल" के विजन के साथ "इंडिया फॉर्मा एवं इंडिया मेडिकल डिवाइस 2017"** का आयोजन कर रहा है जो फॉर्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय समारोह न केवल भारतीय फॉर्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण क्षेत्र हेतु वैश्विक क्षमता के दोहन के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा बल्कि यह भारत को इस क्षेत्र के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक अवसर उपलब्ध कराएगा एवं भारतीय विनिर्माताओं के साथ संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देने के द्वारा अनुसंधान एवं विकासों, नैदानिक परीक्षणों जैसे नए क्षेत्रों में विदेशी निवेश भी लाएगा। साथ ही, यह दुनिया भर से इस क्षेत्र में व्याप्त सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को भी देश में लाएगा।
- यह सम्मेलन एक फॉर्मा कुंभ होगा और इसकी विशेषता अंतर्राष्ट्रीय दवा नियामकों की बैठक होगी। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में पहलों की रूपरेखा समसामयिक नीति युक्तियों, व्यवसाय करने की सरलता, सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों को साझा करने तथा वैश्विक नियामकीय संरचना के साथ सहयोगों को बढ़ावा देने, एवं क्षेत्रवार सुधारों पर ध्यान देने पर केंद्रित की गयी है जो भारत को इस क्षेत्र में विनिर्माण एवं अनुसंधान तथा विकास में निवेशों के लिए वैश्विक आकर्षण का अग्रणी देश बना देगा।

प्रथम पूर्वोत्तर क्षेत्र निवेशक सम्मेलन शिलांग में:

- केन्द्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित प्रथम दो दिवसीय "निवेशक शिखर सम्मेलन" का 29 जनवरी 2017 को शिलांग के राज्य कन्वेंशन केन्द्र में उद्घाटन किया। इस सम्मेलन को आयोजन भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से 29-30 जनवरी 2017 को शिलांग में किया गया।
- इस शिखर सम्मेलन में पूर्वोत्तर के सभी राज्य, पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योगों के प्रमुख और देश भर के कई प्रमुख निवेशक भाग लेंगे। इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में वस्त्र निर्माण में अपार संभावनाएं हैं जिससे आने वाले समय में रोजगार के नये अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमियों, संस्थानों और राज्य सरकारों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किये जायेंगे। वस्त्र मंत्री की उपस्थिति में 15 से अधिक सहमति पत्रों पर इस शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। क्रेता-विक्रेता के बीच मुलाकात और प्रदर्शिनियां भी दोनों दिन आयोजित किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से वस्त्र और हस्तशिल्प के क्षेत्र में, कुशल कार्य बल और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल के कारण निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वस्त्र मंत्रालय 1050 करोड़ रूपये से अधिक की **हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम उत्पादन, परिधान और परिधान उत्पादन, तकनीकि वस्त्र उत्पादन** सहित कई परियोजनाओं में **पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में भारत सरकार की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत कार्य करते हुए लागू कर रही है।**

'इस्लामिक आतंकवाद' से निपटने के लिए ट्रंप के आदेश :

- अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने देश में शरणार्थियों के आगमन को निलंबित करने और 7 मुस्लिम देशों से आने वाले नागिरकों के लिए कड़े नियम वाले नए कार्यकारी आदेश पर 27 जनवरी 2017 को हस्ताक्षर कर दिए। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ये वादे किए थे।
- आदेश पर हस्ताक्षर के बाद ट्रंप ने कहा कि वह 'कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों' से अमेरिका को सुरक्षित कर रहे हैं। इस आदेश के तहत 7 मुस्लिम देशों **ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन** के नागिरकों पर वीजा पाबंदियां लगा दी गई हैं।
- बता दें कि ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद कट्टरपंथी आतंकवादियों के खात्मे का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि CIA ऐसा करने के लिए योजना बनाएगी। इस आदेश के बाद 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों को 90 दिनों तक वीजा जारी नहीं किए जाएंगे।
- ट्रंप के इस आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, नए जांच नियम लागू होने तक अमेरिका में कम से कम 120 दिनों तक शरणार्थियों का आगमन और पुनर्वास निलंबित हो जाएगा।
- नए नियम में इस बात की पुख्ता व्यवस्था करने की कोशिश की जाएगी कि जिसे शरणार्थी का दर्जा दिया गया है वे अमेरिका की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करें। ट्रंप के आदेश के बाद सीरिया से आने वाले शरणार्थियों पर अमेरिका में प्रवेश पर अनिश्चितकालीन रोक लग गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मध्य अफ्रीकी गणराज्य की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रतिबंध बढ़ाया:

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 27 जनवरी को यह प्रस्ताव पारित किया कि मध्य अफ्रीकी गणराज्य की शांति व स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वालों पर प्रतिबंध की अवधि और एक साल बढ़ाकर 2018 की 31 जनवरी तक कर दी जाएगी।
- इस प्रस्ताव के अनुसार विभिन्न देश लगातार जरूरी कदम उठाकर मध्य अफ्रीकी गणराज्य की शांति, स्थिरता व सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वालों और इस तरह कार्रवाहियों का समर्थक व्यक्तियों व संस्थाओं पर हथियार प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और संपत्ति फ्रीज आदि प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
- प्रस्ताव में कहा गया है कि हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन करना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में सशस्त्र संगठनों व अपराधियों को आपराधिक नेटवर्क को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, हिंसक हमला करना या योजना बनाना, बच्चों की अवैध भर्ती करना, प्राकृतिक संसाधनों का अवैध दोहन और तस्करी करते हुए सशस्त्र संगठनों को सहायता

देना, मानवीय राहत रोकना, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल पर हमला करना आदि कार्रवाइयों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

जनरल एंटी एव्याडेंस रूल (गार) एक अप्रैल 2017 से लागू होगा:

- सरकार ने 27 जनवरी 2017 को कहा कि जनरल एंटी एव्याडेंस रूल (गार) एक अप्रैल 2017 से लागू होगा।
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने जारी स्पष्टीकरण में कहा कि आंकलन वर्ष 2018-19 से गार प्रभावी होगा इसलिए यह वित्त वर्ष 2017-18 से लागू होगा। उसने कहा कि आयकर नियम 1962 के नियम 10 यू और 10 यू सी के मामलों में गार लागू नहीं होगा। आयकर कानून 1961 के अध्याय एक्स ए में गार के प्रावधानों का उल्लेख है।
- सी.बी.डी.टी. ने कहा कि हितधारकों और उद्योग संगठनों ने गार के लागू किए जाने के प्रावधानों पर स्पष्टीकरण देने का आग्रह किया था। इसके मद्देनजर एक कार्य समूह का गठन किया गया था जिसको इस संबंध में उठाए गए मुद्दों का अध्ययन करने के लिए कहा गया था। इसी को लेकर आज यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
- सी.बी.डी.टी. ने स्पष्ट किया है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) के न्याय क्षेत्र का निर्धारण गैर कर व्यावसायिक के आधार पर किया जाएगा और इसका मुख्य उद्देश्य कर का लाभ नहीं दिया जाना है और इस मामले में गार प्रभावी नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की घोषणा की:

- केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने छत्तीसगढ़ के दो जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की घोषणा करते हुए राज्य के चार जिलों में और मार्च तक कृषि विज्ञान केन्द्र की मंजूरी का भरोसा दिलाया है।
- सिंह ने पांच दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले का शुभारंभ करते हुए यह घोषणा की। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने अध्यक्षता की। उन्होंने राज्य के मुंगेली और बेमेतरा जिलों में नये कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की घोषणा की।
- उन्होंने यह भी कहा कि आगामी मार्च माह तक सूरजपुर, कोंडागांव, बालोद और सुकमा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ के हर जिले एक कृषि विज्ञान केन्द्र हो।
- केन्द्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि मेले के आयोजन के लिए प्रदेश सरकार के कृषि विभाग और राज्य के किसानों को बधाई दी। सिंह ने उम्मीद जतायी कि किसान इस मेले का अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे और खेती-किसानी के आधुनिक आधुनिक तरीकों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

ट्रोपेक्स-17 की शुरूआत:

- भारतीय नौसेना अपना वार्षिक 'थिएटर रेडीनैस ऑप्रेशनल एक्सरसाइज ट्रोपेक्स' अभ्यास कर रही है जो मौजूदा सुरक्षा हालात के मद्देनजर बेहत महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, थल सेना और सुरक्षा गार्ड के संयुक्त बेड़े की लड़ाई की तैयारियों का परीक्षण करना है।
- भारतीय नौसेना का वार्षिक ट्रोपेक्स अभ्यास 24 जनवरी से शुरू हुआ था। एक महीने तक चलने वाले इस अभ्यास में पश्चिमी और पूर्वी नौसेना कमानों के पोत और वायुयान भाग लेंगे इसके अलावा वायु सेना, थल सेना और भारतीय तटरक्षक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। यह अभ्यास पश्चिमी समुद्र तट पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2015 में आयोजित किया गया था।
- इस अभ्यास में विमान वाहक पोत विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी चक्र, लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक, जलाश्व और अभी हाल में शामिल किया गया। विध्वंसक चेन्नई, लंबी दूरी की समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान पी-8 आई, जो एसयू -30 एमकेआई के साथ परिचालित है।
- जगुआर, अवाक्स, भारतीय वायु सेना फ्लाइट रिफ्यूलिंग विमान आईएल -78 विमान और भारतीय सेना की इंफेन्ट्री यूनिट भाग लेती दिखाई देंगी। यह अभ्यास विभिन्न चरणों में बंदरगाह और समुद्र में आयोजित किया जाएगा जिसमें लड़ाकू अभियानों के विभिन्न पहलू शामिल हैं।

प्रभात कुमार ने राष्ट्रीय एमएसएमई नीति पर अपनी रिपोर्ट सौंपी:

- पूर्व कैबिनेट सचिव और राष्ट्रीय एमएसएमई नीति के लिए गठित एक सदस्यीय समिति के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार ने 27 जनवरी 2017 को अपनी रिपोर्ट सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री कलराज मिश्र को सौंप दी। डॉ. प्रभात कुमार की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2015 को किया था ताकि राष्ट्रीय एमएसएमई नीति बनाई जा सके। इसके पहले अब तक देश में कोई एमएसएमई नीति नहीं थी।
- इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री गिरीराज सिंह और मंत्रालय के अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित थे।

बांध सुरक्षा परियोजनाओं के लिए केंद्रीय जल आयोग का आईआईटी मद्रास और आईआईएस बेंगलुरु के साथ करार:

- बांधों की सुरक्षा को और अधिक उन्नत बनाने के लिए केंद्रीय जल आयोग ने 27 जनवरी 2017 को देश के दो प्रमुख संस्थानों आईआईटी मद्रास और भारतीय विग्यान संस्थान बेंगलूरू के साथ करार किया।
- यह समझाौता राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास एवं भारतीय विग्यान संस्थान, बेंगलूरू के साथ किया गया है। इन करारों से आयोग को उन्नत एवं विशेष उपकरण एवं सॉफ्टवेयर की खरीद में मदद मिलेगी जो बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजनाओं के लिए मददगार साबित होगा।
- जल संसाधन नदी विकास, गंगा संरक्षण मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) में सहायता के लिए देश के चुनिंदा शैक्षिणक एवं शोध संस्थानों का चयन किया है। इससे जांच प्रयोगशालाओं के सुदृढ़िकरण और उनकी विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। इससे बांध सुरक्षा की चिंताओं से इन संस्थाओं के विशेषग्यों को मौके पर परिचित कराने का अवसर भी प्राप्त होगा।
- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) योजना के तहत उन 250 बांधों के पुनर्वासों में मदद की जा रही है। इस तरह के बांधों को पुनर्वास के लिए तकनीकी सहायता की बहुत आवश्यकता है। भारत सरकार ने तय किया है कि देश के चुनिंदा संस्थानों का बांध सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता संवर्धन किया जाएगा ताकि वे बांध सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण एवं सलाहकार सेवाएं उपलबध करा सकें।

ट्रंप ने दिया मेक्सिको सीमा पर दीवार बनाने का आदेश:

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान किए गए अपने वादों को अमली जामा पहनाते हुए मेक्सिको से लगी सीमा पर दीवार निर्माण और बिना वैध दस्तावेज के वहां रह रहे प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि एक देश बिना सीमाओं के कोई देश नहीं है।
- गृह सुरक्षा विभाग में दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा कि एक देश बिना सीमाओं के देश नहीं हो सकता। ट्रंप ने कहा कि हम हमारी दक्षिण सीमा पर संकट का सामना कर रहे हैं। मध्य अमेरिका से बड़ी संख्या में गैरकानूनी प्रवासियों का आना मेक्सिको और अमेरिका दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है और मुझे लगता है कि आज जो हम कदम उठाना शुरू करेंगे वे दोनों देशों की सुरक्षा में सुधार करेंगे, ये मेक्सिको के लिए बहुत, बहुत अच्छा होने वाला है। उन्होंने कहा कि ये दो कार्यकारी आदेश हजारों लोगों की जिंदगी, लाखों नौकरियां और अरबों डॉलर बचाएंगे।
- ट्रंप ने कहा कि ये दो आदेश उन प्रवासी सुधार का हिस्सा हैं जिसका जिक्र हमने अभियान के दौरान किया था। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि हम सीमा के दोनों ओर सुरक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार के लिए मेक्सिको में हमारे दोस्तों के साथ साझा तौर पर काम कर

रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह मेक्सिको के लोगों के बड़े प्रशंसक हैं और वह मेक्सिको में अपने समकक्ष से मिलने को लेकर उत्सुक हैं।

डिजिटल भुगतान पर मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री को अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की:

- बैंकों से 50,000 रुपए और इससे अधिक नकदी निकासी पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगाए जाने की सिफारिश करते हुए मुख्यमंत्रियों की समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। डिजिटल भुगतान पर गठित इस समिति की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने की।
- कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन को साल 2005 में ऐसा ही कदम उठा लेने के बाद हुए विरोध के चलते इसे वापस लेना पड़ा था। नायडू ने स्पष्ट करते हुए कहा- उस वक्त डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इसी कारण इस कदम का विरोध हुआ था। अब हमारे पास डिजिटल ट्रांजैक्शन और मोबाइल हैं जो इस सबको बेहद आसान बनाते हैं।
- ज्ञात हो कि इस समिति ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई सिफारिशें की हैं जिनमें से एक है क्रेडिट कार्ड भुगतान पर बैंकों द्वारा लिए जाने वाले टैक्स को हटाए जाने, इनकम (आय) के तय अनुपात में डिजिटल भुगतान करने वाले ग्राहकों को कर-वापसी और स्मार्टफोन पर 1,000 रुपये की छूट दिए जाने की सिफारिशें शामिल हैं।
- बड़े लेन-देन के मामले में नकदी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 50,000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर बैंक द्वारा कर लगाया जाए। हर तरह के बड़े लेनदेन में नकदी के लेनदेन की अधिकतम सीमा तय की जाए।' रिपोर्ट में आधार कार्ड के इस्तेमाल पर खास जोर दिया गया है और कहा गया है कि बैंकों द्वारा केवाईसी फॉर्म (KYC Form) में आधार कार्ड नंबर को प्राथमिक पहचान चिह्न बनाया जाना चाहिए और इस संबंध में मौजूदा आधार कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- रिपोर्ट में डिजिटल भुगतान के मामले में भारत दुनिया में कितना पीछे है, इस बारे में भी बताया गया है। इसके मुताबिक, जहां चीन में हर 10 लाख व्यक्तियों पर डिजिटल भुगतान के लिए 16,602 जगहें हैं, मेक्सिको में 7,189, ब्राजील में 25,241 और सिंगापुर में 31,096 पे पॉइंट हैं, वहीं भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 1,080 डिजिटल भुगतान के केंद्र हैं।

डाकघर में पासपोर्ट बनाने की शुरुआत हुई:

- पासपोर्ट के आवेदनों को डाकघर में ही प्रोसेस कर डिलिवरी करने का पायलट 25 जनवरी 2017 से मैसूर और दाहोद (गुजरात) में शुरू हो गया है। पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद इस योजना के तहत प्रोसेसिंग से लेकर डिलिवरी तक का सारा काम डाकघर से होगा।

- ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कहे जाएंगे। योजना के तहत पहली बार डाक विभाग को पासपोर्ट एक्ट के तहत अधिकार दिए जा रहे हैं। विदेश राज्य मंत्री वी. के. सिंह ने 24 जनवरी को इस योजना की घोषणा करते हुए कहा कि डाकघरों को एक्सटेंशन काउंटर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा।
- गौरतलब है कि देश में 38 पासपोर्ट ऑफिस के साथ 89 पासपोर्ट सेवा केंद्र काम कर रहे हैं। डाकघरों को इस मुहिम में शामिल करने से पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर बोझ घटने और पासपोर्ट बनने में समय कम लगने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट के लिए पहले फेज में 38 शहरों की पहचान की गई है।
- कई शहरों में चुनाव होने के कारण मंगलवार को इनके नामों की घोषणा नहीं की गई। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ अभी उचित जगह नहीं मिल सकी है। दिल्ली में पहले से काफी फैसिलिटी उपलब्ध है, ऐसे में सरकार का जोर उन जगहों पर सुविधा उपलब्ध कराने पर है, जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है।
- दो-तीन महीने में पायलट प्रोजेक्ट का रेस्पांस देखकर इसका विस्तार किया जाएगा। सरकार की योजना सभी जिलों के मुख्य डाकघरों के माध्यम से यह योजना उपलब्ध कराने की है।

जापान ने सेना के लिए पहला संचार उपग्रह लांच किया:

- सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए जापान के रक्षा मंत्रालय ने पहला संचार उपग्रह लांच किया है। इससे सेना के तीनों अंगों (थल सेना, वायुसेना और नौसेना) के बीच सूचनाओं का सटीक आदान-प्रदान हो सकेगा। चीन के साथ समुद्री सीमाओं और द्वीपों पर अधिकार को लेकर जारी तनातनी के बीच जापान ने अपने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की है। संसद ने वर्ष 2008 में अंतरिक्ष के इस्तेमाल को लेकर प्रस्ताव पारित किया था।
- जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (जाक्सा) और मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 24 जनवरी 2017 को अत्याधुनिक एक्स बैंड पर आधारित किरामेकी-2 को एच-2ए लांच व्हिकल से सफल प्रक्षेपण किया। सेटेलाइट को कागोशिमा स्थित प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया। सशस्त्र बल सेल्फ डिफेंस फोर्सेज (एसडीएफ) के संचार नेटवर्क को उन्नत करने के मिशन के तहत रक्षा मंत्रालय का यह पहला सेटेलाइट है। दो और संचार उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे।
- इसकी मदद से सैन्य बल सीधे संपर्क स्थापित कर सकेंगे। हिद महासागर क्षेत्र पर विशेष नजर रखी जा सकेगी। समुद्री लुटेरों से निपटने में भी यह मददगार साबित होगा।

केंद्रीय कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन स्कीम को मंजूरी दी:

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 को शुरु करने के लिए स्वीकृति दे दी है। इस योजना के अंतर्गत लाइफ इंश्योरेंस कार्पोरेशन (एलआईसी-LIC) 10 साल की अवधि के लिए 8 फीसदी का गारंटीशुदा रिटर्न देगी। साथ ही इसमें वार्षिक, मासिक/तिमाही/ छमाही आधार पर पेंशन विकल्प के चयन की सुविधा भी होगी।
- यह योजना सरकार की सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस योजना को चालू वित्त वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा। इस योजना का मकसद 60 वर्ष या उससे ऊपर के बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- वीपीबीवाई-2017 लांच की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यता के लिए खुली रहेगी।

कैबिनेट ने ग्रामीण आवास को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी:

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी 2017 को एक नई योजना का अनुमोदन कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। ब्याज सब्सिडी ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिये उपलब्ध होगी, जो प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दायरे में नहीं है।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लोग नये मकान बना सकेंगे या अपने मौजूदा पक्के मकानों का विस्तार कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले लाभार्थियों को दो लाख रूपये तक की ऋण राशि पर ब्याज-सब्सिडी दी जाएगा।
- इस योजना से बड़ी संख्या में ग्रामीणजनों को लाभ होगा तथा दीर्घकालिक 24 वर्षों के लिए ऋण प्राप्त होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक इस योजना को कार्यान्वित करेगी। सरकार, राष्ट्रीय आवास बैंक को 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का वर्तमान मूल्य सीधे प्रदान करेगी और इसके बदले, यह बैंक ब्याज सब्सिडी की राशि प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों इत्यादि) को अंतरित करेगी। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी के लिये मासिक किश्त कम हो जाएगी।
- योजना के अंतर्गत सरकार वर्तमान व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थियों को तकनीकी सहायता सहित प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणके साथ उचित समन्वय के आवश्यक उपाय भी करेगी। इस नई योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों में सुधार के साथ, ग्रामीण आवास क्षेत्रमें रोजगार सृजन भी होगा।

रबड़ उत्पादकों के लिए रबड़ मिट्टी सूचना प्रणाली (RubSIS):

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जनवरी 2017 नई दिल्ली में रबड़ मिट्टी सूचना प्रणाली (RubSIS) का शुभारंभ किया। रबड़ मिट्टी सूचना प्रणाली ने रबर उत्पादकों को विशिष्ट बागानों में उनकी मिट्टी की प्रकृति के आधार पर उर्वरकों के एक उपयुक्त मिश्रण को उपयोग करने की सलाह दी।

RubSIS को तीन एजेंसियों के सहयोग से भारत के रबड़ अनुसंधान संस्थान (RRII) द्वारा विकसित किया गया। यह एजेंसिया हैं:

- इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन एंड मैनेजमेंट, केरल
- नेशनल ब्यूरो ऑफ़ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग ऑफ़ द इंडियन कौंसिल ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च (आईसीएआर)
- नेशनल रिमोट सेंसिंग सेण्टर ऑफ़ इंडियन स्पेस रीसर्च आर्गेनाइजेशन (इसरो)
- RRII एक अनुसंधान और विकास एजेंसी है। यह रबर बोर्ड के तहत काम करता है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांस पैसेफिक समझौते से अमेरिका को हटाया:

- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जनवरी 2017 को अपने वादे के अनुरूप अमेरिका को ट्रांस-पेसिफिक पार्टनरशिप (टीपीपी) व्यापार समझौते से औपचारिक रूप से हटा लिया। उन्होंने 12 देशों के व्यापार समझौते की वार्ता प्रक्रिया से वापसी के आदेश पर दस्तखत किए।
- यह पहल उनके पूर्ववर्ती बराक ओबामा की बड़ी अंतरराष्ट्रीय व्यापार परियोजनाओं में से एक थी। इतना ही नहीं, सात साल की लंबी बातचीत के बाद पिछले साल 4 फरवरी को न्यूजीलैंड में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। टीपीपी के कुल 12 सदस्य हैं।
- ट्रंप का मानना है कि यह करार अमेरिकी नौकरियों और विनिर्माण क्षेत्र के हितों के खिलाफ था। इससे पहले नए राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ग्रहण करने के कुछ ही घंटों बाद ओबामाकेयर के आर्थिक बोझ को कम करने के मकसद से कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे।

भारतीय राज्यों के प्रदर्शन को मापेगा भारत नवप्रवर्तन सूचकांक:

- विश्व आर्थिक मंच, नीति आयोग, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन तथा कोरनेल यूनिवर्सिटी भारतीय नवप्रवर्तन सूचकांक तैयार करने के लिये साथ मिलकर काम करेंगे। यह सूचकांक भारतीय राज्यों को नवप्रवर्तन की भावना को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
- नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि प्रतिस्पर्धा और सहकारी संघवाद भारत की प्रगति के लिये महत्वपूर्ण हैं। यह सूचकांक राज्यों को एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में प्रोत्साहित करेगा तथा इससे समावेशी वृद्धि के लिये बेहतर नीति तैयार हो सकेगी।
- प्रत्येक भागीदार संगठन सूचकांक पर काम करने के लिये एक कार्यकारी समूह नामित करेगा। पहली रैंकिंग नयी दिल्ली में 4-6 अक्तूबर 2017 को भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में

जारी किये जाने की संभावना है। विश्व आर्थिक मंच में भारत और दक्षिण एशिया के प्रमुख विराज मेहता ने कहा, हम इस सूचकांक में सहयोग को लेकर उत्साहित हैं और विश्वास है कि यह भारत को नवपवर्तन वाली अर्थव्यवस्था में ले जा सकता है। हम जमीनी कारकों को चिन्हित करना चाहते हैं जो नवप्रवर्तन क्षमता को प्रभावित करता है।

सरकार ने सहकारी बैंकों को नयी कर माफी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत जमाएं स्वीकार करने से रोक दिया:

- सरकार ने स्पष्ट किया है कि सहकारी बैंक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत जमाराशि स्वीकार नहीं कर सकते। इससे साफ हो गया है कि आठ नवंबर को नोटबंदी के फैसले के बाद जिन लोगों ने भी 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने नोट सहकारी बैंकों में जमा किए होंगे, अब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- वित्त मंत्रालय ने कहा कि 16 दिसंबर की अधिसूचना में बदलाव किया गया है। अब सहकारी बैंक पीएमजीकेवाई के अंतर्गत जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब आयकर विभाग नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए पुराने के नोट से संबंधित मामलों की छानबीन शुरू कर दी है।
- अब तक आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सहित कई जांच एजेंसियां इस तरह के कई मामलों का पता लगा चुकी हैं। साथ ही विभाग ने नौ नवंबर से 14 नवंबर, 2016 के दौरान सहकारी बैंकों में लगभग 16,000 करोड़ रुपये के पुराने नोट जमा हुए था। विभाग अब इन आंकड़ों का विश्लेषण कर रहा है।
- असल में सरकार ने नोटबंदी के बाद अघोषित नकदी रखने वालों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी अघोषित नकदी बैंक में जमाकर उस पर 50 प्रतिशत टैक्स दे सकता है। साथ ही उसे 25 प्रतिशत राशि बैंक में ही जमा करके रखनी होगी। हालांकि इस राशि पर सरकार उसे कोई ब्याज नहीं देगी। इस तरह टैक्स देने और निश्चित राशि जमा करने के बाद वह व्यक्ति सिर्फ 25 प्रतिशत धनराशि ही अपने खाते से निकाल सकेगा। सरकार की यह योजना 31 मार्च तक खुली है।

आयुष मंत्रालय और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) के बीच समझौता:

- आयुष औषधियों के विज्ञापनों में कदाचार गतिविधियों में कमी लाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद् (एएससीआई) के साथ सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी औषधियों, उपचारों और संबंधित सेवाओं के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के मामलों से निपटने

के लिए एएससीआई प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इन विज्ञापनों की व्यापक रूप से निगरानी करेगी।

- इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय में सचिव अजीत. एम. शरण की मौजूदगी में आयुष मंत्रालय में सलाहकार (आयुर्वेद) डॉ. डी. सी. कटोच और एएससीआई के अध्यक्ष एस.के.स्वामी ने हस्ताक्षर किए।
- आयुष मंत्रालय द्वारा एएससीआई को स्वतः निगरानी अधिदेश दिया गया है ताकि आयुष क्षेत्र में संभावित भ्रामक विज्ञापनों को अभिनिर्धारित कर इसकी उपभोक्ता शिकायत परिषद् (सीसीसी) के माध्यम से शिकायतों पर कार्रवाई की जाए। आयुष मंत्रालय भी भ्रामक विज्ञापनों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों को एएससीआई भेजेगा जिनकी एएससीआई नियमावली और दिशा निर्देशों का प्रयोग कर समीक्षा की जाएगी।
- समझौता ज्ञापन में यह भी अपेक्षित है कि एएससीआई औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954 और इसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली का संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले सभी विज्ञापनों और एएससीआई की सीसीसी की सिफारिशों के अननुपालन को आयुष मंत्रालय को सूचित करेगा ताकि मंत्रालय आगे कार्रवाई कर सके।

साझा खुफिया और सहयोग पर संयुक्त अंतरराष्ट्रीय कार्यबल जेआईटीएसआईसी की बैठक पेरिस में सम्पन्न:

- 20 जनवरी भारत और 29 देशों ने पनामा दस्तावेज की जांच से जुड़े तथ्यों पर आज चर्चा की। इसमें कर चोरी में वित्तीय संस्थानों और सलाहकारों जैसे कर मध्यस्थों की भूमिका शामिल है। साझा खुफिया और सहयोग पर संयुक्त अंतरराष्ट्रीय कार्यबल जेआईटीएसआईसी की पेरिस में दो दिवसीय बैठक में 30 देशों के राजस्व अधिकारियों ने कर संधियों और ओईसीडी के तहत कानूनी तत्वों पर आधारित अपने-अपने यहां प्रचलित बेहतर गतिविधियों और सूचना को साझा किया।
- तीस राजस्व अधिकारियों ने पनामा दस्तावेज की जांच से प्राप्त तथ्यों को साझा किया। इसमें कर चोरी में वित्तीय संस्थानों और सलाहकारों जैसे कर मध्यस्थों की भूमिका शामिल है। इस आकार के समूह के भीतर इस सूचना का साझा करना अनूठा है और कर प्रशासन के बीच बेहतर सहयोग का आधार तय करता है।
- लीक हुए पनामा दस्तावेज में उल्लेखनीय मात्रा में सूचना है जो 1.1 करोड़ दस्तावेज में उपलब्ध है। इस दस्तावेज में 21 देशों के 2,10,000 कंपनियां के नाम शामिल हैं। इन नामों को इंटरनेशनल कंसोर्टियम आफ इनवेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने जारी किया।
- सूची में 500 भारतीय के नाम हैं जिसमें चर्चित कारोबारी, फिल्मी हस्तियां तथा अन्य शामिल हैं। सरकार ने मामले की जांच के लिये जांच एजेंसियों को मिलाकर एक बहु-एजेंसी समूह

बनाया। इसमें आयकर विभाग, रिजर्व बैंक, वित्तीय खुफिया इकाई तथा प्रवर्तन निदेशालय शामिल हैं।

भारत ने हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) के सदस्य देशों के साथ एमएसएमई संबंधी सहयोग पर एमओयू पर हस्ताक्षर किये:

- केंद्रीय एमएसएमई मंत्री कलराज मिश्र ने 19 जनवरी 2017 को हिंद महासागर रिम संघ (आईओआरए) के सदस्य देशों के बीच एमएसएमई संबंधी सहयोग पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला से विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश को सुविधाजनक बनाने के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे।
- उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए 18 देशों के साथ सहमति पत्रों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमएसएमई मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम भारतीय राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए कई देशों के अपने समकक्ष संगठनों के साथ 34 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एसएमई संबंधी सहयोग पर इस कार्यशाला से आईओआरए के सदस्य देशों के बीच विचारों, चिंताओं एवं अनुभवों के आदान-प्रदान में आसानी होगी और इससे एमएसएमई क्षेत्र को लेकर इस क्षेत्र में उभरती चिंताओं को दूर करने के लिए एक साझा एमओयू विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 20 वर्षों के दौरान आईओआरए में लचीलापन उसकी सहज ताकत रही है। आईओआरए के अभ्युदय एवं विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि रणनीति एवं प्राथमिकता की आजादी सुनिश्चित करके इस ताकत को और बढ़ाया जाना चाहिए।

महानदी और उसकी सहायक नदियों पर विचार-विमर्श के लिए समिति गठित:

- जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने महानदी और इसकी सहायक नदियों के जल की उपलब्धता एवं उपयोग का आकलन करने के लिए एक विचार-विमर्श समिति गठित की है। समिति महानदी से संबंधित मौजूदा जल बंटवारा समझौतों पर भी गौर करेगी और इन नदियों के जल की उपलब्धता एवं उपयोग के संबंध में ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के दावों पर विचार करेगी।

- समिति से अपनी रिपोर्ट तीन माह के भीतर पेश करने को कहा गया है। महानदी बेसिन के जल के उपयोग के संबंध में आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत ओडिशा राज्य की शिकायत के संदर्भ में यह समिति गठित की गई है।
- केंद्रीय जल आयोग के सदस्य (डब्ल्यूपीएंडपी) इस समिति की अध्यक्षता करेंगे और इसमें 11 अन्य सदस्य होंगे। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं झारखंड राज्यों और केंद्रीय कृषि मंत्रालय, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, भारतीय मौसम विभाग और केंद्रीय जल आयोग के प्रतिनिधिगण भी इन सदस्यों में शामिल हैं।

धीमी वैश्विक वृद्धि के बावजूद वर्ष 2017 में एशिया का आर्थिक परिदृश्य मजबूत बना हुआ है: यूएन रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक परिस्थिति व परिदृश्य (डब्ल्यूईएसपी) 2017 रिपोर्ट 18 जनवरी 2017 को जारी की गई। इसमें कहा गया है कि 'भारत ने अपने आप को एक सबसे गतिवान उभरते बाजार के रूप में जमा लिया है और मजबूत निजी उभोग मांग के साथ भारत की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2017 में 7.7 प्रतिशत व 2018 में 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
- इसके साथ ही रपट में आगाह किया गया है कि बैंकों व कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव व क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कर पाने से हो सकता है कि निवेश पूरी ताकत से पटरी पर नहीं लौट पाए। वहीं इसमें चीन की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2017 व 2018 में 6.5 प्रतिशत पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है।
- यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख प्रकाशन है जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की दशा व दिशा पर प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार कमजोर अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश के चलते धीमी वैश्विक वृद्धि के बावजूद वर्ष 2017 में एशिया का आर्थिक परिदृश्य मजबूत बना हुआ है। वर्ष 2016 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.2 प्रतिशत रही है। वर्ष 2008 के वित्तीय संकट की समाप्ति के बाद यह सबसे धीमी वृद्धि है।
- ब्रिटेन की यूरोपीय संघ से अलग होने की योजना और डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने से विश्व अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता को बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट में कहा है कि चीन में सुस्ती के बावजूद, एशिया लगातार एक आकर्षक स्थान बना हुआ है।
- इसमें कहा गया है कि क्षेत्र में मजबूत उपभोक्ता मांग और अधिक सरकारी खर्च से कमजोर निर्यात की भरपाई करने में मदद मिली है। पूर्वी और दक्षिण एशिया क्षेत्र की वृद्धि 2016 में 5.7 प्रतिशत रही जो कि इससे पिछले वर्ष के बराबर ही रही।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए वेब पोर्टल 'शगुन' का शुभारंभ:

- केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित **वेब पोर्टल 'शगुन'** का शुभारंभ किया। 'शगुन' का लक्ष्य प्रमुख योजना 'सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए') की सतत निगरानी के जरिए भारत में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और प्रगति को दर्शाना है।
- जावड़ेकर ने 'दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए मास्टर ट्रेनर्स हेतु टूलकिट' का भी अनावरण किया। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से विश्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षा की 'गुणवत्ता' में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय सही समझ, गणित, भाषा इत्यादि के संबंध में आवश्यक क्षमताओं के लिए मूल्यांकन मानक तय करने हेतु शिक्षण के परिणामों को संहिताबद्ध करेगा और इस तरह यह सुनिश्चित करेगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रथम कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक 'सभी बच्चे कम से कम शिक्षण के न्यूनतम स्तर' को अवश्य ही हासिल कर लें।